खण्ड-385, अंक-5
बुधवार, 26 फाल्गुन, शक संवत् 1909
(15 मार्च, 1988 ई0)

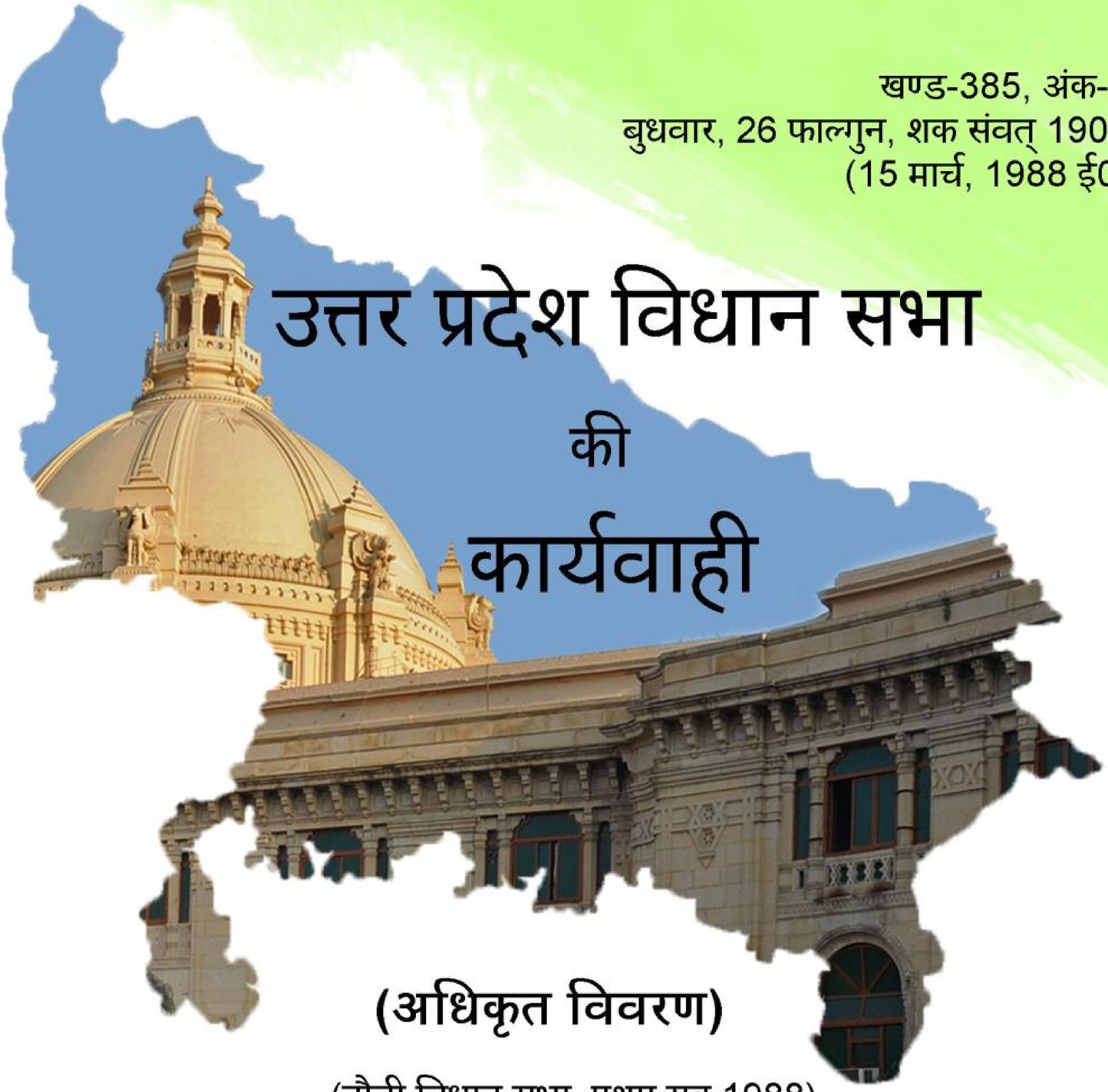

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1988)

खण्ड 385 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद, उत्तर प्रदेश (भारत)
1988

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल १० रुपये, महसूल सहित १२ रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1
प्रश्नोत्तर	3–63
नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं	63–64
जनपद आजमगढ़ के देवलाश्रम को पर्यटन केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	64
बस्ती जनपद के बांसी ड्रेनेज खण्ड के ठेकेदारों के भुगतान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	64–65
जनपद इलाहाबाद के सिराथू तहसील में एस0 ए0 वी0 इन्टर कालेज, सैनी, इलाहाबाद को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	65
जनपद इलाहाबाद के थाना कर्नलगंज की पुलिस द्वारा श्री सुरेश विद्यार्थी की पिटाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	65–66
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् (खंड), हरदोई, सीतापुर के अधिशासी अभियन्ता द्वारा किए गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	66
जिला देवरिया में गन्ना क्रय की व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	66–67
जनपद बुलन्दशहर की तहसील सिकन्दराबाद के कतिपय ग्रामों के निवासियों की जंगली जानवरों द्वारा धन–जन की हानि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	67
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 1985–86 का प्रतिवेदन (सिविल) (पटल पर रखा गया)	67
वित्त लेखे 1985–86 एवं विनियोग लेखे 1985–86 (पटल पर रखे गये)	67–68
दि इंडियन टरपिनटाइन एन्ड रेजिन कम्पनी लिमिटेड की बासठवीं वार्षिक रिपोर्ट 1985–86 (पटल पर रखी गयी) ..	68
श्री मुहम्मद आजम खां, विधायक पर हुए हमले की रामपुर जांच आयोग की रिपोर्ट (पटल पर रखी गयी)	68
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	68

विषय	पृष्ठ संख्या
वित्तीय वर्ष 1988–89 के आय–व्ययक की मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 18—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत)	68–69
वित्तीय वर्ष 1987–88 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान (स्वीकृत) ..	69–75
उत्तर प्रदेश विनियोग (1987–88 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1988 (पारित)	75–86
नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं	86
प्रदेश के 22 जनपदों में केन्द्रीय उपभोक्ता भंडारों के अध्यक्ष सहित डायरेक्टरों का मनोनयन किये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य के स्थगन की सूचना	87
जनपद आजमगढ़ में स्थित चीनी मिल, सठियांव तथा घोसी द्वारा गन्ना न लिये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा	87
सूचियां	89–100

विधान परिषद सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 1988

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ, में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री निर्वाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे ।

अकबर अहमद (डम्पी), श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन बाबर, श्री (फैजाबाद)
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री (इलाहाबाद)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अशोक सेहरा, श्री (आगरा)
आर० एन० पाठक, श्री (कानपुर)
औसान सिंह, श्री (इटावा)
कमलेश कुमार पाठक, श्री (इटावा)
कल्याण सिंह, श्री (अलीगढ़)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
किरन पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
गोपाल दास यादव, श्री (इलाहाबाद)
चन्द्रभान मौर्य, श्री (आगरा)
दूधनाथ, श्री (जौनपुर)
द्वारिका प्रसाद, श्री (बस्ती)
नंगा राम, श्री (खीरी)
नरेन्द्र देव, श्री (मिर्जापुर)
नरेन्द्र सिंह, कुंवर (सहारनपुर)
पशुपति नाथ मेहरोत्रा, श्री (कानपुर)
प्रभुदयाल प्रधान, (मेरठ)
प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती (बदायूं)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री (फर्रुखाबाद)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
महरम सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
मुस्तमन्द अली खां, श्री (मथुरा)
मोहम्मद मसूद खां, श्री (आजमगढ़)
मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री (मुरादाबाद)
मोहम्मद हयात, हाजी (मुरादाबाद)
रघुवर दयाल वर्मा, श्री (आगरा)
राकेशधर त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजीव कुमार सिंह, श्री (बाराबंकी)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
रामगोविन्द चौधरी, श्री (बलिया)
रामनरेश यादव, श्री (मैनपुरी)
रामनरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
विजय लक्ष्मी, श्रीमती (बलिया)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री (मुरादाबाद)
शीनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव बालक पासी, श्री (रायबरेली)
सलावत हुसैन, श्री (गाजियाबाद)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सत्यपाल सिंह, (शाहजहांपुर)
सत्य प्रकाश विकल, श्री (आगरा)
समरपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
सुखपाल पाण्डे, श्री (बस्ती)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री (बांदा)
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (रायबरेली)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
हरिश्चन्द्र, हरीश जी, श्री (बस्ती)
हर्ष वर्धन, श्री (गोरखपुर)
हीरा सिंह बिष्ट, श्री (देहरादून)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 1988 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ स्थित इन्दिरा नगर सचिवालय कालोनी के आवासों को उनके अध्यासियों को हायर पर्चेज स्कीम के अन्तर्गत बेचना

**1--श्री शारदा प्रताप--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित इन्दिरा नगर सचिवालय कालोनी के सेक्टर-4 ई-1 टाइप के आवासों को उन्हें हायर पर्चेज स्कीम के अन्तर्गत उन्हीं अध्यासियों को बेचने के सम्बन्ध में लगभग 85 अध्यासियों का प्रार्थना-पत्र दिसम्बर, 1987 में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? इन आवासों को अध्यासियों को कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

जी हां ।

शासन द्वारा आवासों का निर्माण/क्रय लखनऊ में तैनात कर्मचारियों एवं अधिकारियों को उनके लखनऊ में तैनाती की अवधि में आवासीय सुविधा देने के लिये किया जाता है । अतः उन्हें हायर पर्चेज पर बेचा जाना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासन लखनऊ में तैनात कर्मचारियों/अधिकारियों को उनकी सेवा अवधि में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवासों का निर्माण/क्रय किया जाता है, अतः उन्हें कर्मचारियों को हायर पर्चेज पर दिया जाना संभव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय में नियमित निदेशक की नियुक्ति

**2--श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री गोपाल दास यादव--

क्या खेलकूद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय में तदर्थ निदेशक नियुक्त करने का क्या औचित्य है ? क्या अब स्थायी नियमित निदेशक नियुक्त करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

निदेशक, खेल के पद पर नियमित नियुक्ति सुसंगत सेवा नियमावली में उपयुक्त प्राविधानों के अभाव में अभी तक नहीं की जा सकी है । अभीष्ट प्राविधानों के शामिल कराने की कार्यवाही की जा रही है । अभीष्ट प्राविधानों के उपरान्त ही निदेशक, खेल के पद पर नियमित नियुक्ति की जायेगी ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

लघु एवं मध्यम आकार के समाचार-पत्रों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा उचित दर पर कागज उपलब्ध कराया जाना

*1--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लघु एवं मध्यम आकार के समाचार-पत्रों को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ? कलेन्डर वर्ष 1987 की शुरूआत में कुल कितने लघु एवं मध्यम आकार वाले साप्ताहिक/दैनिक थे ? 1988 की पहली जनवरी को यह संख्या क्या है ? क्या सरकार इन पत्रों को उचित दर पर कागज उपलब्ध कराने की योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो योजना क्या है ?

पर्यावरण एवं परिस्थिति विज्ञान राज्य मन्त्री (श्रीमती दीपा)--

लघु एवं मध्यम आकार के समाचार-पत्रों को प्रोत्साहित करने के लिये शासन द्वारा अनुमोदित समाचार-पत्रों को अधिक से अधिक विज्ञापन दिये जाने, 35 जिला मुख्यालय पर टेलिप्रिन्टर मशीन तथा जिला स्तर पर निःशुल्क बस यात्रा द्वारा समाचार संकलन की सुविधा अनुमन्य है ।

कैलेन्डर वर्ष 1987 की शुरूआत में प्रदेश न 138 दैनिक, 429 साप्ताहिक/पाक्षिक तथा 88 मासिक आदि मान्यता प्राप्त समाचार-पत्र थे । वर्ष 1988 के लिए इस समय 161 दैनिक, 429 साप्ताहिक/पाक्षिक तथा 98 मासिक आदि समाचार-पत्र मान्यता प्राप्त हैं ।

जी नहीं ।

जनपद फैजाबाद में अपराधों की विवेचना पर उच्च पुलिस अधिकारियों का नियंत्रण एवं प्रभावी पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का महानिदेशक पुलिस लखनऊ को भेजे गये पत्र का विवरण

*2--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में संगीन व जघन्य अपराधों की विवेचना पर उच्च पुलिस अधिकारियों का संतोषजनक नियंत्रक तथा प्रभावी पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फैजाबाद का श्री आर० एन० गुप्त, महानिदेशक पुलिस उ० प्र० लखनऊ को सम्बोधित तथा गृह सचिव उ० प्र० शासन को पृष्ठांकित दिनांक 24 जून, 1988 का पत्र शासन को मिल गया है ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और उच्च पुलिस अधिकारियों तथा अपराधियों के इस षड़यन्त्र पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

गृह मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)--

जी हां ।

प्रश्नगत-पत्र में निम्नलिखित कतिपय आरोप लगाये गये हैं :--

मु० अ० सं० 708/37, धारा 396 भा० द० वि० में प्रथम सूचना रिपोर्ट न्यायालय को विलम्ब से उपलब्ध कराना, केस डायरी परचे का किसी पर्यवेक्षण अधिकारी

द्वारा अवलोकन न करना और न कोई निर्देश देना, अभियोग दैनिकी के आधार पर एस0 आर0 पत्रावली न तैयार करना, संगीन अपराधों की विवेचना पर उच्च पुलिस अधिकारियों का पूर्ण नियन्त्रण न होना तथा त्रुटिपूर्ण विवेचना करना आदि ।

जांच से उक्त अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट भिजवाने में विलम्ब के लिए क्षेत्राधिकारी नगर का कार्यालय दोषी पाया गया । इस सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी, नगर का स्पष्टीकरण मांगा गया है एवं उन्हें भविष्य हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त विवेचक श्री उमेश चन्द्र मिश्र के द्वारा क्षेत्राधिकारी, नगर के समक्ष बिना पर्चों के रक्खे तथा बिना हस्ताक्षर कराये अभियोग दैनिकियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने के कारण अन्य विसंगतियां उत्पन्न हुई । एस0 आर0 पत्रावली में त्रुटियों के लिए भी विवेचनाधिकारी, श्री मिश्र एवं श्री सरजू प्रसाद मिश्रा, हेड कान्सटेबुल तत्कालीन हेड मोहर्रिर, सी0 ओ0 सिटी को दोषी पाया गया । श्री उमेश चन्द्र मिश्रा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है । श्री सरजू प्रसाद मिश्रा का भी उनकी शिथिलता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया है तथा उन्हें भविष्य हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये हैं ।

उच्च पुलिस अधिकारियों एवं अपराधियों के किसी षड्यंत्र की पुष्टि नहीं हुई है ।

*3—श्री राम शरण दास—

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया ।]

[मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 1988 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न ।]

जिला मथुरा के मथुरा–सादाबाद मार्ग को मजबूत कराया जाना

*1—श्री सरदार सिंह—

क्या सा0 नि0 मन्त्री की जानकारी में है कि आगरा में यमुना नदी पर निर्मित जवाहर पुल के कमजोर होने के कारण भारी ट्रैफिक मथुरा शहर से मथुरा–सादाबाद की कमजोर सड़क से गुजरता है ? यदि हां, तो जवाहर पुल के कमजोर होने के कारण क्या हैं ? मथुरा–सादाबाद की निर्बल सड़क से कब तक यह भारी ट्रैफिक गुजरता रहेगा ? क्या शासन इस मार्ग को अधिक मजबूत करने की कृपा करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

भारी ट्रैफिक का कुछ अंश मथुरा–सादाबाद मार्ग से गुजरता है ।

जवाहर पुल के कमजोर होने का मुख्य कारण पुल के ऊपर से स्वीकृत भार से अधिक भार वाले वाहनों का गुजरना तथा डैक स्लैब के ऊपर व नीचे की सतह के तापमान के अन्तर के कारण डैक स्लैब में तनाव उत्पन्न होना है ।

प्रश्नगत सेतु का मरम्मत का कार्य पूर्ण होने तक भारी ट्रैफिक का कुछ अंश मथुरा–सादाबाद मार्ग से गुजरता रहेगा ।

मथुरा–सादाबाद मार्ग के सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

*2—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।]

उत्तर प्रदेश में गन्ने पर पायरिला के प्रकोप के नियंत्रण हेतु परजीवियों के प्रसार की व्यवस्था

*3--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या गन्ना मन्त्री को जानकारी है कि विगत तीन वर्ष से प्रत्येक वर्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने पर पायरिला का प्रकोप हो रहा है और सरकार की कोई योजना इस पर नियंत्रक करने में सफल नहीं हुई है ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि इन तीन वर्षों में दो वर्ष पायरिला के परजीवियों (पैरासाइट) ने ही इसका नियंत्रण किया है परन्तु उसमें पहले वह गन्ने को भारी क्षति पहुंचा चुका था ? इन परिस्थितियों को देखते हुए क्या मन्त्री जी इस परजीवियों के कृत्रिम प्रजनन हेतु केन्द्र स्थापित करने तथा गन्ना के खेतों में इन परजीवियों को छोड़ने हेतु व्यापक व्यवस्था अविलम्ब करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

यह सही नहीं है कि सरकार की कोई योजना पायरिला कीट के नियंत्रण पर सफल नहीं हुई है । राज्य सरकार बराबर पायरिला की गतिविधियों पर ध्यान रखते हुए उनका अध्ययन करके उन पर परजीवियों के प्रसार से एवं कीटनाशक दवाओं के छिड़काव से नियंत्रण पाने हेतु पूर्ण सतर्कता बरतती रही है और उसे सफलता हाथ लगी है ।

यह सही नहीं है पायरिला पर केवल परजीवियों द्वारा ही नियन्त्रण पाया गया है । जहां वैज्ञानिकों ने कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव की सलाह दी वहां छिड़काव से अन्यथा परजीवियों को आवश्यकतानुसार विकसित करके स्थिति पर समय से नियन्त्रण पाया गया है ।

इस सम्बन्ध में भारत सरकार के परजीवी केन्द्र, गोरखपुर के द्वारा जो योजना तैयार की गई है उसी के अनुसार परजीवियों के कृत्रिम प्रजनन एवं गन्ना खेतों में इनको छोड़ने की व्यवस्था की जा रही है । अतः अलग से केन्द्र स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

*4--श्री शतरुद्र प्रकाश--

[सार्वजनिक उपक्रम निगम समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

जनपद मुजफ्फरनगर में स्थित कतिपय हड्डी मिलों से प्रदूषण का फैलना

*5--श्री हरेन्द्र सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि कस्बा खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर में स्थित हड्डी मिलों से भयंकर प्रदूषण फैल रहा है ? यदि हां, तो सरकार नागरिकों के हितों की रक्षार्थ क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

खतौली (मुजफ्फरनगर) में कुछ हड्डी मिलें, जिसमें खतौली मेन्योर मिल प्रमुख हैं, कार्यरत हैं । कच्चे माल (हड्डी) के खुले में पड़े रहने तथा उत्पादन प्रक्रिया के कारण मिलों के चारों ओर दुर्गन्धपूर्ण वातावरण रहता है ।

प्रमुख मिलों को उचित शुद्धीकरण व्यवस्था प्रकर व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सहमति प्राप्त करने हेतु बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अधीन दिनांक 4 अगस्त, 1987 को मै0 खतौली मेन्योर मिल को नोटिस दी गयी है। इन उद्योगों का स्थल परिवर्तन करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु भी बोर्ड द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 1988 को लिखा गया है।

उत्तर प्रदेश सचिवालय परिसर में शिशु बिहार की सुविधा

*6--श्री शारदा प्रसाद--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों के छोटे बच्चों की देखभाल के लिए मानवता के आधार पर सचिवालय परिसर में जी0 पी0 ओ0 हजरतगंज (केन्द्र सरकार) की भांति निकट भविष्य में शिशु बिहार (क्रेच) की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं।

शिशु बिहार हेतु सचिवालय परिसर में स्थान उपलब्ध नहीं है।

युवा वर्ष में प्रदेश सरकार द्वारा युवकों की बेकारी दूर करने हेतु मुख्य कार्यक्रमों का विवरण

*7--श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि युवा वर्ष में युवा कल्याण के लिए कौन-कौन सी योजनाएं सरकार द्वारा बनाई गयी ? क्या प्रदेशीय सरकार द्वारा युवकों की बेकारी दूर करने के लिए उक्त वर्ष में नयी योजना तैयार की गयी ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

युवा वर्ष में प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये मुख्य कार्यक्रमों का संक्षेप में विवरण संलग्न है।

युवकों की बेकारी दूर करने एवं उन्हें स्वतः रोजगार स्थापित करने हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से उक्त वर्ष में 7 नये युवा केन्द्र रायबरेली, बुलन्दशहर, फतेहपुर, बिजनौर, बरेली, जौनपुर तथा नैनीताल में स्थापित करने के आदेश जारी किये गये।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 89 पर।)

उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक, संदर्भदाता तथा अवर वर्ग सहायक का स्थायीकरण

*8--श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के 1ले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 146 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश

सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक, संदर्भदाता, अवर वर्ग सहायक के जो पद इस समय पांच वर्ष या उससे अधिक अवधि से अस्थायी चले आ रहे हैं उन पदों के स्थायीकरण हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनायी जा रही है जिस कारण इन पदों को अभी तक स्पष्ट शासनादेश होने के बावजूद स्थायी नहीं किया जा सका है ? अस्थायी पदों को स्थायी किये जाने से सम्बन्धित अद्यावधिक शासनादेश की एक प्रति क्या सरकार सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 146 के संदर्भ में एक प्रश्न तृतीय सत्र 1987 के पहले मंगलवार को अतारांकित प्रश्न संख्या 138 पर पूछा गया था, जिसके उत्तर में बताया गया था कि प्रवर वर्ग सहायक अवर वर्ग सहायक एवं संदर्भदाता के क्रमशः 26, 14 तथा 6 पद 5 वर्ष की अवधि से अस्थाई हैं ।

पदों का स्थायीकरण शासन की नीतियों के अनुसार किया जा रहा है तथा प्रश्नगत पदों में से प्रवर वर्ग सहायक, अवर वर्ग सहायक एवं संदर्भदाता के क्रमशः 16, 7 तथा 4 पद स्थायी किये जा चुके हैं ।

पदों के स्थायीकरण से सम्बन्धित अन्तिम शासनादेश की एक प्रति संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 91 पर ।)

सिनेमा मालिकों द्वारा की गई हड़ताल से हुई राजकीय कोष की क्षति

*9—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि हड़ताल कर रहे सिनेमा मालिकों को क्या आश्वासन सरकार की ओर से दिया गया था ? उनकी संगत मांगों में से कितनी स्वीकार की गयी ? उक्त सिनेमा हड़ताल कितने दिन चली और राजकीय कोष को कितनी क्षति हुई है ?

वित्त तथा नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

कोई आश्वासन नहीं दिया गया है ।

मांगों पर विचारोपरान्त वे स्वीकार नहीं की गईं ।

सिनेमा हड़ताल 16 अक्टूबर, 1987 से 10 दिसम्बर, 1987 तक, कुल 56 दिन चली और इसके फलस्वरूप लगभग 10 करोड़ 65 लाख रुपये की राजस्व की हानि अनुमानित है ।

जनपद फैजाबाद में आर० ए० सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा फैले प्रदूषण का नियंत्रण

*10—श्री अचल सिंह—

क्या पर्यावरण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में ग्राम मोहार के समीप जी० टी० रोड में स्थित आर० ए० सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा जो प्रदूषण हो रहा है,

इससे सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांकित 20 जनवरी, 1988 प्राप्त हो गया है ? यदि हां,तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—,

जी नहीं, लेकिन प्रश्नकर्ता एक शिकायती-पत्र दिनांक 18 जनवरी, 1988 शासन को प्राप्त हुआ है । इस पत्र में फैक्ट्री के समीप के क्षेत्र में स्थित नहर, बगीचे तथा आबादी पर प्रदूषण की सम्भावना व्यक्त करते हुए उसे वहां पर न लगाये जाने का अनुरोध किया गया है ।

पत्र प्राप्त होने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आख्या प्राप्त की गई, प्राप्त आख्या से विदित हुआ है कि प्रश्नगत सीमेंट फैक्ट्री से जल प्रदूषण की समस्या नहीं है । इस उद्योग के निकट आम के बड़े बगीचे नहीं हैं । आम के कुछ पेड़ 5-5 या 6-6 के झुण्ड में पाये गये हैं । ग्राम माहौर सीमेंट कारखाने से 1·3 कि0मी0 दक्षिण पश्चिम में स्थित तथा उद्योग से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र 250 से 500 मीटर के बाहर है । अतः प्रदूषण की सम्भावना कम है । चूंकि उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण को रोकने हेतु समुचित शुद्धिकरण उपकरण का लगाया जाना प्रस्तावित है । अतः उद्योग द्वारा बोर्ड के मानकों के अनुरूप उत्सर्जन करने की स्थिति में समीपस्थ क्षेत्र पर कुप्रभाव पड़ने की सम्भावना कम है ।

जिला बस्ती में थाना मेहदावल के ग्राम करहना में वर्ष 1986 में हुई मुठभेड़ की जांच रिपोर्ट

*11—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में थाना मेहदावल के अन्तर्गत ग्राम करहना में वर्ष 1986 में मुठभेड़ के नाम पर 11 (ग्यारह) व्यक्तियों की पुलिस द्वारा हत्या की गई थी और उस पर सी0 आई0 डी0 की जांच का आदेश हुआ था ? यदि हां, तो क्या सी0 आई0 डी0 ने अपनी जांच रपट शासन को प्रेषित कर दी है ? यदि हां, तो किन-किन लोगों को दोषी पाया गया है तथा उनके विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्रश्नगत प्रकरण में सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश हुए थे, जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो चुकी है ।

जांच रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है । परीक्षणोपरान्त प्रभावी कार्यवाही की जायेगी ।

*12—श्री मैनेजर सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

जिला मुरादाबाद के सौगनखेड़ा मार्ग निर्माण में अर्जित भूमि के मुआवजे का भुगतान

*13—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के सौगनखेड़ा मार्ग निर्माण के लिये अर्जित भूमि के प्रतिकर का भुगतान दस वर्षों से नहीं किया जा

रहा है ? क्या इस सम्बन्ध में शासन द्वारा मुख्य अभियंता उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र सा0 नि0 वि0, बरेली को निर्देश दे दिये गये हैं कि वह व्यक्तिगत ध्यान देकर प्रश्नगत मार्गों के प्रतिकर का भुगतान शीघ्र कराया जाना सुनिश्चित करें ? यदि हां, तो भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ स्थित मोहन मीकिन्स उद्योग के द्वारा प्रदूषित उत्प्रवाह विसर्जित किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

*14--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके संयुक्त सचिव के माध्यम से लखनऊ स्थित खदरा, देवी, मक्कागंज आदि जो मोहल्ले मोहन मीकिन्स कारखाने के पास स्थित हैं उनके निवासियों द्वारा इस आशय का ज्ञापन अथवा सूचना 6 अक्तूबर, 1987 के आस-पास मिली कि मोहन मीकिन्स का प्रदूषित उत्प्रवाह बड़े टंकों में एकत्र कर वाष्पन क्रिया द्वारा गैस बनाकर नित्य रात्रि खुली हवा में विसर्जित किया जाता है जिससे कि पूरा क्षेत्र गैस चेम्बर का रूप धारण कर लेता है तथा जनता का श्वास लेना दूभर हो जाता है और गले तथा शरीर में जलन प्रतीत होती है ? यदि हां, तो मोहन मीकिन्स, लखनऊ के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो, क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

लखनऊ स्थित, रूद्रपुर खदरा, रेती बांसमंडी, मीठी खिचड़ी आदि मोहल्लों के निवासियों की ओर से जन अधिकार सुरक्षा समिति सीतापुर रोड़, लखनऊ के संयोजक श्री सैय्यद जमील अहमद का मे0 मोहन मीकिन्स उद्योग से दुर्गंध फैलने के सम्बन्ध में शिकायती पत्र दिनांक 7-10-1987 शासन को प्राप्त हुआ था । इस शिकायती पत्र में कथित शिकायतों के निवारण हेतु राज्य सरकार द्वारा उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से मे0 मोहन मीकिन्स उद्योग के द्वारा किये जा रहे प्रदूषण का अनुश्रवण कराया गया और प्रभावी कार्यवाही की गई है ।

उद्योग के लैगून्स से उत्पन्न होने वाली दुर्गन्ध गैस की रोकथाम तथा उपचार व्यवस्था तत्काल करने के लिये दिनांक 15 अक्तूबर, 1987 को उद्योग को निर्देश दिये गये थे जिसके अनुपालन में उद्योग ने लैगून्स को ढकने का कार्य कर लिया है जिससे वातावरण में फैलने वाली दुर्गन्ध में काफी कमी आयी है और इसकी मात्रा अन्तराष्ट्रीय मानकों से कम है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला मुजफ्फरनगर के किसान यूनियन नेता चौ0 महेन्द्र सिंह टिकैत तथा उनके सहयोगियों द्वारा राष्ट्रीय इन्टर कालेज, शामली, मुजफ्फरनगर के भूतपूर्व प्रधानाचार्य के साथ घटी घटना की रिपोर्ट

*15--श्री राज किशोर सिंह--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान यूनियन के नेता चौ0 महेन्द्र सिंह टिकैत, निवासी ग्राम सिसौली, मुजफ्फरनगर तथा उनके लगभग सहयोगियों द्वारा दिनांक

9 अगस्त, 1987 को राष्ट्रीय इन्टर कालेज, शामली, मुजफ्फरनगर के भूतपूर्व प्रधानाचार्य तथा उत्तर प्रदेश किसान सभा का राज्य कौंसिल के सदस्य श्री चन्द्रबली के साथ की गई गम्भीर घटना के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु श्री धर्मवीर सिंह, मंत्री जिला किसान सभा, मुजफ्फरनगर, 578 फिनझना रोड, शामली, मुजफ्फरनगर द्वारा पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को प्रेषित तत्काल तार व दिनांक 10 अगस्त, 1987 को दी गई लिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट पर तथा पुनः दिनांक 19 सितम्बर, 1987 को पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को दिये गये स्मृति-पत्र पर, जिसकी प्रतिलिपि मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, डी0 आई0 जी0 पुलिस, मेरठ जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर पृष्ठांकित की गयी है, अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जिला बांदा के कर्वी तहसील में कृषि भूमि के बैनामा में सरकार द्वारा व्यय वृद्धि की गई भूमि के बाजार मूल्य को कम किया जाना

*16--श्री राम सजीवन--

क्या संस्थागत वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की कर्वी तहसील में कृषि भूमि के बैनामा में सरकार की ओर से भूमि की बाजारी कीमत दिनांक 1 दिसम्बर, 1987 को पिछले आदेश के रेट से बढ़ाकर दो गुना से भी अधिक कर दी गयी है ? क्या यह सही है कि सन् 1981 की तुलना में यह कीमत तीन गुना से अधिक हो हो गयी है ? बैनामा में किसानों से अधिकाधिक स्टाम्प ड्यूटी वसूलने के इस वृद्धि का आधार क्या है ? क्या किसानों के हित में रेट तुरन्त घटाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक और कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह सही नहीं है कि सरकार की ओर से भूमि के बाजार मूल्य में वृद्धि की गयी है । कृषि भूमि के प्रचलित मूल्य को आधार मानकर स्टाम्प नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी, बांदा द्वारा बाजार मूल्य निर्धारित किया गया है । वर्ष 1981 की तुलना में वर्ष 1987 में भूमि के बाजार मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि हुई है, अतः किसानों एवं जन-साधारण से भूमि के प्रचलित मूल्य के अनुसार ही स्टाम्प शुल्क लिया जा रहा है । किसी विशेष वर्ग पर अधिक स्टाम्प शुल्क आरोपित करने का आरोप निराधार है तथा स्टाम्प शुल्क वर्तमान दरों में परिवर्तन करना सम्भव नहीं है ।

जिला फैजाबाद में स्वीडन के आठ नागरिकों को दिए गए आर्म्स लाइसेन्स को निरस्त किए जाने की कार्यवाही

*17-श्री फजलुल बारी--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि स्वीडन गणराज्य के आठ नागरिकों को 13 अप्रैल, 1982 से 30 अक्तूबर, 1985 के बीच 13 अप्रैल, 1982, 8 अक्तूबर, 83 4 नवम्बर, 84 और 30 अक्तूबर, 85 को जनपद फैजाबाद में बन्दूक राइफल तथा

रिवाल्वर के लाइसेन्स दिए गए हैं ? यदि हां, तो विदेशी नागरिकों को आर्म्स लाइसेन्स किस आधार पर दिए गए हैं ? क्या सरकार उन लाइसेन्सों को निरस्त करेगी और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न उल्लिखित अवधि में जनपद फैजाबाद में स्वीडन गणराज्य के किसी नागरिक को शस्त्र लाइसेन्स नहीं दिया गया है ।

उक्त अवधि में ऐसे दो व्यक्तियों (एक महिला सहित) को पिस्तौल एवं बन्दूक का लाइसेन्स दिया गया है, जो इस समय स्वीडन में रह रहे हैं । इन्हें स्वीडन की नागरिकता प्राप्त नहीं है । उनके आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्सो के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है ।

ओरियंटल कार्बन केमिकल्स लि0, गाजियाबाद के स्थानान्तरण पर विचार

*18-श्री महेन्द्र भाटी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ओरियंटल कार्बन केमिकल्स लि0 गाजियाबाद से जो कार्बन प्रतिदिन धुएं के रूप में निकलता है उससे ग्राम चिपियाना मिलक, डुन्डाहेडा, इटेडरा, शहबेरी आदि में इस कार्बन से हजारों लोग बीमारी के शिकार हैं ? यदि हां, तो क्या शासन इस इकाई के स्थानान्तरण पर विचार करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

ओरियंटल कार्बन कैमिकल्स लि0, गाजियाबाद उद्योग द्वारा कार्बन ब्लैक का उत्पादन किया जाता है जिसे एकत्रित करने के लिए बैग फिल्टर तकनीक का उपयोग किया जाता है । उद्योग द्वारा वातावरण में उत्सर्जित की जाने वाली कार्बन की मात्रा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्धारित मानकों के अन्दर पाई गई है ।

अतः इससे हजारों लोगों के बीमार होने की सम्भावना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के नगरों में बढ़ते हुए ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी कार्यवाही

*19-श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के नगरों में बढ़ते हुए ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाया जा रहा है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई विधेयक शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह विधेयक कब तक लाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

परिवहन विभाग द्वारा वाहनों में प्रेशर हार्न पर प्रतिबन्ध लगाया गया है । शहरों में लाउडस्पीकरों पर नियंत्रण स्थानीय निकायों तथा पुलिस द्वारा किया जाता है ।

केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-6 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषक तत्वों, जिसमें ध्वनि प्रदूषण भी सम्मिलित है, की अनुज्ञेय अधिकतम सीमा निर्धारित करने हेतु नियम बनाने का अधिकार है। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा गठित समिति की संस्तुतियां सुझाव देने हेतु प्राप्त हुई हैं। इन संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार को निर्णय लेना है।

*20-श्री अशोक बाजपेई--

[सार्वजनिक उपक्रम समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

अतारांकित प्रश्न

1-2-डा0 शिवानन्द नौटियाल--

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित]

3-श्री शारदा नन्द अंचल--

[5वें सोमवार में अतां0 प्र0 सं0 71 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में कृषक व कृषि श्रमिक वर्ग का प्रतिशत एवं आगामी पंच वर्षीय योजना में उक्त प्रतिशत को घटाया जाना

4-श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक पंच वर्षीय योजना के पूर्व तथा अन्त में प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर अपने रोजगार के लिए आधारित थी? क्या प्रस्तावित आगामी योजना में इस प्रतिशत को घटाने का कोई लक्ष्य है? यदि हां, तो क्या?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

पंचवर्षीय योजनावार कृषि पर अपने रोजगार के लिए आधारित जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जनगणना के आधार पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कृषक व कृषि श्रमिक वर्ग का कुल जनसंख्या से प्रतिशत निम्न प्रकार है:--

वर्ष	प्रतिशत
1951	32.5
1961	29.4
1971	23.9
1981	21.8

प्रस्तावित आगामी आठवीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा अभी नहीं बनी है।

वर्ष 1987-88 में जिला मेरठ व गाजियाबाद के बन्थला-ढिकौली मार्ग की मरम्मत पर व्यय

5-श्री रिछपाल सिंह बंसल--

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987-88 में जनपद मेरठ व गाजियाबाद के अन्तर्गत बन्थला ढिकौली मार्ग पर मरम्मत कराने में शासन द्वारा कितना रुपया खर्च किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 30 कि0 मी0 है जिसमें से केवल 26.70 कि0 मी0 का भाग सा0 नि0 विभाग के अधीन है जिसकी मरम्मत पर सा0 नि0 विभाग द्वारा वर्ष 1987-88 में 2/88 तक 2.06 लाख रुपया व्यय किया गया है।

6-श्री कुशल पाल सिंह--

[5वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 74 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

7-श्री यदुनाथ सिंह--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

8-श्री यदुनाथ सिंह--

[5व मंगलवार के लिए स्थगित]

9-श्री यदुनाथ सिंह--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

बिक्रीकर कार्यालयों के एक साथ नवीन भवन में स्थापित करने का मांग

10-श्री यदुनाथ सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के सातवें मंगल के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 103 के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे पत्र संख्या 87 म मांगे गये बिन्दुओं पर जानकारी अभी तक न देने का क्या कारण है ? पत्र संख्या 1428 में जो आरोप लगाये गये थे उन आरोपों की कोई जांच कराई गयी ? यदि हां तो जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, विधायक को उनके पत्र संख्या 1428, दिनांक 19 नवम्बर, 1984 एवं पत्र संख्या 87, दिनांक 5 सितम्बर, 1985 का उत्तर शासन के पत्र संख्या बि0 क0-4-49 ज0 प्र0/दस-88-5 ए0 क्यू0/88, दिनांक 14 मार्च, 1988 द्वारा दे दिया गया है।

जिला प्रतापगढ़ के थाना मान्धाता के पुलिस द्वारा दर्ज किये गये अपराधों की जांच

11-श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद के मान्धाता थाने के पुलिस कर्मियों द्वारा आख्या (कंसोलमेंट) और कम करके दर्ज किये गये अपराधों की

(एन्टीकरप्शन) शासन के द्वारा जांच के लिये श्री संगम लाल शुक्ल पूर्व विधायक का पत्र दिनांक 13 अक्तूबर, 1987 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती-पत्र की जांच के आदेश दिये गये हैं । जांच अभी प्रचलित है ।

12-डा0 दिनेश जौहरी--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

बरेली नगर में शाहजांहपुर रोड को रामपुर रोड से जोड़ने के लिये बाई-पास बनाया जाना

*13--डाक्टर दिनेश जौहरी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बरेली नगर के बीच में भारी वाहनों के गुजरने से घन्टों मुख्य मार्ग अवरुद्ध रहते हैं और दुर्घटनायें भी दिन ब दिन बढ़ रही हैं ? यदि हां, तो उक्त समस्या को देखते हुये क्या मंत्री जी बरेली नगर में शाहजहांपुर रोड को रामपुर रोड से जोड़ने के लिये बाईपास बनाने के तुरन्त आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

यतायात को मुख्य मार्ग से गुजरने में कुछ अवरोध उत्पन्न होता है ।

जी हां ।

जी नहीं ।

शाहजहांपुर से बरेली नगर होते हुये रामपुर जाने वाला मार्ग राष्ट्रीय मार्ग है जो भारत सरकार, परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन है । अतः प्रश्नगत बाईपास बनाने की स्वीकृति भी उन्हीं के अधीन है जिसका प्राविधान किसी योजना में नहीं है ।

*14-डा0 दिनेश जौहरी--

[दिनांक 15-7-87 को अता0 प्र0 सं0 126 द्वारा उत्तरित]

जिला रामपुर के गन्ना विकास समिति के सचिव द्वारा गन्ने के स्प्रे हेतु फर्जी ठेकेदरों को दिये गये ठेके की जांच

*15--डाक्टर दिनेश जौहरी--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986 में जनपद रामपुर में गन्ना विकास समिति के सचिव ने गन्ने के स्प्रे हेतु फर्जी ठेकेदरों को ठेके दिये हैं जिससे एक ओर सरकार को आर्थिक क्षति हुई है एवं दूसरी ओर स्प्रे ठीक न होने के कारण गन्ने की फसल को नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस प्रकरण की जांच कराई गयी तथा दोषी अधिकारियो को दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

वर्ष 1986 में जनपद रामपुर में गन्ना विकास समिति के सचिव ने गन्ने के स्प्रे हेतु कोई ठेका नहीं दिया गया। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

16--श्री धनराज यादव--

[दिनांक 29-12-87 को अता0 प्र0 सं0 67 द्वारा उत्तरित]

जिला लखीमपुर खीरी के निवर्तमान प्रधान प्रबन्धक सहकारी चीनी मिल सम्पूर्णा नगर द्वारा की गयी नियुक्तियों की जांच

*17--श्री धनराज यादव--

क्या चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन व सहकारी चीनी मिल संघ के बिना पूर्व स्वीकृत के ही निवर्तमान प्रधान प्रबन्धक, सहकारी चीनी मिल संपूर्णानगर, जनपद लखीमपुर खीरी ने अनेकों नियुक्तियां कर राजाज्ञा की अवज्ञा की है ? यदि हां, तो दोषी प्रधान प्रबन्धक के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

निवर्तमान प्रधान प्रबन्धक सहकारी चीनी मिल सम्पूर्णा नगर द्वारा की गयी नियुक्तियां की जांच करायी जा रही है।

जिला इलाहाबाद के 52 ड्रमण्ड रोड स्थित इण्टर स्टेट प्रापर्टी के प्रबन्धकर्त्ता द्वारा कोठी के सम्बन्ध में सौदा किया जाना तथा उक्त कोठी के किरायेदारों द्वारा आग लगाये जाने की जांच

18--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगदीश मोहन पन्त इण्टर स्टेट प्रापर्टी एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल उ0 प्र0 इलाहाबाद स्थित 52 ड्रामार्ड रोड स्थित इण्टर स्टेट प्रापर्टी जिसका मालिकाना हक राज्य सरकार को है और उसके प्रबन्धकर्त्ता श्री पन्त हैं, ने श्री बृजभूषण पाल से उक्त कोठी के संदर्भ में कोई सादेबाजी किया है ? क्या यह सही है कि मा0 उच्च न्यायालय के स्थगनादेश के बाद भी इस वर्ष मकान के किरायेदार श्रीमती शारदा चौहान की संपत्ति को मकान में आग लगाकर नष्ट कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जी नहीं।

प्राप्त सूचनानुसार आगजनी की घटना के सम्बन्ध में श्रीमती शारदा चौहान द्वारा थाना कैन्ट में एक अभियोग अन्तर्गत धारा 436/427 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत कराया गया है जिसकी जांच अपराध अनुसंधान विभाग को अभिदिष्ट कर दी गयी है।

रिमोट सेसिंग एप्लीकेशन सेन्टर द्वारा घाघरा गंडक परियोजना के अन्तर्गत प्राकृतिक संसाधनों के एकीकृत सर्वेक्षण की जानकारी

19--श्री हर्ष वर्धन--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रिमोट सेसिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर उ0 प्र0 की ओर से घाघरा गंडक नदी क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का एकीकृत सर्वेक्षण करवाया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त जानकारी से सदन को अवगत कराया जायेगा ?

श्रीमती दीपा—

रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर ने भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रायोगिकी विभाग के तत्वावधान में चलाई गई घाघरा गंडक परियोजना के अन्तर्गत प्राकृतिक संसाधनों का एकीकृत सर्वेक्षण उपग्रहीय एवं वायुवीय तकनीक के उपयोग से आंशिक रूप से सम्पादित कर लिया है। सर्वेक्षण पूर्ण होने के उपरान्त ही उक्त प्रयोजना सम्बन्धित जानकारी दी जा सकेगी।

गोरखपुर जनपद में ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षकों का मिल के रिहायशी मकानों में निवास

20—श्री हर्षवर्धन

प्रथम सत्र 1986 के चौथे मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के उत्तर के संदर्भ में क्या गन्ना मंत्री बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में बिना किराया के मिलों के रिहायशी मकानों में कहां—कहां ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक रहते हैं ? साथ ही बिना किराया मकानों में रहने के कारण उनसे मांगे गए स्पष्टीकरण के पश्चात् उनके विरुद्ध क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रथम सत्र 1986 के चौथे मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के उत्तर के संदर्भ में स्थिति यह है कि गोरखपुर जनपद के चीनी मिल आनन्द—नगर, धुघली तथा सरदारनगर में जो तीन ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक बिना किराया के रिहायशी मकानों में रह रहे में सभी ने संबंधित चीनी मिलों द्वारा निर्धारित दरों पर किराये का भुगतान कर दिया है। उनसे मांगे गये स्पष्टीकरण के पश्चात् उनके द्वारा चीनी मिलों द्वारा निर्धारित दरों पर किराया का भुगतान कर देने के कारण उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का औचित्य नहीं पाया गया।

गणेश शुगर मिल आनन्दनगर, गोरखपुर स्थित चेहरी एंव बागापार फार्म से गन्ने की सीधी आपूर्ति

21—श्री हर्षवर्धन—

प्रथम सत्र 1986 के चौथे मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 44 के उत्तर के संदर्भ में क्या गन्ना मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि विगत तीन वर्षों से गन्ना विभाग द्वारा गणेश शुगर मिल आनन्दनगर, गोरखपुर के सुरक्षित क्षेत्र में स्थित चेहरी एवं बागापार फार्म के गन्ने का जो सर्वेक्षण कराया गया है उसका पूर्ण विवरण क्या है ? साथ ही उसके पूर्व सर्वेक्षण के सम्बन्ध में चीनी मिल द्वारा की गई आपत्ति लिखित थी अथवा मौखिक और आपत्ति के चलते किस अधिकारी ने सर्वेक्षण कार्य न कराए जाने का निर्णय किया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विगत तीन वर्षों में विभाग द्वारा गणेश शुगर मिल, आनन्दनगर, गोरखपुर के सुरक्षित क्षेत्र में स्थित चेहरी एवं बागापार फार्म के गन्ने का कराया गया सर्वेक्षण का विवरण निम्नवत् है :—

(1) चेहरी फार्म—

वर्ष	गन्ना क्षेत्रफल (एकड़ में)		
	पौधा	पेड़ी	योग
1984-85	206.02	131 74	337.76
1985-86	227.08	106.90	333.98
1986-87	195.05	144.55	339.60

(2) बागापार फार्म—

वर्ष	गन्ना क्षेत्रफल (एकड़ में)		
	पौधा	पेड़ी	योग
1984-85	42.74	30.04	72.78
1985-86	29.04	41.70	70.74
1986-87	40.32	39.53	79.85

प्रश्न के शेष भाग के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

22—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

23—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित]

प्रदेश के निलम्बित अधिशासी अभियन्ताओं एवं सहायक अभियन्ताओं की बहाली

24—श्री विक्रमादित्य पाण्डे तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कुल कितने अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता हैं जिन्हें निलम्बित हुए एक वर्ष से अधिक हो गया है । क्या उनकी निलम्बन अवधि को देखकर शासन के आदेश के अनुसार शीघ्र बहाल करने का आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

'दशानन' हिन्दी साप्ताहिक, काशीपुर जिला नैनीताल के लखनऊ प्रतिनिधि श्री दिनेश कुमार को जिला मुरादाबाद थाना चदौसी के थानाध्यक्ष द्वारा उत्पीड़ित करने की शिकायत

25—श्री अकबर अहमद (डम्पी)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 'दशानन' हिन्दी साप्ताहिक काशीपुर जनपद नैनीताल के लखनऊ प्रतिनिधि को श्री दिनेश कुमार शर्मा का शिकायती पत्र थाना चदौसी जनपद मुरादाबाद के थानाध्यक्ष द्वारा उन्हें तथा उनके परिवार को उत्पीड़ित किए जाने के सम्बन्ध में माह सितम्बर, 1987 में उन्हें प्राप्त हुआ था एवं इसकी प्रतियां जिलाधिकारी मुरादाबाद तथा पुलिस महानिदेशक को भी भेजी गई थीं ? यदि हां, तो पत्र पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गई ? क्या उक्त पत्रकार एवं उसके परिवार को सुरक्षा के उपाय किए गए एवं सम्बन्धित थानाध्यक्ष के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

'दशानन' हिन्दी साप्ताहिक, काशीपुर जनपद नैनीताल के लखनऊ प्रतिनिधि श्री दिनेश कुमार शर्मा का प्रश्नगत शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ। जांच से श्री दिनेश कुमार शर्मा द्वारा लगाए गए आरोप सही नहीं पाये गए। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जिला इटावा के थाना इकदिल के थानाध्यक्ष श्री अर्जुन सिंह को चिकित्सा हेतु आर्थिक सहायता

26—श्री अचल सिंह—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इटावा के थाना इकदिल के अन्तर्गत दिनांक 19/20 जनवरी, 1986 को पुलिस व दस्यु गैंग बहरा के बीच मुठभेड़ में तत्कालीन थानाध्यक्ष इकदिल श्री अर्जुन सिंह गम्भीर रूप से घायल हुए थे ? यदि हां, तो क्या श्री अर्जुन सिंह ने चिकित्सीय सुविधा प्राप्त करने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र कानपुर को प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो क्या उन्हें चिकित्सा सुविधा के अन्तर्गत धनराशि दी गई ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां।

प्राप्त सूचनानुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री सिंह ने एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 10 दिसम्बर, 1986 को ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के कार्यालय में दिया था जिसमें चिकित्सा में 16,000 रु0 खर्च हो जाने का उल्लेख करते हुए आर्थिक सहायता किये जाने का अनुरोध किया गया था। इस प्रार्थना-पत्र में उन्होंने दवाओं का बिल/रसीद/बाउचर आदि संलग्न नहीं किया था, जिसके लिए उनसे अनुरोध किया गया है, परन्तु श्री अर्जुन सिंह द्वारा अभी तक प्रयोग की गई दवाओं की रसीदें/बिल/बाउचर आदि नहीं उपलब्ध कराया गया है, जिसके कारण कोई धनराशि नहीं दी गई है।

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश शासन गृह अनुभाग-8 के कान्सटिबिल श्री सुरेन्द्र पाल सिंह की भेजी गई चरित्र पंजिका को उपलब्ध कराया जाना

27--श्री बाबू सिंह--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन गृह अनुभाग-8 को क्या उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद का पत्र 6-150-74, दिनांक 2 मार्च, 1977 को प्राप्त हुआ था जो कान्सटिबिल सुरेन्द्र पाल सिंह नं0 844 द्वारा दिनांक 3 फरवरी, 1973 को थाना बडगांव जनपद सहारनपुर में सशस्त्र डाकुओं से मुठभेड़ करके डाकू बारू सिंह को मारने के आधार पर पुलिस पदक प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है ? क्या यह सही है कि उक्त पत्र के साथ इनकी चरित्र पंजिका भी भेजी गई थी जो आज तक नहीं प्राप्त हुई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद का पत्र दिनांक 2 मार्च, 1977 प्राप्त हुआ था किन्तु उसके साथ कान्सटेबिल सुरेन्द्र पाल सिंह की चरित्र पंजिका नहीं भेजी गई थी। उक्त चरित्र पंजिका ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारपुर के यहां से उक्त तिथि के उपरान्त ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के कार्यालय को अभिलेख हेतु भेजी गई थी। भरसक प्रयास के बावजूद उक्त चरित्र पंजिका ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पायी है। खोज का प्रयास किया जा रहा है।

राज्य योजना आयोग द्वारा लेखन सामग्री क्रय किये जाने पर आपत्ति

28--श्री राम लाल--

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य योजना आयोग के उपयोगार्थ लेखन सामग्री की सप्लाई सचिवालय प्रशासन विभाग के लेखन सामग्री अनुभाग द्वारा की जाती है ? यदि हां, तो राज्य योजना आयोग द्वारा लेखन सामग्री का क्रय क्यों किया जाता है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

जी हां, लेकिन सचिवालय प्रशासन विभाग से आवश्यकतानुसार लेखन सामग्री की आपूर्ति न किये जाने एवं निर्धारित सीमा से अधिक से अधिक लेखन सामग्री की आवश्यकता पड़ने पर अपरिहार्य परिस्थिति में क्रय किया जाता है।

जिला बाराबंकी की रारी नदी पर सेतु निर्माण

29--श्री राम सागर--

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के बाराबंकी सुबेहा वाया देवीगंज सिद्धौर मार्ग पर घटमापुर घाट पर रारी नदी में सेतु निर्माण निगम द्वारा पुल का निर्माण पिछले 1 वर्ष से प्रारम्भ है ? यदि हां, तो पुल का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

सेतु का निर्माण कार्य जून, 1988 तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

बागपत सहकारी चीनी मिल, मेरठ द्वारा 1985-86 में क्रय किये गये कोयले व पत्थर का विवरण

30--श्री राजेन्द्र शर्मा--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 के सीजन में बागपत, मेरठ चीनी मिल द्वारा कुल कितना कोयला व पत्थर खरीदा गया ? कोयले तथा पत्थर की दरें अलग-अलग क्या थीं ? कुल कितना भुगतान किया गया ? खरीदने वाला सक्षम अधिकारी कौन था ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बागपत सहकारी चीनी मिल, मेरठ वर्ष 1985-86 के सीजन में निम्नलिखित मात्रा में कोयला (हाड कोक) व पत्थर क्रय किया गया :

(1) कोयला (हार्ड कोक) 942.125 मी0 टन ।

(2) पत्थर (लाइम स्टोन) 5,688.84 मी0 टन । कोयले तथा पत्थर की दरें निम्नलिखित थी :--

(1) कोयला (हार्ड कोक) 1,190 रुपये प्रति मी0 टन ।

(2) पत्थर (लाइम स्टोन) की दरें निम्नलिखित थी :--

(अ) 4,803.35 मी0 टन की दर 234 रु0 प्रति मी0 टन (ट्रक भाड़ा सहित) ।

(ब) 196.54 मी0 टन की दर 235 रु0 प्रति मी0 टन ।

(स) 688.95 मी0 टन की दर 294.05 रु0 प्रति मी0 टन (सेल्स टैक्स, ट्रक भाड़ा एवं लोडिंग सहित कोयले एवं पत्थर के भुगतान की स्थिति निम्नलिखित है :

(1) कोयला (हार्ड कोक) का कुल मूल्य 11,01,962.44 रुपये जिसमें से 10,67,296.24 रुपये का भुगतान किया जा चुका है ।

(2) पत्थर (लाइम स्टोन) का कुल मूल्य 13,91,806.31 रुपये हुआ जिसमें से 12,35,787.10 रुपये का भुगतान किया जा चुका है ।

उक्त कोयला एवं पत्थर आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने एवं प्रशासक के अनुमोदन के पश्चात मिल समिति द्वारा क्रय किया गया ।

31 से 33--श्री मोहम्मद रिजवानुल हक--

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिये गये] ।

राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग) में अवर/प्रवर वर्ग सहायक के पदों को विज्ञापित कर भर्ती किया जाना

34--श्री जगमोहन सिंह यादव--

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग) के अवर/प्रवर वर्ग सहायक श्रेणी के पदों को छोड़कर शेष सभी श्रेणी के पदों के विज्ञापन/सेवायोजन से नाम मंगाकर सीधी भर्ती की गयी है ? यदि हां, तो अवर/प्रवर वर्ग सहायक के पदों को विज्ञापित कर भर्ती की कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

जी हां ।

अवर/प्रवर वर्ग सहायक के पदों को विज्ञापित कर भर्ती की कार्यवाही सेवा नियमावली/कार्यकारी आदेश के अभाव में, नहीं की जा सकी है ।

35--श्री जगमोहन सिंह यादव--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]।

राज्य योजना आयोग में सचिवालय प्रशासन विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों के उच्चीकृत वेतनमान में हुई विसंगति

36--श्री जगमोहन सिंह यादव--

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य योजना आयोग में सचिवालय प्रशासन विभाग के कुल कितने कर्मचारी/अधिकारी हैं जिनको सचिवालय का उच्चीकृत वेतनमान/विशेष वेतन तथा सचिवालय भत्ता का लाभ नहीं मिलता है और क्यों ? जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है इसका उत्तरदायित्व किस अधिकारी पर है ? क्या दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

राज्य योजना आयोग में सचिवालय सेवा के कुल 8 कर्मचारी निःसम्वर्गीय पदों पर कार्यरत हैं जिसमें से दो कर्मचारियों ने यह लिखकर दे दिया है कि राज्य योजना आयोग में उनका संविलियन कर लिया जाय । एक कर्मचारी अपने सचिवालय सेवा के संवर्गीय पद से ऊंचे वेतनमान में है तथा एक कर्मचारी अपने समकक्ष वेतनमान में है । 4 कर्मचारियों का वेतनमान, सचिवालय सेवा संवर्ग के कर्मचारियों के वेतनमान पूर्वगामी तिथि 1 दिसम्बर, 1985 से उच्चीकृत होने के कारण, कम हो गया है । सचिवालय संवर्ग के जिन कर्मचारियों को विशेष भत्ता/सचिवालय भत्ता मिलता है राज्य योजना आयोग में कार्यरत सचिवालय संवर्ग के उन कर्मचारियों को इससे हो रही क्षति की प्रतिपूर्ति राज्य योजना आयोग द्वारा की जाती है । वेतनमान में हुई विसंगति के फलस्वरूप हो रही आर्थिक क्षति का उत्तरदायित्व किसी अधिकारी पर नहीं है इसलिये किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग) में संदर्भदाता/पी0 ए0/अवर/प्रवर सहायक/अनुभाग अधिकारी तथा शोध अधिकारी के रिक्त पदों पर प्रोन्नति

37--श्री जगमोहन सिंह यादव--

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग) में विभिन्न श्रेणी के कितने पदों पर कुछ कर्मचारियों की स्थानापन्न प्रोन्नति की गया है ? यदि हां, तो संदर्भदाता/पी0 ए0/अवर/प्रवर वर्ग सहायक/अनुभाग अधिकारी तथा शोध अधिकारी के रिक्त पदों पर विभाग में कुछ अर्ह कर्मचारियों की स्थानापन्न प्रोन्नति न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

जी हां, 20 पदों पर स्थानापन्न प्रोन्नति की गयी है । पी0 ए0 के सभी पद सीधी भर्ती कोटा के हैं । संदर्भदाता अनुभाग अधिकारी के पद पर कोई कर्मचारी अर्ह न होने, प्रवर वर्ग सहायक तथा अवर वर्ग सहायक का पदोन्नति कोटा का कोई पद रिक्त

न होने के कारण स्थानापन्न प्रोन्नति का प्रश्न ही नहीं उठता। शोध अधिकारी के पद पर स्थानापन्न प्रोन्नति कर दी गई है।

जिला बाराबंकी में जहांगीराबाद रोड से बहादुरपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण

38--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी वि0 खं0 बंकी में जहांगीराबाद रोड से बहादुरपुर सम्पर्क मार्ग ग्राम बैंधोली होते हुये निर्माण हेतु सन् 1984 में स्वीकृत हुआ था और उसके लिये तहसीलदार नवाबगंज द्वारा 2 जनवरी, 1986 को आवश्यक भूमि भी अर्जित कर ली गयी है ? यदि हां, तो इस मार्ग का अब तक निर्माण न किये जाने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि सम्बन्धित सहायक अभियंता ने इस मार्ग को न बनाने तथा दूसरी ओर से सड़क निकलवाने हेतु कोई प्रस्ताव ऊपर शासन को भेजा है ? यदि हां, तो उसका क्या औचित्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

जी हां।

संरेखण में विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण मार्ग का निर्माण नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त बहादुरपुर ग्राम को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत एक अन्य मार्ग से जोड़ दिया गया है अतः प्रश्नगत मार्ग के निर्माण की अब आवश्यकता नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

39--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

[5 वें मंगलवार के लिए स्थगित]

श्री राम शरण पुत्र (छेदी लाल) फतेहपुर द्वारा थाना खागा में की गई लिखित शिकायत पर कार्यवाही

40--श्री राम सजीवन--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रामशरण पुत्र छेदी लाल (चमार) हरिजन खागा, फतेहपुर ने 24 अप्रैल, 1987 को थाना खागा में लिखित शिकायत की थी कि थाने के एक दरोगा व सिपाहियों ने उनके घर में घुसकर उनके भाइयों व उनको डन्डों-जूतों से मारा-पीटा तथा औरतों को बेइज्जती किया ? क्या उन्होंने 27 अप्रैल, 1987 को पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी फतेहपुर को भी प्रार्थना-पत्र देकर उक्त पुलिस जनों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या श्री राम शरण व उनके भाई श्री शिवराम ने 25 अप्रैल, 1987 को चोटों का डाक्टरी मुआइना कराया था और उसकी प्रतियां भी पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी के पास भेजी हैं ? यदि हां, तो पुलिस अत्याचार व हरिजन उत्पीड़न के इस मामले में क्या कोई कार्यवाही शीघ्र की जायेगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 24 अप्रैल, 1987 को श्री राम दास पुत्र शिवरतन व छेदी लाल पुत्र झूरी के बीच भूमि सम्बन्धी विवाद एवं मारपीट हुई। इस विवाद के

बीच में ही उप निरीक्षक श्री परमहंस मिश्र अन्य कर्मचारीगण के साथ मौके पर पहुंच गये तथा शान्तिभंग की सम्भावना को देखते हुए दोनों पक्षों को धारा 151 द0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया । एक प्रार्थना-पत्र राम सरन पुत्र छेदी हरिजन नि0 गढ़ी हरिजन बस्ती द्वारा थाना खागा, फतेहपुर में दिया गया था, जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी द्वारा की गयी । जांच से प्रार्थना-पत्र में लगाए गए आरोप निराधार पाये गये। जांच से यह भी विदित हुआ कि इन लोगों को चोटें आपसी मारपीट के बीच आयी थी ।

अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बांदा स्टेडियम का निर्माण पूरा करके खेलकूद विभाग को हस्तान्तरित किया जाना

41—श्री राम सजीवन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 17 अगस्त, 1986 को राज्य मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बांदा स्टेडियम का निरीक्षण करने के उपरान्त अभियन्ताओं को यह निर्देश दिये थे कि 31 दिसम्बर, 1986 तक निर्माण कार्य को पूरा कराकर खेलकूद विभाग को हस्तान्तरित करा दिया जाये किन्तु अभियन्ताओं ने उनके आदेशों पर कोई भी कार्यवाही नहीं की ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

तत्कालीन राज्य मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निरीक्षणोपरान्त बांदा स्टेडियम के सम्बन्ध में कथित निर्देश दिये गये थे । इसी बीच निर्माण कार्य के दौरान अक्तूबर, 1986 में स्टेडियम की दीवारों में दरारें देखी गई जो जांचोपरान्त स्टेडियम के मूल परिकल्पना में त्रुटि के कारण पाई गई। तदनुसार कार्य की परिकल्पना तथा आगणन दुबारा बनाया जाना पड़ा और स्टेडियम का निर्माण कार्य 31 दिसम्बर, 1986 तक पूर्ण किया जाना सम्भव न हो सका । बांदा स्टेडियम का निर्माण पूरा करके स्टेडियम के हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र खेलकूद विभाग को 31 दिसम्बर, 1987 को भेजे जा चुके हैं । त्रुटिपूर्ण परिकल्पना करने हेतु दोषी अभियंता के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

बांदा स्टेडियम निर्माण की दीवारों में दरार पड़ने से दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही

42—श्री राम सजीवन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि माह अप्रैल 1986 से फरवरी, 1987 तक बांदा स्टेडियम निर्माण में प्रत्येक माह कितना-कितना धन व्यय किया गया ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि स्टेडियम के पैवेलियन भवन की दीवारों में दरारें पड़ गयी हैं ? यदि हां, तो सरकार ने दोषी अभियन्ताओं के सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

तालिका संलग्न है ।

जी हां ।

दोष हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा चुका है और हुयी हानि की वसूली सम्बन्धित अभियन्ता से किये जाने की औपचारिक कार्यवाई की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 93 पर)

43—श्री अकबर हुसैन बाबर—

[दिनांक 8 मार्च, 1988 को अता0 प्र0 सं0 81 द्वारा उत्तरित]

अवैतनिक होमगार्ड्स/अधिकारियों के ड्यूटी भत्ते में समानता

44—श्री राज किशोर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में अवैतनिक होमगार्डों और अवैतनिक होमगार्ड अधिकारियों के प्रतिदिन मिलने वाले भत्ते की धनराशि समान है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में शासन पुनर्विचार करेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

होमगार्ड संगठन में अवैतनिक होमगार्डों और अवैतनिक होमगार्ड अधिकारियों के लिए भारत सरकार द्वारा ड्यूटी भत्ते की समान दर स्वीकृत है । अवैतनिक कम्पनी कमान्डर/प्लाटून कमान्डर को क्रमश: 100 रुपये एवं 50 रुपये प्रति माह की दर से मानदेय का भी भुगतान किया जाता है, जो होमगार्ड स्वयं सेवकों को नहीं मिलता ।

अवैतनिक होमगार्ड्स अधिकारियों के ड्यूटी भत्ते को बढ़ाने के सम्बन्ध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

जनपद बांदा में बन्धुआ मजदूरी के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा विव0 वि0 स0 के पत्र पर कार्यवाही

45—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के दिनांक 14 जुलाई, 1987 के पत्र संख्या 256 तथा 258 श्री चुनबाद हरिजन, ग्राम बदुलिया पुरवा (गिरवां) तथा श्री मोहन हरिजन, ग्राम गिरवां दोनों थाना गिरवां, जनपद बांदा के संलग्न पत्रों के साथ बन्धुआ मजदूरी के सम्बन्ध में प्राप्त हुए ? यदि हां, दोनों संलग्न पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वर्ष 1986-87 में पेरोल पर रिहा किये गये बन्दियों की संख्या

46—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1986-87 के दौरान कितने बन्दियों को पेरोल पर रिहा किया गया ? सबसे ज्यादा पेरोले किस विधायक की संस्तुति पर स्वीकार की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1986-87 में 94 बंदियों को पेरोल पर मुक्त किया जिसमें से 19 बंदियों को सम्बन्धित जिला मैजिस्ट्रेट एवं मंडलायुक्तों द्वारा पेरोल पर मुक्त किया गया । सबसे ज्यादा पेरोल की संस्तुति करने वाले विधायक के बारे में बताना जनहित में न होगा ।

47 से 50—श्री यदुनाथ सिंह—

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित]

लखनऊ स्थित स्पोर्ट्स कालेज के ध्यान चन्द्र स्टेडियम में लगायी गयी कृत्रिम घास (एस्ट्रोटर्फ) पर व्यय की गयी धनराशि

51--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या खेलकूद मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित स्पोर्ट्स, कालेज, ध्यानचन्द स्टेडियम में जो कृत्रिम घास (स्ट्रोटर्फ) हाल में ही लगायी गयी है उस पर कुल कितना रुपया खर्च हुआ ? क्या इस धन में कुछ अंश भारत सरकार से भी मिला है अथवा राज्य सरकार ने ही पूरा भार वहन किया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

लखनऊ स्थित स्पोर्ट्स कालेज के ध्यान चन्द स्टेडियम में लगायी गयी कृत्रिम घास (एस्ट्रोटर्फ) पर रु0 80.78 लाख अभी तक व्यय हो चुका है। भारत सरकार से रु0 44.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

झांसी जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन का पुनर्निर्माण

52--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले के एरच कस्बे में सार्वजनिक निर्माण विभाग का पुराना निरीक्षण भवन गिरवा दिया गया है ? यदि हां, तो उसके स्थान पर नया निरीक्षण भवन बनाये जाने का कार्य कब से प्रारम्भ किया जायेगा ? क्या मंत्री जी वर्ष 1988-89 में एरच निरीक्षण भवन बनाये जाने के आदेश करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। आवश्यकता न होने के कारण नया निरीक्षण भवन बनाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। प्रश्न नहीं उठता है।

जिला मत्स्य विभाग, बरेली के मृतक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पेंशन ग्रेच्युटी का भुगतान

53--डा0 दिनेश जौहरी--

क्या मत्स्य विकास मंत्री को जानकारी है कि श्री रामचन्द्र, जो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर मत्स्य विभाग बरेली में कार्यरत थे, का देहान्त 29 सितम्बर, 1980 को हो गया था किन्तु अभी तक उनकी पेंशन ग्रेच्युटी व अन्य लाभों का भुगतान नहीं किया गया है एवं उनके पुत्र भोलानाथ की नियुक्ति उनके स्थान पर नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी स्व0 रामचन्द्र के परिवार को समस्त लाभ एवं उनके पुत्र की नियुक्ति तत्काल कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मत्स्य राज्य मन्त्री (श्री सीता राम निषाद)--

जी हां।

श्री रामचन्द्र के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के उपरान्त दिनांक 30 अक्टूबर, 1971 से उनकी सेवायें समाप्त कर दी गयी थीं। श्री रामचन्द्र की मृत्यु सेवा समाप्ति के पश्चात् दिनांक 29 सितम्बर, 1980 को हुई, इसलिये उनके आश्रितों को पेंशन, ग्रेच्युटी सेवा में नियुक्ति तथा अन्य लाभ देय नहीं है।

54--श्री सूर्य प्रताप शाही--

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित]

इलाहाबाद स्थित 22 ड्रामाड रोड पर इन्टर स्टेट प्रापर्टी को बेचे जाने पर सरकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी लिया जाना

55--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या मुख्य मन्त्री को यह जानकारी है कि इलाहाबाद स्थित 22 ड्रामाड रोड पर टेलीविजन केन्द्र के सामने 2,000 स्क्वायर यार्ड की इन्टर स्टेट प्रापर्टी, जिसके संरक्षक राज्य सरकार के जिलाधिकारी, इलाहाबाद तथा इन्टर स्टट प्रापर्टी के एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल, उ0 प्र0 हैं, ने श्रीमती अज्ञावती पाल, निवासिनी एस0 एस0 राव रोड, परेल बम्बई को मात्र 60 हजार रुपये में बेच दी गई ? यदि हां, तो क्या बाजार मूल्य के मुकाबले संविदा में दिया गया मूल्य उपयुक्त है ? यदि नहीं, तो बाजार मूल्य प्राप्त करने और उस पर स्टाम्प ड्यूटी लेने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जिला देवरिया के मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध श्री अभय प्रताप सिंह, महामंत्री, कारपोरेशन चीनी मिल कर्मचारी संघ, रामकोला, जिला देवरिया के ज्ञापन पर कार्यवाही

56--कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या गन्ना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अभय प्रताप सिंह, महामंत्री, कारपोरेशन चीनी मिल कर्मचारी संघ, राम कोला, जिला देवरिया का मुख्य अभियन्ता पर धन अर्जित करने, नियम विरुद्ध कार्य करने सम्बन्धी गम्भीर आरोपों का ज्ञापन पत्र संख्या 136/86, दिनांक 30 अगस्त, 1986, 143/86 व पत्र दिनांक 17 सितम्बर, 1986 व 146/86-87, दिनांक 11 नवम्बर, 1986 व पत्र दिनांक 18 नवम्बर, 1986 आदि स्वयं का तथा माननीय जन प्रतिनिधि श्री गौरी भईया रणजीत सिंह का, प्रबन्ध निदेशक को प्राप्त हुआ है ? यदि यदि हां, तो उक्त ज्ञापन पर कौन-सी कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री अभय प्रताप सिंह के दिनांक 30 अगस्त, 1986 के ज्ञापन के अलावा प्रश्न में उल्लिखित अन्य ज्ञापन/पत्र प्राप्त हुये हैं ।

जांच करायी जा रही है । जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

57--कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या गन्ना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 20 दिसम्बर, 1986 को रामकोला चीनी मिल के प्रतिनिधि मण्डल श्री अभय प्रताप सिंह के नेतृत्व में उनके निरीक्षण के समय मिल कर ज्ञापन दिया था ? क्या यह सही है कि

ज्ञापन से नाराज होकर मुख्य अभियन्ता ने एक माह बाद उन्हें निलम्बित कर दिया है ? यदि हां, तो तथ्य क्या है और ज्ञापन की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री अभय प्रताप सिंह का दिनांक 20 दिसम्बर, 1986 का ज्ञापन प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के बंकुअम पैन चीनी मिलों में लागू स्थायी आदेशों के अन्तर्गत वर्णित अपचार करने के कारण श्री अभय प्रताप सिंह के विरुद्ध जांच संस्थित की गयी। जांच की निष्पक्षता हेतु जांच कार्यवाही पूरी होने तक श्री अभय प्रताप सिंह को निलम्बित किया गया है। इस निलम्बन का कोई सम्बन्ध उक्त ज्ञापन देने से नहीं है। श्री अभय प्रताप सिंह द्वारा अपनी जांच कार्यवाही तथा निलम्बन के सम्बन्ध में एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गयी है। न्यायालय में मामला विचाराधीन है। श्री अभय प्रताप सिंह द्वारा दिये गये ज्ञापन दिनांक 20 दिसम्बर, 1986 की प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 94 पर।)

श्री हर्षवर्धन, स० वि० स० के अस्थायी खंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, झांसी के एक सहायक अभियन्ता के सम्बन्ध में दिये गये पत्र पर कार्यवाही

58--श्री हर्ष वर्धन--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का दिनांक 16 जुलाई, 1987 का पत्र, जो अस्थायी खंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, झांसी के एक सहायक अभियन्ता से सम्बन्धित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर जनवरी, 1988 तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। मुख्य अभियन्ता (परिवाद) को जांच कर आख्या भेजने हेतु आदेश दिये जा चुके हैं।

गोरखपुर के कारागार के जेलर के सम्बन्ध में श्री हर्षवर्धन, स० वि० स० के पत्र पर कार्यवाही

59--श्री हर्ष वर्धन--

क्या कारागार मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का दिनांक 6 जनवरी, 1987 का कोई पत्र, जो गोरखपुर के कारागार के जेलर के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

उक्त पत्र दिनांक 6 जनवरी, 1987 में जेलर के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं थी। माननीय सदस्य ने अंग्रेजी में भेजे गये तार की प्रति संलग्न करते हुये यह शिकायत की थी कि अंग्रेजी में तार भेजकर राजकीय भाषा हिन्दी का अपमान किया है तथा तार की भाषा आदेशात्मक है। उन्होंने जांच/साक्ष्य हेतु अन्य तिथि निश्चित किये जाने हेतु भी लिखा था।

सम्बन्धित अधिकारी को तार के सम्बन्ध में भविष्य के लिये सचेत कर दिया गया है। जांच/साक्ष्य हेतु भी अन्य तिथि निश्चित कर दी गई।

पुलिस अत्याचारों की प्राथमिकी दर्ज कराने व प्रभावी जांच के लिये विशेष जांच का गठन

60--श्री हृदय नारायन दीक्षित--

क्या गृह मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि पुलिस अत्याचारों की प्राथमिकी दर्ज कराने के लिये व प्रभावी जांच हेतु किसी विशेष जांच के गठन के प्रश्न पर सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी नहीं ।

चूंकि पुलिस अत्याचारों की जांच व प्राथमिकी दर्ज कराने के लिये पहले से ही निम्न प्रभावी प्राविधान हैं :--

पुलिस अत्याचारों की प्राथमिकी किसी भी थाने में दर्ज करायी जा सकती है । शिकायतकर्ता सी-आर0 पी0 सी0 की धारा 154 के अनुसार पुलिस अधीक्षक को लिखित प्रार्थना-पत्र डाक से भेज कर भी प्राथमिका दर्ज करा सकता है । मामले में हस्तक्षेपनीय अपराध बनने पर पुलिस अधीक्षक निम्नवत् कार्यवाही करा सकते हैं :--

(1) प्राथमिकी दर्ज कराकर किसी अन्य अधीनस्थ अधिकारी से विवेचना करा सकते हैं ।

(1) पुलिस अत्याचारों की विवेचना जनपदों में स्वीकृत एस0 आई0 एस0 (स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग स्क्वाड) द्वारा करा सकते हैं ।

(3) पुलिस अत्याचारों की जाँच अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा करा सकते हैं ।

जिला बाराबंकी के थाना फतेहपुर के पुलिस निरीक्षक स्व0 श्री सत्य नारायण सिंह सेंगर के देय वेतन का भुगतान

61--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के थाना-फतेहपुर में कार्यरत निरीक्षक (पुलिस) स्व0 सत्य नारायन सिंह सेंगर, जो 19 जून, 1985 को डकैतों द्वारा हुयी मुठभेड़ में शहीद हो गये थे, की आश्रित विधवा पत्नी एवं बच्चों को उनके देय वेतन का भुगतान भी अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा भुगतान कब तक हो जायेगा ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

स्व0 श्री सत्य नारायन सिंह सेंगर के उपार्जित अवकाश के बदले नकदीकरण तथा बीमा की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है । इनके असाधारण पेंशन एवं ग्रेच्युटी सम्बन्धी भुगतानादेश जारी करने हेतु महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा लिखा गया है ।

जिला गाजियाबाद व मेरठ के बंथला ढिकंली मार्ग पर अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही

62—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद व जनपद मेरठ के अन्तर्गत बंथला मार्ग की पूर्ण चौड़ाई क्या है ? क्या यह सही है कि इस मार्ग पर कुछ लोगों ने अवैध निर्माण शुरू कर दिये हैं ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

63 से 66 तक—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित]

67—श्री यदुनाथ सिंह—

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित]

बिक्रीकर अधिकरण, मुरादाबाद प्रथम पीठ द्वारा दिये गये निर्णय के सम्बन्ध में श्री यदुनाथ सिंह, स0 वि0 स0 के पत्र पर कार्यवाही

68—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि बिक्री कर अधिकरण, मुरादाबाद प्रथम पीठ ने फर्म प्लाजा होजरी, सम्भल बनाम आयुक्त, बिक्री कर द्वितीय अपील संख्या 552 व 533 आफ 1984 बाबत वर्ष 75–76 व 76–77 में दिनांक 30 मई, 1986 को निर्णय दिया है और इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 2234 वित्त राज्य मंत्री को ता0 13 अक्तूबर, 1986 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। बिक्रीकर अधिकरण, मुरादाबाद द्वारा प्रश्नगत अपीलों में दिनांक 30 मई, 1986 को निर्णय दिया गया और इस सम्बन्ध में माननीय विधायक का पत्र संख्या 2234 लोकदल, दिनांक 13 अक्तूबर, 1986 प्राप्त हुआ। जांच करने पर यह पता लगा कि कर निर्धारक अधिकारी ने 3% कम दर से कर लगाया था और इस त्रुटि का धारा 22 में उनके द्वारा किया गया सुधार बिक्रीकर अधिकरण ने निरस्त कर दिया। सम्बन्धित अधिकारी को चेतावनी दे दी गई है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र के अधीन खंडों की संख्या एवं उनमें स्वीकृत पदों से अधिक अभियन्ताओं की नियुक्ति किये जाने पर कार्यवाही

69—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र में कितने खंड हैं ? किस-किस खंड में कितने पद सहायक अभियंता

तथा अवर अभियन्ता के स्वीकृत हैं और किस-किस खंड में स्वीकृत पदों से अधिक अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता कार्यरत हैं ? स्वीकृत पदों से अधिक अभियन्ताओं की नियुक्ति के लिए कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र (सम्प्रति लखनऊ मंडल क्षेत्र) के अधीन 31 (इकत्तीस) खंड तथा 2 (दो) तकनीकी कोष्ठ हैं ।

संलग्न तालिका में सूचना अंकित है । खंडों में निहित कार्य की महत्ता एवं आवश्यकता के अनुसार जनहित में कार्य को सुचारु रूप से चलाने हेतु स्वीकृत संख्या से अधिक या कम सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता तैनात किए जाते हैं किन्तु विभाग में कार्यरत अभियन्ताओं की संख्या विभाग में स्वीकृत कुल पदों से अधिक नहीं होती है । इस प्रकार यदि किन्हीं खंडों में अवर अभियन्ताओं/सहायक अभियन्ताओं की संख्या यदि कम अथवा अधिक है तो इसमें कोई अनियमितता नहीं है, अतः इसके लिए किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 97 पर)

श्री मसरूर जाफरी, भू0 पू0 विधायक, उतरौला, जिला गोंडा की सुरक्षा हेतु गनर उपलब्ध कराया जाना

70—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मसरूर जाफरी, पूर्व विधायक, उतरौला, जनपद गोंडा की सुरक्षा व्यवस्था हेतु प्रश्नकर्ता एवं माननीय श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ एवं श्री माता प्रसाद पाण्डे, विधायक ने एक संयुक्त पत्र माननीय मुख्य मंत्री को भेजा था, प्राप्त हुआ जिस पर माननीय मुख्य मंत्री ने उक्त पूर्व विधायक को एक गनर देने के आदेश दिये थे ? उसी के आधार पर अर्द्धशासकीय पत्र संख्या एम-573 आठ-गृह (पुलिस) अनुभाग, लखनऊ, दिनांक 13 अक्तूबर, 1987 द्वारा एक गनर देने के सम्बन्ध में पुलिस अधिकारी को आदेश भी भेजा जा चुका है ? यदि हां, तो पुलिस अधिकारी ने पूर्व विधायक को गनर किस तिथि को उपलब्ध करा दिया और उक्त गनर का नाम व पता क्या है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां ।

जी नहीं ।

माननीय मुख्य मन्त्री जी नें उक्त पत्र पर केवल सुरक्षा की व्यवस्था करने के आदेश दिये थे तद्नुसार पुलिस अधीक्षक को आदेश भेज दिये गये थे ।

जी नहीं ।

अर्द्धशासकीय पत्र संख्या एम0-473/आठ-2-87, दिनांक 13 अक्तूबर, 1987 के द्वारा प्रश्नकर्ता के पत्र की प्राप्ति स्वीकार करते हुये उन्हें सूचित किया गया कि श्री

मसरूर जाफरी की सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को आदेश दे दिये गये हैं ।

पुलिस अधीक्षक, गोंडा की रिपोर्ट के अनुसार श्री जाफरी को खतरा होने की बात प्रकाश में नहीं आयी है । अतएव उनके साथ नियुक्त अंगरक्षक के अतिरिक्त गार्ड को नियुक्त करने का औचित्य नहीं पाया गया ।

जिला झांसी में पुलिस कुत्ता स्क्वाड की स्थापना

71--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी परिक्षेत्र मुख्यालय पर पुलिस कुत्ता स्क्वाड स्थापित किये जाने हेतु जन प्रतिनिधियों की मांग पर महानिरीक्षक पुलिस कानपुर जोन द्वारा प्रस्ताव शासन को भेजा गया है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी झांसी में शीघ्र ही पुलिस कुत्ता स्क्वाड स्थापित किये जाने का आदेश करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार कर यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

जिला झांसी की गरौठा, मोठ एवं मऊरानीपुर तहसील केन्द्रों पर फायर ब्रिगेड की स्थापना

72--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले की गरौठा, मोठ एवं मऊरानीपुर तहसील केन्द्रों पर फायर ब्रिगेड स्थापित किये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त तहसील केन्द्रों पर फायर ब्रिगेड की स्थापना वित्तीय वर्ष 1988-89 में कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला कारागार, मेरठ में खतरनाक बन्दियों के पलायन के सम्बन्ध में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही

73--श्री हफीज भारती--

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मेरठ में वर्ष 1983 में मृत्यु दण्ड पाने वाले खतरनाक बन्दी विक्रम व धरम पाल आदि के पलायन के सम्बन्ध में किस अधिकारी/कर्मचारी को दोषी पाया गया है ? क्या सरकार ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जिला कारागार, मेरठ से वर्ष 1983 में तीन मृत्यु दण्ड प्राप्त बन्दियों के पलायन की घटना के लिये अधीक्षक, कारापाल, उप कारापाल व दो सहायक कारापालों के अतिरिक्त नौ बन्दी रक्षक सम्वर्ग के कर्मचारियों को दोषी पाया गया । इन अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

74—श्री पूरन सिंह माहरा—

[5वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 96 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

75—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित ।]

जनपद देवरिया में खनुआ नदी तथा गण्डक नदी पर पुल का निर्माण

76—श्री सूर्य प्रताप सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में खनुआ नदी पर गढ़रामपुर नारायनपुर सा0 नि0 वि0 की सड़क जहां पुल के अभाव में सड़क रुक जाती है, क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुए तिरमुहानी घाट तथा छोटी गण्डक नदी पर नौतन हथियागढ में सेतु बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस प्रस्ताव को मानते हुये सरकार इन दोनों स्थानों का सर्वेक्षण करा कर पुल का निर्माण करायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमित संसाधनों के कारण फिलहाल सम्भव नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

77—श्री सूर्य प्रताप शाही—

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त ।]

सा0 नि0 वि0 में वास्तुविदों के पद पर नियुक्ति

78—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या सा0 नि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि सा0 नि0 वि0 में वास्तुविदों के कितने पद रिक्त हैं और उन पर कब तक नियुक्तियां की जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला जेल, बदायूं के अवकाश प्राप्त श्री उमेश चन्द्र सक्सेना के पेन्शन आदि का भुगतान

79—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री उमेश चन्द्र सक्सेना जिन्होंने जिला जेल बदायूं में दिनांक 31 मई, 1985 को अवकाश ग्रहण किया था, को पेंशन ग्रेच्युटी, जी0 पी0 एफ0 एवं अन्य देयों का भुगतान अभी तक न करने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी उक्त भुगतान तुरन्त कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार, श्री उमेश चन्द्र सक्सेना के पेंशन तथा ग्रेचुटी के भुगतान का आदेश महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 1986 को जारी किया जा चुका है। इनके जी0 पी0 फंड के 90 प्रतिशत के भुगतान का आदेश भी दिनांक 5 मार्च, 1987 को जारी हो चुका है। शेष 10 प्रतिशत के भुगतान हेतु मामला महालेखाकार उत्तर प्रदेश को संदर्भित है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त श्री सक्सेना के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव कारागार महानिरीक्षक से दिनांक 25 फरवरी, 1988 को प्राप्त हुआ है जिस पर कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में एक और स्पोर्ट्स हास्टल खोला जाना

80--डॉक्टर दिनेश जौहरी--

क्या सरकार ने इस वर्ष प्रदेश में एक और स्पोर्ट्स हास्टल खोलने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बरेली एवं उसके आस-पास कुमायूं, गढ़वाल एवं मुरादाबाद मण्डल के खिलाड़ियों का स्तर ऊंचा उठाने के लिए बरेली में उक्त हास्टल खोलने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

81--डाक्टर दिनेश जौहरी--

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

न्यू हिन्द टाकीज, जिला इटावा के मालिक द्वारा इंटरटेनमेन्ट टैक्स की व्यापक चोरी

82--डाक्टर दिनेश जौहरी--

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि एस0 एस0 शर्मा, फिल्म प्रतिनिधि ने न्यू हिन्द टाकीज, इटावा में जिला मालिकों एवं इन्टरटेनमेन्ट इन्सपेक्टर की मिली भगत से डुप्लीकेट टिकटों के माध्यम से इंटरटेनमेन्ट टैक्स की व्यापक चोरी की शिकायत 25 अप्रैल, 1987 को थी ? यदि हां, तो क्या मामले की जांच कराई गई और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

जी हां।

शिकायत की जांच करायी गयी और शिकायत असत्य एवं निराधार पाई गई। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती जिले की सभी तहसीलों में पब्लिक नोटरी की नियुक्ति

83--श्री धनराज यादव--

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील सहित सभी तहसीलों में नोटरी नियुक्त करने की योजना है जिसके लिए वकीलों ने प्रार्थना-पत्र भेजा है ? यदि हां, तो वह नियुक्ति कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

नियुक्ति का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

84--श्री मित्रसेन--

[4थे गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 56 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जिला बांदा के रामनगर सहकारी समिति के ए0 डी0 ओ0 द्वारा श्री रघुवीर की कुर्की किया जाना

85--श्री राम सजीवन--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रघुवीर पुत्र श्री साथी ग्राम भखरवार थाना रैपुरा, जिला बांदा ने 22-6-87 को रैपुरा थाने में लिखित सूचना दी थी कि 9-6-87 को ए0 डी0 ओ0, कोआपरेटिव, रामनगर अपने कई कर्मचारियों के साथ उसके मकान में ताला तोड़कर घुस गये थे और करीब दो हजार रुपये का घरेलू सामान जीप व ट्रैक्टर में लादकर ले गये ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी हां । प्राप्त सूचनानुसार वादी श्री रघुवीर पुत्र साधो के प्रार्थना-पत्र की जांच से यह पाया गया कि उस पर रामनगर सहकारी समिति का रु0 11280.72 पैसे का ऋण बकाया था जिसके सम्बन्ध में समिति द्वारा नोटिस, सम्मन तथा भूमि की नीलामी की सूचना दी गई । ऋण अदा न करने पर ए0 डी0 ओ0 सोसाइटी, रामनगर द्वारा अपने कर्मचारी व थाना रैपुरा के दो कान्स्टेबिलों को साथ लेकर प्रार्थी की कुर्की नियमानुसार की गई ।

सहकारी समिति द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप प्रार्थना-पत्र पर किसी कार्यवाही का किया जाना सम्भव नहीं पाया गया ।

जिला बांदा में मऊ पर्दवान मार्ग पर पुलिया नं0 12 के टूट जाने पर कार्यवाही

86--श्री राम सजीवन--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में मऊ-पर्दवान मार्ग पर पुलिया नं0 12 का निर्माण सन् 1987 में सा0 नि0 वि0 की विभागीय निर्माण, इकाई करबी द्वारा एक लाख अरसठ हजार रुपयों की लागत से कराया गया था ? क्या यह सही है कि पुलिया टूट कर गिर गई और बह गई ? पुलिया टूट कर बह जाने के क्या कारण हैं और उसके लिए कौन दोषी है ? क्या श्री प्रेम किशोर ब्रांच मंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अर्चुनपुर खडंहा तहसील मऊ, जिला बांदा ने 5-11-87 को कार्य अधीक्षक डी0 सी0 यू0 करबी को शिकायत की है ? यदि हां, तो कार्य अधीक्षक द्वारा उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत मऊ-पर्दवान मार्ग के कि0 मी0 7 में एक रपटा वर्ष 1987 में 1.46 लाख रु0 की लागत पर निर्मित किया गया था ।

जी नहीं । वर्षाकाल में नाले में अत्यधिक पानी के बहाव से रपटे से हटकर मऊ की ओर के पहुंच मार्ग की मिट्टी 15-20 मीटर लम्बाई में कट गई थी जिसे तत्काल ही मिट्टी डालकर ठीक कर दिया गया था तथा मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया था । वस्तुतः मुख्य रपटे को किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है ।

जी हां । उक्त शिकायती पत्र के संदर्भ में दिनांक 19-12-87 को माननीय विधायक महोदय को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया था एवं मार्ग यातायात हेतु खोल दिया गया था ।

श्री मंकू, निवासी पटपरहा का पुरवा, थाना मऊ, जिला बांदा पर सवर्ण लोगों द्वारा किये गये अत्याचार की शिकायत पर कार्यवाही

87--श्री राम सजीवन--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि मंकू पुत्र देवीदीन, पटपरहा का पुरवा, मजरा खडेहा, थाना मऊ, बांदा ने 28-7-87 को पुलिस अधीक्षक बांदा एवं अन्य उच्च पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र भेजकर शिकायत की है कि गांव के कुछ सवर्ण लोगों ने उसकी खती की जमीन जबरदस्ती छीनने पर उसके द्वारा मना करने पर उसे मारा पीटा व घायल कर दिया ? थाना मऊ की पुलिस ने प्रभावी कार्यवाही नहीं की जिससे अभियुक्तों ने उसके मकान पर कब्जा कर लिया और उसे गांव घर से निकाल दिया ? यदि हां, तो उक्त हरिजन की सुरक्षा तथा अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी व प्रभावी कार्यवाही न करने के लिए दोषी पुलिस जनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी हां । प्राप्त सूचनानुसार प्रार्थी श्री मंकू आत्मज देवीदीन, निवासी पटपरहा का पुरवा, थाना मऊ ने दिनांक 16-7-87 को विपक्षी खूनी आदि के विरुद्ध अपराध संख्या 127/87 अन्तर्गत धारा 323/504 भा0 दं0 वि0, थाना मऊ पर पंजीकृत कराया । जांच से खूनी आदि के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होने पर 24-10-87 को चालान न्यायालय किया गया । श्री मंकू के मकान पर व खेत पर जबरदस्ती कब्जा व उसे गांव से निकालने की बात जांच से सही नहीं पायी गयी । सुरक्षा के दृष्टिकोण से खूनी आदि विरुद्ध 107/116 दं0 प्र0 सं0 की भी कार्यवाही की गई है ।

इस मामले में शिथिलता बरतने पर दोषी पाये गये थाना मऊ के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही लम्बित है ।

श्री गिरधारी लाल, निवासी गंगापुरवा, जिला बांदा की हत्या होने के पश्चात् पुलिस द्वारा उनके परिवार की जानमाल की रक्षा न किये जाने पर जांच

88--श्री राम सजीवन--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि गिरधारी लाल पुत्र श्री शिवमोहन धोबी (हरिजन), गांव गंगापुरवा, मजरा गनीवा परसिद्धपुर, थाना राजापुर, जिला बांदा की हत्या 3/4 अप्रैल, 1985 को कर दी गयी थी तथा बीस दिनों बाद 23/24 अप्रैल, 1985 को उनके घर परिवार में डकैती पड़ गयी थी जिसकी लिखित सूचना जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, बांदा को मिलकर दी गई थी ? यदि हां, तो पुलिस ने इस सम्बन्ध में क्या

कार्यवाही की ? क्या 8/9 फरवरी, 1986 को उनके घर को आग लगाकर फूंक भी दिया गया था एवं उक्त हरिजन की सुरक्षा का कोई प्रबन्ध न किये जाने के कारण परिवार के दो बूढ़े लोगों को छोड़कर अधिकांश सदस्य गांव से अन्यत्र भाग गये हैं ? यदि हां, तो हरिजन परिवार की जानमाल की रक्षा का कोई प्रबन्ध न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सम्पूर्ण प्रकरण की जांच सी0 आई0 डी0 से कराकर दोषी पुलिसजनों एवं अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी हां। प्राप्त सूचनानुसार मृतक के लड़के श्री मुन्नीलाल की सूचना पर उसके पिता गिरधारी लाल आत्मज शिवमोहन, निवासी गंगापुरवा की दिनांक 3/4-4-85 को ई हत्या के सम्बन्ध में थाना राजापुर में अपराध संख्या 40/85, धारा 147/148/149/302 भा0 दं0 वि0 का अभियोग सुरेन्द्र एवं अन्य 6 अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के बाद सुरेन्द्र का चालान न्यायालय किया गया। अन्य अज्ञात 6 अभियुक्तों का पता नहीं चला।

23/24 अप्रैल, 1985 की घटना के सम्बन्ध में मुन्नी लाल की सूचना पर अ0 सं0 70/85 धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 सुरेन्द्र व 5 अन्य अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत हुआ लेकिन विवेचना से घटना की पुष्टि न होने के कारण अन्तिम प्रतिवेदन द्वारा विवेचना समाप्त की गयी।

9 फरवरी, 1986 को श्री शिव मोहन की लिखित सूचना पर थाना राजापुर पर अ0 सं0 21/86 अन्तर्गत धारा 436/427 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ लेकिन विवेचना में निष्पक्ष विश्वसनीय एवं पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण विवेचना अन्तिम प्रतिवेदन द्वारा समाप्त की गयी। वादी का परिवार गांव में सुरक्षित रह रहा है तथा सुरक्षा के लिये कड़ी दृष्टि रखी जा रही है। मामले में किसी पुलिसजन का कोई दोष प्रत्यक्ष रूप से जानकारी में नहीं आया अतएव इस प्रकरण की जांच सी0 आई0 डी0 से कराये जाने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे बन्दियों द्वारा अपनी रिहाई के लिये दिये गये प्रार्थना-पत्रों का विवरण

89--श्री राज किशोर सिंह--

क्या कारागार और न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे किन-किन बन्दियों ने अपनी रिहाई के लिए प्रार्थना-पत्र फार्म ए के साथ वर्ष 1986 के प्रारम्भ से 16 अक्तूबर, 1987 तक शासन को दिये और इनमें से कितने स्वीकृत हुये और कितने अस्वीकृत हुए ? क्या मंत्री जी इसका पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वर्ष 1986 के प्रारम्भ से 16 अक्तूबर, 1987 तक केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे 123 बन्दियों ने अपनी रिहाई के लिये फार्म "ए" में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किए। इनमें से 3 बन्दियों की मुक्ति स्वीकृत हुई, 73 बन्दियों की मुक्ति अस्वीकृत हुई तथा 47 बन्दियों के फार्म "ए" विभिन्न स्तरों पर अभी विचाराधीन हैं। इनके पूर्ण विवरण संलग्न* हैं।

*(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 99 पर)

जिला बाराबंकी में कुरौली-मौथरी रोड को गलत ढंग से निर्मित किये जाने की जांच

90--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में कुरौली-मौथरी रोड को गलत ढंग से निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10 मई, 1987 राज्य मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ ? क्या उस पथ पर जांच कराई गई ? यदि हां, तो किसके द्वारा और जांच में क्या पाया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी, हां । मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) को जांच कर आख्या भेजने के आदेश दिये जा चुके हैं ।

जिला बाराबंकी में बहादुरपुर लिंक मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अर्जन की स्वीकृति होने के पश्चात् उक्त भूमि अर्जन की कार्यवाही स्थगित किये जाने पर कार्यवाही

91--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में बहादुरपुर लिंक मार्ग शासनादेश सं0 4627 ई/23 सा0 नि0 वि0-11-110 ई/84 द्वारा प्रदेश में 6000 कि0 मी0 ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु दिनांक 29 सितम्बर, 1984 द्वारा भूमि अध्याप्ति से लेकर खड़ंजे स्तर तक एक कि0 मी0 लम्बाई के लिये स्वीकृत हुआ था ? क्या तहसीलदार, नवाबगंज, बाराबंकी द्वारा भूमि रिक्वीजिशन भी कर ली गयी थी परन्तु बाद में अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, बाराबंकी ने तहसीलदार के उपरोक्त भूमि अर्जन की कार्यवाही न करने को लिखा ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

जी नहीं ।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा केवल भूमि अर्जन की कार्यवाही स्थगित करने के लिए लिखा गया था ।

मार्ग के संरेखण में विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण ।

सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, बुढ़वल, जिला बाराबंकी में कृषि कार्य के प्रयोग होने वाले यंत्रों की संख्या एवं मूल्य

92--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या गन्ना मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, बुढ़वल, जनपद बाराबंकी में दिनांक 26 जून, 1983 को कृषि कार्य के प्रयोग होने वाले कौन-कौन से यंत्र थे, उनकी कुल संख्या अलग-अलग क्या थी तथा उनका मूल्य क्या था ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, बुढ़वल, जनपद बाराबंकी में दिनांक 26 जून, 1683 को कृषि कार्य के प्रयोग होने वाले फुट स्प्रेयर, अकेला हो, ट्रिवट्रीहल, प्रजा हल,

लैण्ड ब्राण्ड कल्टीवेटर, किरन स्प्रेयर, पवन स्प्रेयर यंत्र थे । इन यंत्रों की संख्या व मूल्य की स्थिति निम्न प्रकार थी :--

नाम कृषि यंत्र	कुल संख्या	कुल मूल्य (रु0 में)
फुट स्प्रेयर	13	6,748.00
अकोला हो	1	4.00
विक्ट्रीहल	2	90.00
प्रजा हल	2	10.50
लैण्ड ब्राण्ड कल्टीवेटर	5	625.00
किरन स्प्रेयर	3	1,005.00
पवन स्प्रेयर	3	1,020.00

जिला हमीरपुर के ग्राम पुरैनी की श्रीमती राजकुमारी को अराजक तत्वों द्वारा उठा ले जाने पर कार्यवाही

93--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ए/37/गृह/87, दिनांक 9 अक्तूबर, 1987 जनपद हमीरपुर, थाना जलालपुर के राम पुरैनी की श्रीमती राजकुमारी पुत्री श्री गजराज को अराजक तत्वों द्वारा उठा ले जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

प्रश्नकर्ता का संदर्भित पत्र दिनांक 9 अक्तूबर, 1987 प्राप्त हुआ जिसके साथ संलग्न श्रीमती राजकुमारी पुत्री श्री गजराज, निवासी ग्राम पुरैनी, थाना जलालपुर, हमीरपुर के प्रार्थना-पत्र पर जांच एवं यथोचित कार्यवाही के आदेश दिये गये थे । प्रश्न में अंकित आरोप के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती राजकुमारी को आज तक किसी अराजक तत्व द्वारा कभी नहीं उठाया गया है ।

राजकीय महिला चिकित्सालय, फैजाबाद में लापरवाही एवं उपेक्षा एवं घूस न दे सकने के कारण श्रीमती पवा कुमारी की हुई मृत्यु की जांच

94--श्री अवधेश प्रसाद--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत 22 जुलाई, 1987 को थाना कोतवाली, फैजाबाद में लोकदल (अ) फैजाबाद के कोषाध्यक्ष, श्री रमेश शर्मा ने एक प्रार्थना-पत्र देकर 21 जुलाई, 1987 को राजकीय महिला चिकित्सालय, फैजाबाद में लापरवाही और उपेक्षा तथा घूस न दे सकने में असमर्थ रहने के कारण श्रीमती पवा कुमारी पत्नी जिया लाल, निवासी ग्राम मुंशी देरा, थाना रौनाही की हुई मृत्यु के बारे में सम्बन्धित अभिलेख कब्जे में लेकर जांच कराने तथा मुकदमा पंजीकृत करने का लिखित

अनुरोध किया था ? यदि हां, तो थाना कोतवाली फैजाबाद की पुलिस ने इस मामले में मुकदमा पंजीकृत करके कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

95--कुंवर रेवती रमण सिंह तथा मैनेजर सिंह--

[दिनांक 23 जून, 1987 को अता0 प्र0 सं0 98 द्वारा उत्तरित ।]

जिला इलाहाबाद के थाना बैरहना के एस0 आई0 एवं नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री देवी शंकर अवस्थी को बेरहमी से मारने के विरुद्ध दण्डनात्मक कार्यवाही

96--कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 8 अप्रैल, 1987 की रात्रि 10·30 बजे बैरहना थाने पर तैनात एस0 आई0, श्री जगतपाल सिंह परिहार एवं नगर पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद, श्री विजय राघव पंत ने श्री देवी शंकर अवस्थी, निवासी बैरहना को थाने पर ले जाकर तथा रास्ते में जीप पर इतना मारा कि उनके आंख में संघातिक चोट आई और हाथ में फ्रैक्चर भी हो गया तथा शरीर में कई जगहों पर लाठियों की चोटें आई हैं ? यदि हां, तो क्या शासन इस घटना से पूरे इलाहाबाद में व्याप्त रोष को ध्यान में रखते हुए एस0 आई0, श्री परिहार तथा नगर पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध दण्डनात्मक कार्यवाही करेगा जिससे कि इलाहाबाद में शान्ति रहे ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी नहीं । प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 8 अप्रैल, 1987 को लगभग 21·30 बजे जी0 टी0 रोड, बैरहना पर जीप संख्या एम0बी0एल0, 5508 से हुई मार्ग दुर्घटना में 4 लोगों को साधारण चोटें आयीं । इस सम्बन्ध में थाना कीडगंज में अभियोग पंजीकृत कर जीप को कब्जे में ले लिया गया । मार्ग दुर्घटना के सम्बन्ध में अपराध सं0 23/87 धारा 279/338/427 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया तथा घायलों को अस्पताल भेजा गया । उक्त घटना के तुरन्त बाद श्री देवी शंकर अवस्थी, 88, नया बैरहना, थाना कीडगंज ने मौके पर आकर उत्तेजक भाषण द्वारा उपस्थित जनता को ट्रैफिक जाम करने, पुलिस पर पथराव करने व गाड़ियों को फूंकने हेतु भड़काना शुरू किया । सूचना मिलने पर पुलिस के अधिकारी घटनास्थल कर पहुंचे और श्री अवस्थी को समझाने-बुझाने का प्रयास किया गया किन्तु वे नहीं माने । भीड़ के उग्र होने की सम्भावना प्रबल होने पर पुलिस बल ने श्री अवस्थी को धारा 151 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत गिरफ्तार करने हेतु आगे बढ़ने पर लोगों में भगदड़ मच गई जिससे श्री अवस्थी गिर पड़े और उन्हें चोटें आयीं । बाद में श्री अवस्थी को गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया । प्रस्तुत प्रकरण में पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों का कोई दोष न होने से दण्डात्मक कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

97--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

[4थे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 32 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

98--श्री विक्रमादित्य पाण्डेय तथा श्री मैनेजर सिंह--

[दिनांक 21 जुलाई, 1987 को अता0 प्र0 सं0 45 द्वारा उत्तरित ।]

प्रदेश के ऊर्जा मन्त्री द्वारा जनपद फैजाबाद में आर्यावर्त राइस मिल के उद्घाटन हेतु किये गये दौरे पर व्यय

99--श्री अकबर हुसैन बाबर--

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 9 अप्रैल, 1986 को ऊर्जा मन्त्री, उ0 प्र0 शासन, जनपद फैजाबाद की अकबरपुर तहसील में आर्यावर्त राइस मिल का उद्घाटन करने गये थे ? यदि हां, तो क्या इनके अतिरिक्त उस दिन कोई और राजकीय कार्य था ? यदि नहीं, तो शासन का इस दौरे पर कितना धन खर्च हुआ ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । वहां उनके द्वारा अन्य क्या-क्या कार्य किये गये यह बता पाना सम्भव नहीं है । इस दौरे पर शासन का पेट्रोल तथा फुटकर खर्च के रूप में रुपये 301'40 पैसे का व्यय हुआ ।

जिला पौड़ी-गढ़वाल के कौड़िया-किमसार मार्ग का निर्माण

100--श्री शारदा प्रताप--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सरकार द्वारा वर्ष 1982 में 7 कि0 मी0 सड़क का निर्माण जनपद पौड़ी-गढ़वाल के कौड़िया-किमसार मार्ग पर स्वीकृत किया गया था जिसे न बनाये जाने का क्या कारण है ? इसका निर्माण कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण हेतु आवश्यक आरक्षित वन भूमि सा0 नि0 वि0 को हस्तान्तरित न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है ।

वांछित वन भूमि सा0 नि0 वि0 को हस्तान्तरित होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

लखीमपुर एवं सीतापुर जिले में खाण्डसारी इकाइयों को अनियमित रूप से क्रेशरों का लाइसेन्स दिये जाने एवं करों की चोरी की जांच

101--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखीमपुर एवं सीतापुर जिले में खाण्डसारी इकाइयों को अनियमित रूप से क्रेशरों का लाइसेन्स दिये जाने एवं करों की चोरी के संबंध में भ्रष्टाचार उन्मूलन परिषद्, उ0 प्र0, लखनऊ का प्रत्यावेदन प्रश्नकर्ता के माननीय मुख्य मंत्री को सम्बोधित दिनांक 26 अक्तूबर, 1987 के पत्र के साथ शासन को मिल गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को दण्डित करने के लिये और भविष्य में इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

उक्त मामले में अपर चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से जांच करायी गयी है। जांच आख्या का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

राज्य नियोजन संस्थान, जवाहर भवन में लोक-सेवा आयोग, उ0 प्र0 द्वारा चयनित शोध सहायकों का स्थायीकरण

102--श्री अशोक सेहरा तथा श्री यदुनाथ सिंह--

क्या नियोजन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग), जवाहर भवन में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से चयनित शोध सहायकों (प्राविधिक) की परिवीक्षा अवधि बीत जाने के 6 माह के बाद भी स्थायी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा इन्हें स्थायीकरण का आदेश कब तक निर्गत कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

जी हां।

4 शोध सहायक (प्राविधिक) का चयन लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया गया था। लेकिन इसमें से एक का चयन स्थायी पद के विरुद्ध किया गया था तथा तीन का चयन अस्थायी पद के विरुद्ध किया गया था। जिसका चयन स्थायी पद के विरुद्ध किया गया था उसको स्थायी करने हेतु आदेश निदेशक को भेज दिये गये हैं। जिनका चयन अस्थायी पदों के विरुद्ध किया गया था उन्हें पद स्थायी उपलब्ध होने पर या अस्थायी पदों को स्थायी किये जाने पर स्थायी किया जा सकेगा।

103--श्री निसार हुसेन--

[5वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

जनपद बलिया के थाना उभांव, भीमपुरा तथा नगरा में दफा 109 और दफा 151 सी आर0 पी0 सी0 के अन्तर्गत चालान किये गये व्यक्तियों की संख्या

104--श्री शारदा नन्द अंचल--

क्या सरकार को जानकारी है कि बलिया जनपद के थाना क्षेत्र उभांव, भीमपुरा नगरा में वर्ष 1984-85, 1985-86 तथा 1986-87 में दफा 109 और दफा 151 सी आर0 पी0 सी0 में कितने-कितने व्यक्ति या समूह चालान किये गये हैं और उसमें हरिजन तथा पिछड़ी जातियों से संबंधित कितने-कितने मामले हैं ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

प्राप्त सूचनानुसार जनपद बलिया के थाना उभांव, भीमपुरा तथा नगरा में वर्ष 1984-85, 1985-86 व 1986-87 में दं0 प्र0 सं0 की धारा 109 एवं 151 के अन्तर्गत विभिन्न मुकदमों में क्रमशः 81 तथा 1645 व्यक्तियों का चालान किया गया। पंजीकृत मामलों में 81 मामले हरिजनों के तथा 194 मामले पिछड़ी जाति के व्यक्तियों से सम्बन्धित हैं।

जिला पूर्ति अधिकारी, बलिया एवं थाना उभांव की पुलिस द्वारा श्री जयचन्द्र प्रसाद के घर छापामार सामान बरामद करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

105--श्री शारदानन्द अंचल--

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के थाना क्षेत्र उभांव के अन्तर्गत बिल्यरा रोड में माह अक्तूबर, 1987 में जिला पूर्ति अधिकारी बलिया के साथ उभांव पुलिस ने छापा मार कर जयचन्द्र प्रसाद के घर चौदह सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों व मिट्टी के तेल की दुकानों के कागजात मुहरें सादे कागज फार्म पर स्थानीय आपूर्ति निरीक्षक के हस्ताक्षर आदि से पकड़ा जबकि जयचन्द्र किसी सरकारी सस्ते गल्ले का दुकानदार नहीं है ? क्या सरकार इस संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 23 अगस्त, 1987 को श्री जयचन्द्र प्रसाद की दूकान जो माल गोदाम रोड पर स्थित है को जिला पूर्ति अधिकारी ने पुलिस बल के साथ चेक किया था। जिसमें 5 व्यक्तियों के राशन कार्ड, कई सस्ते गल्ले व चीनी के दूकानदारों, फुटकर मिट्टी के तेल के लाइसेन्सियों के निकासी फार्म, मिट्टी के तेल के कंशमेमो, राशन कार्ड बनाने विषयक सरकारी मुद्रित जांच-पत्र तथा रिलीज आर्डर आदि बरामद किये थे।

जिला पूर्ति अधिकारी की लिखित तहरीर पर थाना उभांव में अ0 सं0 319/87, धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त जयचन्द्र प्रसाद एवं विवेचना से प्रकाश में आये एक अन्य अभियुक्त लाल बिहारी को जेल भेजा गया। वर्तमान में दोनों अभियुक्त जमानत पर छूटे हुये हैं, दिनांक 31 जनवरी, 1987 को आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जा चुका है।

श्री धनन्जय गुप्ता, प्रवक्ता, उन्नाव को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर कार्यवाही

106--श्री शारदानन्द अंचल--

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि प्रवक्ता, श्री धनन्जय गुप्ता, अध्यक्ष, नगर लोकदल, उन्नाव को गत 22 मई, 1987 को पुलिस ने गिरफ्तार कर अपमानित किया तथा धारा 124-ए, 153-ए व 188 के अन्तर्गत चालान कर फर्जी तौर पर परेशान किया ? क्या श्री गुप्त, लोकदल के पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं ? क्या सरकार इस प्रकरण की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 22 मई, 1987 को श्री धनन्जय गुप्त एवं अन्य को धारा 124-ए/153-ए/188 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत अपराध में गिरफ्तार किया गया, उन्हें पुलिस द्वारा मामले में फर्जी तौर पर चालान कर परेशान नहीं किया गया। विवेचना के पश्चात् आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। मामले में किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पायी गयी।

107--श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह--

[5वें मंगलवार के लिये स्थगित ।]

जिला देवरिया के डुमरी से देसही-देवरिया मार्ग के शेष भाग को पिच कराया जाना

108--श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया के अन्तर्गत डुमरी से देसही-देवरिया को जाने वाली सी0 सी0 रोड के शेष भाग को कब तक पिच करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद देवरिया में डुमरी से देसही-देवरिया मार्ग की कुल लम्बाई 13.00 कि0 मी0 है । डुमरी से हरिन्द्रापुर तक 2.8 कि0 मी0 का भाग (जो प्रश्नगत मार्ग म पड़ता है) जिला योजना की वर्ष 1986-87 की एस0 एन0 डी0 के अन्तर्गत लेपन स्तर तक स्वीकृत हुआ है, जिस पर खड़न्जा स्तर तक कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा लेपन स्तर तक का कार्य 3/89 तक पूर्ण हो जाने की आशा है । हरिन्द्रापुर से बैजनाथ-पुर 5.20 कि0 मी0 सी0 सी0 रोड को लेपन स्तर तक निर्माण हेतु जिला योजना की वर्ष 1987-88 की एस0 एन0 डी0 के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है । कार्य धनाभाव के कारण प्रारम्भ नहीं किया जा सका है । धन उपलब्ध होने पर कार्य सम्पादित कराया जाना संभव हो सकेगा । मार्ग का अन्तिम 5.0 कि0 मी0 बैजनाथपुर से देसही-देवरिया का भाग पहले ही से लेपित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य नियोजन संस्थान के अर्थ एवं संख्या प्रभाग के निदेशक एवं नियोजन विभाग के विशेष सचिव द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप पर कार्यवाही

109--श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य नियोजन संस्थान के अर्थ एवं संख्या प्रभाग के निदेशक (श्री आनन्द स्वरूप) एवं नियोजन विभाग के विशेष सचिव (श्री एम0 एम0 गुप्ता) द्वारा भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का कोई आरोप-पत्र, दिनांक 14 जुलाई, 1987 उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उन पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

जी हां । माननीय विधायक श्री रणजीत सिंह का पत्र, दिनांक 14 जुलाई, 1987 शासन में प्राप्त हुआ है जिसमें दो आरोपों की जांच की मांग की गई थी ।

प्रथम यह कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद अर्थ एवं संख्या प्रभाग में कार्यरत सांख्यिकीय निरीक्षकों को सहायक अर्थ एवं संख्याधिकारी के पद पर विभागीय नियमित प्रोन्नति नहीं करा रहे हैं जिससे अवमानना का प्रश्न उठ सकता है । इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने पूर्व स्थगन आदेश के स्थान पर जो संशोधित अंतरिम आदेश पारित किये हैं उनके द्वारा उच्च न्यायालय ने

स्थगन आदेश संशोधित कर शासन को यह अनुमति दे दी है कि भविष्य में यदि पदोन्नतियां की जायं तो उसमें सांख्यिकीय निरीक्षक संवर्ग एवं सहायक विकास अधिकारी (सां0) संवर्ग दोनों में से बराबर-बराबर पदोन्नतियां की जायं। कुछ विधिक कठिनाइयों के कारण रिक्त पदों पर पदोन्नति करना इस समय सम्भव नहीं है। इसमें उच्च न्यायालय की अवमानना का प्रश्न ही नहीं उठता।

द्वितीय यह कि अर्थ एवं संख्या प्रभाग के अन्तर्गत रिक्त अर्थ एवं संख्या अधिकारियों के 50 पदों के भरने के बजाय केवल 23 पदों को भरा जा रहा है। इस सम्बन्ध में वास्तविकता यह है कि संख्याधिकारी के पद के लिये केवल स्थायी ज्येष्ठ अन्वेषक व सांख्यिकीय सहायक पात्र हैं। ऐसी दशा में जो पात्र और अर्ह थे उन्हें ही प्रोन्नति दी गई।

अतिरिक्त जिलाधिकारी (आपूर्ति), बरेली के संबंध में श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह, स0 वि0 सं0 के पत्र पर कार्यवाही

110--श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त जिलाधिकारी (आपूर्ति), बरेली के संबंध में प्रश्नकर्ता का 12 अगस्त, 1986 का पत्र संयुक्त सचिव नियुक्ति को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

शिकायतों की जांच खाद्य विभाग से कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में 1971 की जनगणना के आधार पर 1500 से अधिक आबादी वाले गांवों तक एम0 एन0 पी0 के अन्तर्गत पूरे प्रदेश में बनाये गये खड़ंजा लिंक मार्गों की संख्या

111--श्री हृदय नारायन दीक्षित--

क्या सा0 नि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में 1971 की जनगणना के आधार पर 1500 से अधिक की आबादी वाले गांवों को एम0 एन0 पी0 (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम) के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 व 1987-88 में कुल कितने किलोमीटर खड़ंजा लिंक बनाये मार्ग बनाये गये हैं ? क्या इनके रख-रखाव की कोई योजना क्रियान्वित हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो उन्नाव जिले के तहसील पुरवा के एम0 एम0 यू0 मार्ग से सरवन, एम0 एन0 यू0 से असरदा शून्य किलोमीटर से मुख्य ग्राम तक उन्नाव पुरवा रोड से कसरौर, मौरवां नरीचक, मवई हिलौलीलउआ, मौरावा से अहैसा, असरंदा से गुजौली मार्गों के पैदल चलने लायक भी न रह जाने पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

1971 की जनगणना के आधार पर 1500 से अधिक आबादी वाले गांवों तक एम0 एन0 पी0 (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम) के अन्तर्गत पूरे प्रदेश में वर्ष 1986-87 में 5768 कि0 मी0 खड़ंजा लिंक मार्ग बनाये गये हैं तथा वर्ष 1987-88 में

जनवरी, 1988 तक 2900 कि0मी0 खड़न्जा लिंक मार्ग बनाये गये हैं। रख-रखाव की अलग से कोई योजना नहीं है। सामान्य अनुरक्षण मद से ही इनका रख-रखाव किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्ग गत वर्षा ऋतु में क्षतिग्रस्त हो गये थे जिन्हे ठीक करा कर यातायात योग्य कर दिया गया है ?

ग्राम करियारी एवं ऊंचागांव, जिला बुलन्दशहर में मस्जिद के निर्माण की अनुमति

112--श्री इम्तियाज मोहम्मद खां--

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे की ग्राम करियारी एवं ऊंचागांव में मस्जिद के निर्माण हेतु जिला प्रशासन, बुलन्दशहर द्वारा अनुमति न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या सम्पूर्ण ग्रामवासियों की भावना को दृष्टिगत रखते हुये मस्जिद के निर्माण की अनुमति दिलवाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

113--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री गौरी शंकर भइया--

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

जनपद बलिया में मगई नदी पर लकड़ी के पुल का निर्माण

114--श्री गौरी शंकर भइया--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बलिया के ब्लाक सेहाव में मगई नदी पर दौलतपुर के पास एक लकड़ी का पुल स्वीकृत है ? यदि हां, तो इस पर कुल कितना रुपया व्यय होना है तथा इस पर कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

प्रश्नगत सेतु के निर्माण हेतु 7·00 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, परन्तु वास्तविक लागत 16·75 लाख रु0 आने का अनुमान है।

पुनरीक्षित आगणन बनाया जा रहा है। पुनरीक्षित आगणन स्वीकृत होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जाना सम्भव होगा।

अकबर पुर जनपद फैजाबाद के सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता के विरुद्ध धारा 420 में मुकदमे की जांच रिपोर्ट

115-श्री शेर बहादुर सिंह--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर जनपद फैजाबाद के सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता के विरुद्ध धारा 420 में मुकदमा अकबरपुर

कोतवाली में कायम है ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है तथा क्या रिपोर्ट है ? 1985-86 में कायम रिपोर्ट में स्थानीय पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला फैजाबाद के ग्राम हरखपुर कौड़हा के श्री अलगू द्वारा फर्जी हरिजन बनकर सरकार से अनुदान एवं कर्ज प्राप्त करने की शिकायत की जांच

116-श्री शेर बहादुर सिंह--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद, फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के ग्राम हरखपुर कौड़हा के निवासी श्री अलगू हरिजन द्वारा, उसी ग्राम के एक निवासी द्वारा फर्जी हरिजन बनकर सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान व कर्ज प्राप्त करने की शिकायत पर सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच हो रही है ? यदि हां तो मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता

अकबरपुर, जिला फैजाबाद के सहायक अभियन्ता के विरुद्ध जांच की रिपोर्ट

117-श्री शेर बहादुर सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद के सहायक अभियन्ता के विरुद्ध कोई जांच अधिशासी अभियन्ता फैजाबाद द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या आरोप हैं और जांच कब से चल रही है और क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

हेड़ा खान आश्रम, जनपद नैनीताल में मृत पाए गए स्वामी जी के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट

118-श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 14 फरवरी, 1984 को हेड़ाखान स्वामी आश्रम हेड़ाखान आश्रम, जनपद नैनीताल में मृत पाये गए ? यदि हां, तो आश्रम में उस दिन उस समय कौन-कौन व्यक्ति उपस्थित थे तथा क्या स्वामी जी के शव का पोस्ट मार्टम किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

प्राप्त सूचना के अनुसार हेड़ाखान के स्वामी की मृत्यु दिनांक 14 फरवरी, 1984 को उनके आश्रम में हुई थी। मृत्यु का समाचार मिलते ही निकटवर्ती ग्रामवासी तथा उनके अनेक शिष्य आश्रम में पहुंच गए थे। स्वामी जी की मृत्यु स्वाभाविक परिस्थितियों में होने के कारण उनके शव का पोस्टमार्टम नहीं किया गया।

बस्ती जिले में सूखा राहत योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन मार्गों में पड़ने वाले छोटे-छोटे पुलों एवं पुलियों के निर्माण की स्वीकृति एवं विशेष धनराशि का आवंटन

119-श्री धनराज यादव--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में सूखे से निपटने हेतु दी गई धनराशि में बस्ती जनपद के लिये सार्वजनिक नि0 वि0 की जो सड़कें स्वीकृत की गई हैं उनमें पुल बनाने की राशि स्वीकृत नहीं है ? यदि हां, तो क्यों तथा क्या निर्माणाधीन सड़कों में पड़ने वाले छोटे-छोटे पुलों के निर्माण को स्वीकृति देंगे एंव उसके लिये विशेष धनराशि आवंटित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

जी हां।

सूखा राहत योजना में केवल सूखा पीड़ितों को राहत पहुंचाने के आशय से नकद मजदूरी के भुगतान का ही प्राविधान है। इस योजना में सामग्री अंश पर व्यय करके पक्का कार्य कराने का कोई प्राविधान नहीं है। अतः प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन मार्गों में पड़ने वाले छोटे-छोटे पुलों एवं पुलियों पर धन आवंटित किया जाना सम्भव नहीं है।

पुलिस विभाग में पदोन्नति प्राप्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा आई0 पी0 एस0 संवर्ग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के वेतनमान एवं भत्ते में भिन्नता

120--श्री धनराज यादव--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के वर्तमान समय में वेतनमान क्या हैं ? क्या यह सही है कि पदोन्नति प्राप्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा आई0 पी0 एस0 संवर्ग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के वेतनमान एवं महंगाई भत्ते इत्यादि में भिन्नता है ; यदि हां, तो भिन्नता के क्या कारण हैं ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

वर्तमान समय में अपर पुलिस अधीक्षक के पद का वेतनमान 1,200-1,700 रुपया है जो राज्य पुलिस सेवा के विशेष ग्रेड के नाम जाना जाता है। इन पर नियुक्त राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को केन्द्रीय दर से महंगाई भत्ता दिये जाने का प्राविधान है।

इस समय आई0 पी0 एस0 संवर्ग में अपर पुलिस अधीक्षक का कोई पद नहीं है। अपर पुलिस अधीक्षक के निस्संवर्गीय पदों पर कार्यरत आई0 पी0 एस0 अधिकारी नियमानुसार आई0 पी0 एस0 के वरिष्ठ वेतनमान में ही वेतन पाते हैं, इसी कारण अपर पुलिस अधीक्षक के पदों पर कार्यरत पदोन्नति प्राप्त राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी एवं आई0 पी0 एस0 अधिकारियों के वेतनमान एवं मंहगाई भत्ते इत्यादि में भिन्नता है।

जिला गोण्डा में थाना पचपेड़वा में एक ग्राम बसन्तपुर, मदरहवा में घटी घटना की दर्ज की गयी प्रथम सूचना तथा मामले की जांच की मांग

121--श्री धनराज यादव--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद में थाना पचपेड़वा के ग्राम बसन्तपुर, मदरहवा में गत 20 सितम्बर, 1987 को श्री सीताराम पुत्र ननकान मुराव की लड़की 10 वर्षीय किसना से उसी गांव के 12 वर्षीय निजाम एवं खाबुन निशापली इसलाम इत्यादि से झगड़ा हुआ जिसमें 10 वर्षीय किसना को काफी चोट आई और बाद म सरकारी अस्पताल गंसड़ी में दवा कराते समय किसना की मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो क्या मार-पीट में चोट से मरी हुयी किसना का पोस्ट मार्टम पुलिस ने करवाया एवं सीताराम द्वारा थाने पर सूचना देने पर जो प्रथम सूचना दर्ज किया गया वह किन दफाओं में दर्ज किया गया । क्या मंत्री जी सारे मामले की जांच कराकर सदन को सभी तथ्यों से अवगत करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी हां । मृतक का पोस्टमार्टम दिनांक 28 सितम्बर, 1987 को कराया गया था। श्री सीताराम द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर पचपेड़वा में प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 304 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत दर्ज की गयी । मुकदमें की विवेचना प्रचलित है । विवेचनोपरान्त सही तथ्य सामने आयेंगे, अतएव मामले में किसी जांच की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

जिला बरेली में उच्च शक्ति टी0 वी0 टावर हेतु भूमि उपलब्ध कराने के आदेश की मांग

122--डा0 दिनेश जौहरी--

क्या सरकार को जानकारी है कि बरेली में केन्द्रीय सरकार ने बरेली के लिए उच्च शक्ति का टी0 वी0 टावर लगाने की स्वीकृति की है ? यदि हां, तो अभी तक प्रशासन द्वारा भूमि उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी उच्च शक्ति टी0 वी0 टावर हेतु भूमि उपलब्ध कराने के आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा--

जी हां ।

भूमि का कब्जा दिनाक 14 मई, 1987 को दिया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मोटर गाड़ियों में लाल हरी नीली बत्तियों के बारे में यातायात नियमों के अन्तर्गत किये गये प्राविधान

123--श्री राम दासरे वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मोटर गाड़ियों में लाल, हरी, नीली बत्तियों के बारे में यातायात नियमों के अन्तर्गत क्या-क्या प्राविधान किये गये हैं ?

क्या विगत वर्ष इन नियमों की अवहेलना के सिलसिले में किन्हीं लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो किन-किन लोगों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

शासन द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष अंकित बत्ती गाड़ी पर लगाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है :--

1--मुख्य सचिव	फ्लैग मास्ट पर लाल बत्ती ।
2--अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्व परिषद्	फ्लैग मास्ट पर नीली बत्ती ।
3--मंडलायुक्त/गृह सचिव	फ्लैग मास्ट पर नीली बत्ती ।
4--पुलिस महानिरीक्षक	फ्लैग मास्ट पर नीली बत्ती ।
5--अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक	फ्लैग मास्ट पर नीली बत्ती ।
6--समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक	फ्लैग मास्ट पर नीली बत्ती ।
7--जिलाधिकारी	नीली फ्लैश बत्ती गाड़ी के छत के बीच में ।
8--जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक, जिस जिले में जैसी स्थिति हो	नीली फ्लैश बत्ती गाड़ी के छत के बीच में ।

जी हां । इन नियमों की अवहेलना के सम्बन्ध में विगत वर्ष 1987 में अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार 349 वाहनों के चालान किये गये हैं ।

जनपद मेरठ में सम्पर्क मार्गों की मरम्मत हेतु दिये गये धन से बागपत गन्ना परिषद् द्वारा खेकड़ा क्षेत्र के सड़कों की मरम्मत न किये जाने पर आपत्ति

124--श्री रिछपाल सिंह बंसल--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में 1986-87, 1987-88 में सम्पर्क मार्गों की मरम्मत के लिये लगभग 16 लाख रुपया दिया गया ? यदि हां, तो बागपत गन्ना परिषद् द्वारा क्षेत्र खेकड़ा में कौन सी सड़क की मरम्मत की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वर्ष 1986-87 के लिये अवंटित शासकीय विशेष निधि के धन में से 8.25 लाख रुपये मेरठ जनपद में सड़कों की मरम्मत के लिये इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया कि इतनी ही धनराशि लाभान्वित संस्था को वहन करनी पड़ेगी । वर्ष 1987-88 में सड़कों की मरम्मत हेतु कोई धन स्वीकृत नहीं किया गया । चूंकि गन्ना विकास परिषद्, बागपत (मेरठ) में अनुपातिक धन उपलब्ध नहीं था । अतः उक्त क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत का कार्य सम्पादित नहीं कराया जा सका ।

जिला बांदा के श्री कमल प्रसाद जायसवाल द्वारा पुलिस अधीक्षक, बांदा को अपने घर में पड़ी डकैती के सम्बन्ध में लिखाई रिपोर्ट के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

125--श्री राम सजीवन--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में थाना मऊ के अन्तर्गत ग्राम मवई खुर्द के कमल प्रसाद जायसवाल ने 28 जुलाई, 1987 को पुलिस अधीक्षक, बांदा

आदि उच्च अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र देकर शिकायत की थी कि उसके मकान में 13 जुलाई, 1987 की रात डकैती पड़ी थी जिसमें हजारों रुपये का समान लूटा गया था और प्रार्थी व उनकी पत्नी को गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया था ? क्या यह भी सही है कि प्रार्थी ने कुछ डकैतों को पहचाने जाने की सूचना थाने में की थी किन्तु रिपोर्ट सही ढंग से नहीं लिखी गयी ? यदि हां, तो प्रार्थी की शिकायत पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रार्थी के संदर्भित प्रार्थना-पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी, मऊ से कराये जाने पर मामला डकैती का पाया गया । अतः दिनांक 4 अक्तूबर, 1987 को मुकदमा धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित कराया गया, जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष, रंपुरा द्वारा की जा रही है । विवेचना के दौरान घटना से सम्बन्धित दो अभियुक्त आत्म समर्पण न्यायालय होकर जेल भेजे गये । अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं ।

घटना की प्रथम सूचना सही न लिखने के सम्बन्ध में थाना मऊ के सम्बन्धित पुलिसजनों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित है ।

श्री मोती लाल, निवासी पटवध, जिला मिर्जापुर के सम्बन्ध में श्री राम सजीवन, स0 वि0 स0 के पत्र पर कार्यवाही

126--श्री राम सजीवन--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री मोती लाल पुत्र हीरक कोल (आदिवासी हरिजन), निवासी पटवध, थाना चोपन, जिला मिर्जापुर ने 20 अक्तूबर 1986 तथा बाद में कई-कई बार परगनाधिकारी राबर्ट्सगंज तथा ए0 एस0 पी0, चुर्क को प्रार्थना-पत्र भेजकर शिकायतें की थीं कि गांव के कुछ सरकश लोगों ने उनकी झोपड़ियां उजाड़ दीं और गांव समाज की जमीनों से उनका कब्जा जबरदस्ती हटाकर उन जमीनों पर स्वयं कब्जा कर लिया है ? क्या प्रश्नकर्ता ने भी श्री मोती लाल का प्रार्थना-पत्र संलग्न करते हुये मुख्य मन्त्री को 16 नवम्बर, 1986 को पत्र लिखा था ? यदि हां, तो मोती लाल को पुनर्वासित न करने तथा सरकश लोगों के विरुद्ध कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अधीन उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी व अन्य रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति

127--श्री मित्रसेन--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अधीन उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, लेखा परीक्षा अधिकारी ग्रेड-1, सम्भागीय लेखा परीक्षा अधिकारी तथा

जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के क्रमशः 6, 42, 3 तथा 13 कुल 64 पद रिक्त पड़े हैं ? यदि हां, तो इन रिक्त पदों पर अब तक नियुक्तियां न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अधीन दिनांक 1 फरवरी, 1988 को उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, लेखा परीक्षा अधिकारी ग्रेड-1, संभागीय लेखा परीक्षा अधिकारी तथा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के क्रमशः 6, 41, 3 तथा 17 कुल 67 पद रिक्त हैं ।

उक्त रिक्त पदों पर अब तक नियुक्तियां न किये जाने के कारण निम्न प्रकार हैं :--

उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी (6 पद) :--

नियमों में निर्धारित अर्हता पूरी करने वाले पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं ।

लेखा परीक्षा अधिकारी ग्रेड-1 तथा सम्भागीय लेखा परीक्षा अधिकारी (41+3=44 पद):--

एक अभ्यर्थी के सम्बन्ध में स्वास्थ्य परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण नियुक्त नहीं की जा सकी । शेष 43 पदों पर चयन की कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण नियुक्तियां नहीं की जा सकीं ।

जिला लेखा परीक्षा अधिकारी (17 पद)--

चयन की कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण नियुक्तियां नहीं की जा सकीं ।

थाना इनायतनगर, जिला फैजाबाद में जनवरी, 1985 से दिसम्बर, 1985 तक हरिजन एवं कमजोर को उत्पीड़न की घटनायें एवं कार्यवाही

128--श्री मित्रसेन--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि थाना इनायतनगर, जनपद फैजाबाद में जनवरी, 1985 से दिसम्बर, 1985 तक हरिजन एवं कमजोर वर्ग उत्पीड़न की कितनी घटनाएं अंकित करायी गयी हैं तथा इनके विवेचनाकर्ता कौन व परिणाम क्या रहे हैं और उत्पीड़न कर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

प्रश्नगत अवधि में केवल एक रिपोर्ट थाना कैण्ट में अन्तर्गत धारा 395/436/430 भा0 दं0 वि0 श्री बनवारी लाल हरिजन द्वारा दिये गये एक प्रार्थना-पत्र के आधार पर अंकित कराई गई थी, जिस पर विवेचनोपरान्त अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी गयी थी । क्षेत्राधिकारी बीकापुर द्वारा कथियों के आधार पर पुनः विवेचना थानाध्यक्ष हैदरगंज से करवायी गयी । विवेचना से यह मामला जुर्म धारा 395/436/430 भा0 दं0 वि0 का न होकर 147/427/भा0 दं0 वि0 की हद का ही पाया गया ।

इस मुकदमों के अभियुक्त जंगबहादुर, रामकरन, छुटुकू, रामदास, मतई व कुमारे ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया तथा अभियुक्त राम अभिलाख को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया सभी अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 147/427 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है ।

जनपद बांदा के महुरा राजबहा की ओर का पट्टी को पक्का कराया जाना

129--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 17 जुलाई, 1987 का पत्र बांदा जनपद में बह रही केन नहर अतर्रा ब्रांच के महुटा रजबहा की ओर की पट्टी को करीब पन्द्रह गांवों के आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पक्का कराने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो जनहित को देखते हुए राज्य स्तर से धन देकर पक्की सड़क का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

फिलहाल सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण ।

जनपद बांदा में पनगरा से हड़हा-कनौली तक पक्का मार्ग बनाया जाना

130--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 267 दिनांक 17 जुलाई, 1987 बांदा जनपद में बह रही केन नहर अतर्रा की सर्विस रोड की तरफ पटरी जिसमें केवल पक्का कार्य ही होना है, पनगरा से हड़हा-कनौली तक (करीब 7 कि0 मी0) को करीब दस गांवों के आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुये पक्का कराने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इन गांवों को जोड़ने के लिये राज्य स्तर से धन देकर अविलम्ब पक्का मार्ग बनवाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

फिलहाल सम्भव नहीं है ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश मिल्क डेरी फेडरेशन के वर्तमान जनरल मैनेजर के पद पर की गई नियुक्ति पर आपत्ति

131--श्री कनक सिंह--

क्या दुग्ध विकास मन्त्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश मिल्क डेरी फेडरेशन के वर्तमान जनरल मैनेजर (प्रशा0) को पी0 सी0 एफ0 व आवास विकास

परिषद् में अकुशल सेवाओं को देखते हुए मध्य काल में उन्हें हटाया जाता रहा है ? यदि हाँ, तो इन बातों को ध्यान में रखकर वर्तमान महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करने का क्या औचित्य था ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन के भूतपूर्व प्रबन्धक (प्रशासन), श्री विनय प्रिय दुबे को पी0 सी0 एफ0 से सामान्य स्थानान्तरण के समय तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् से प्रोन्नति के फलस्वरूप स्थानान्तरित किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील घाटमपुर जनपद कानपुर देहात के तत्कालीन तहसीलदार के विरुद्ध गबन के मामले की जांच में विलम्ब

132--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील घाटमपुर जनपद कानपुर देहात के तत्कालीन तहसीलदार वर्तमान स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टर प्रतापगढ़ के विरुद्ध सरकारी धन का कई लाख रु0 का गबन करने का कोई मामला जांच हेतु राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश व जिलाधिकारी कानपुर (देहात) के यहां विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस जांच में विलम्ब का क्या कारण है और कब तक वह जांच पूरी हो जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

जांच पूर्ण होकर जांच आख्या जिलाधिकारी कानपुर (देहात) से राजस्व परिषद् में प्राप्त हो गई है जिसका परीक्षण परिषद् स्तर पर किया जा रहा है ।

अभिलेखों का निरीक्षण करके उत्तर प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारण जांच में विलम्ब हुआ ।

133--श्री कल्यान सिंह--

[दिनांक 10 मार्च, 1987 को अता0 प्र0 सं0 77 द्वारा उत्तरित ।]

जनपद फतेहपुर में कार्यरत ओ0 सी0 माइन्स (श्री बसन्त लाल वर्मा) के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

134--श्री अचल सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में कार्यरत ओ0 सी0 माइन्स (श्री बसन्त लाल वर्मा) के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का एक शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 17 अप्रैल, 1987 को सचिव सतर्कता को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या उक्त शिकायती-पत्र पर सतर्कता विभाग ने प्रारंभिक जांच करायी है ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम आये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों? कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र दिनांक 17 अप्रैल, 1987 के सम्बन्ध में सतर्कता अधिष्ठान से खुली जांच करायी जा रही है, जो अभी पूर्ण नहीं हुई है ।

जिला वाराणसी के हरहुआ चौमुहानी से रामेश्वर मार्ग का निर्माण

135--श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिलान्तर्गत विकास खण्ड हरहुआ में हरहुआ बाजार में चौमुहानी से चलने वाली रामेश्वर मार्ग के निर्माण की स्वीकृति सरकार ने किस वर्ष प्रदान की थी? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पर निर्धारित चौड़ाई लम्बाई ऊंचाई एवं प्रयुक्त होने वाली सामग्री का प्राक्कलन अभी तक विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है ? क्या सरकार इस सड़क को शीघ्र बनाने का आदेश पारित करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

हरहुआ चौमुहानी से रामेश्वर तक मार्ग जो सा0 नि0 विभाग के अधीन है, की स्वीकृति विभिन्न चरणों में 6 किलो मीटर लम्बाई में प्रशासन द्वारा वर्ष 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1982-83 में प्रदान की गयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ।

कुमाऊं मण्डल विकास निगम में कार्यरत प्रबन्ध निदेशक का प्रतिनियुक्ति काल पूर्ण हो जाने पर भी उन्हें वर्तमान पद पर बनाये रखा जाना

136--श्री पूरन सिंह माहरा--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कुमाऊं मण्डल विकास निगम में कार्यरत प्रबन्ध निदेशक का प्रतिनियुक्ति काल पांच वर्ष पूर्ण हो जाने पर भी किन कारणों से उन्हें पद पर बनाये रखा जा रहा है ? क्या शासन ने उपरोक्त अधिकारी के प्रतिनियुक्ति काल में वृद्धि की स्वीकृति दी है ? यदि हां, तो किन कारणों से तथा उपरोक्त प्रबन्ध निदेशक को उक्त पद पर कब तक रखने का विचार शासन के विचाराधीन है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

कुमाऊं मण्डल विकास निगम में कार्यरत प्रबन्ध निदेशक (श्री के0 पी0 सिंह) का प्रतिनियुक्ति काल पांच वर्ष पूर्ण हो जाने पर उन्हें जनहित में उनके वर्तमान पद पर बनाये रखा गया है ।

जी हां ।

उक्त अधिकारी की प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 30 जून, 1988 तक बढ़ाई गई है व उन्हें कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं दिया जा रहा है ।

जनहित में श्री के0 पी0 सिंह को कुमाऊं मण्डल विकास निगम में प्रबन्ध निदेशक के पद पर दिनांक 30 जून, 1988 तक बनाये रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अब्दुल गनी, बन्ने मियां बनाम बिक्री-कर अधिकारी के अपील के निर्णय के विरूद्ध अपील

137--श्री यदुनाथ सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के दूसरे मंगलवार के अता0 प्र0 सं0 127 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि द्वितीय अपील का क्या परिणाम रहा ? करदाता के ऊपर कितना कर लगाया गया एवं उसने कितना कर जमा किया ? करदाता को किस तिथि को रिफन्ड किया गया और क्या इस रिफन्ड पर ब्याज भी देय हो गया था ? यदि हां, तो कितना ? क्या करदाता को देय ब्याज भी दे दिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

विभागीय द्वितीय अपील अस्वीकार कर दी गयी है।

करदाता पर आरोपित तथा जमा कर का विवरण निम्नवत् है :--

वर्ष	आरोपित कर	जमा कर
	रु0	रु0
1973-74	16,525·67	13,551·17
1975-76	70,776·28	51,817·10

बिक्रीकर अधिकारी, चांदपुर के द्वारा भेजी गई सूचनानुसार उक्त मामलों में दिये गये प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 4 दिसम्बर, 1982 के अनुपालन में वर्ष 1973-74 के लिए 10,000 रु0 तथा वर्ष 1975-76 के लिए 40,000 रु0 (जो स्वीकृत करके अतिरिक्त जमा था) दिनांक 30 अप्रैल, 1983 को समयान्तर्गत नियमानुसार वापस कर दिया गया है। कोई ब्याज देयता नहीं बनती है।

श्री निहोर यादव ग्राम हुसेनपुर जनपद फैजाबाद द्वारा अनियमित निर्माण

138--श्री सुखपाल पाण्डे--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 87 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित श्री अकबर हुसैन बाबर द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 104 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निहोर यादव या राम निहोर यादव के सम्बन्ध में जांच किस अधिकारी द्वारा की गई थी ? यदि निहोर यादव या राम निहोर यादव नाम का कोई व्यक्ति ग्राम हुसैनपुर सकरवारी में नहीं रहता है तो क्या उक्त ग्राम के भू0 अभिलेख में निहोर यादव या राम निहोर यादव के नाम जितनी भी भूमि आदि है वह ग्राम सभा हुसैनपुर सकरवारी के नाम कर दी जायेगी।

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

प्रश्नगत प्रकरण की जांच क्षेत्रीय नायब तहसीलदार द्वारा कराई गई थी। विधान सभा के द्वितीय सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 104 के

उत्तर में तथ्यात्मक त्रुटि के सम्बन्ध में जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु छानबीन की जा रही है । श्री राम निहोर ग्राम हुसैनपुर सकरवारी के निवासी हैं । अतः उनके नाम की भूमि ग्राम सभा के नाम किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री यदुनाथ सिंह सं0 वि0 स0 का वित्त राज मंत्री को भेजा गया पत्र संख्या 1362 पर कार्यवाही

189--श्री यदुनाथ सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के अता0 प्रश्न सं0 27 के उत्तर के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1362 वित्त राज्य मंत्री जी को ता0 29 अगस्त, 1986 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां,

पत्र के सम्बन्ध में आयुक्त बिक्रीकर से जांच कराई गई । माननीय सदस्य को उनके पत्र सं0 1362 का उत्तर भेज दिया गया है ।

श्री एम0 पी0 सिंह, सहायक आयुक्त बिक्रीकर, कानपुर के सम्बन्ध में श्री यदुनाथ सिंह सं0 वि0 स0 के पत्र पर कार्यवाही

140--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 418 दिनांक 23 नवम्बर, 1985 जो श्री एम0 पी0 सिंह सहायक आयुक्त (क0 नी0) बिक्रीकर, कानपुर के बारे में था, मुख्य मंत्री को ता0 23 नवम्बर, 1985 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी है क्या वह दे दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय विधायक का पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । पत्र उपलब्ध होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, फैजाबाद द्वारा जनपद फैजाबाद के विभिन्न थानों में ऋण के दुरुपयोग हेतु दर्ज किये गये मुकदमे तथा कार्यवाही

141--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद में उ0 प्र0 वित्तीय निगम के फैजाबाद स्थित कार्यालय द्वारा पिछले दो वर्षों में कितने लोगों या संस्थाओं के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों में ऋण के दुरुपयोग, गबन, धोखा करने अथवा अनुबन्धों के विपरीत धन का उपयोग करने की शिकायत सम्बन्धी मुकदमें पंजीकृत कराये गये हैं ? क्या यह सही है ऐसे तमाम मामलों में स्थानीय पुलिस और आर्थिक अपराधियों की साजिश से वित्तीय निगम के करोड़ों रुपयों के डूब जाने का खतरा पैदा हो गया है ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और ऐसे आर्थिक अपराधियों तथा दोषी पुलिस कर्मियों को दण्डित करने तथा सरकारी धन की वसूली सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

उ0 प्र0 वित्तीय निगम, फैजाबाद द्वारा जनपद फैजाबाद के विभिन्न थानों में वर्ष 1986 व 87 में कुल 7 अभियोग पंजीकृत कराये गये हैं

जी नहीं ।

अपराधियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा रही है ।

जिला फैजाबाद के बाला जी पब्लिकेशन के मालिक दिनेश माहेश्वरी द्वारा फर्जी संस्था के नाम पर प्रेस का सामान मंगाना दिखा कर वित्तीय निगम से ऋण प्राप्त करने के विरुद्ध कार्यवाही

142--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के बाला जी पब्लिकेशन, फैजाबाद के मालिक दिनेश माहेश्वरी ने फैजाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट में प्रेस लगाने के लिये 5,85,000 रुपये का ऋण उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम फैजाबाद से लिया था जो इस समय ब्याज सहित बढ़कर 10,00,000 रुपये से अधिक हो रहा है । क्या यह सही है कि उक्त दिनेश माहेश्वरी ने नव ज्योति प्रिन्टर आगरा 31/104 मानपारा आगरा तथा गोपाल ट्रांसपोर्टस फैजाबाद के नाम से पैड छपाकर और फर्जी तौर पर प्रेस का सामान मंगाना दिखाकर जाली अभिलेखों के आधार पर उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम फैजाबाद से उक्त ऋण की 1,50,000 रुपये की अन्तिम किस्त का चेक प्राप्त करने के बाद उसे बैंक आफ बड़ौदा, मोती बाग, शहर फैजाबाद की शाखा से कैश कर लिया गया था जबकि उक्त नाम की आगरा तथा फैजाबाद में कोई संस्थायें ही नहीं हैं ? क्या यह भी सही है कि वित्तीय निगम द्वारा जांच कराये जाने के बाद तथ्यों का पता लगने पर उसके क्षेत्रीय प्रबन्धक ने थाना कैंट फैजाबाद में मुकदमा अपराध संख्या 80/86 अन्तर्गत धारा 406 भा0 द0 वि0 पंजीकृत कराया है ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और इस प्रकार की फर्जी कार्यवाहियों में संलग्न अपराधियों तथा उन्हें संरक्षण देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में शासन और सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी हां ।

इस सम्बन्ध में दिनेश माहेश्वरी के विरुद्ध थाना कैण्ट में मु0 अ0 सं0 81/86 धारा 406 भा0 दं0 वि0 का मुकदमा दर्ज करके विवेचना की गयी विवेचक द्वारा यह कहकर कि यह मामला सिविल न्यायालय से सम्बन्धित है, विवेचना अन्तिम रिपोर्ट लगाकर समाप्त कर दी गई थी जांच से यह पाया गया था कि विवेचक ने यह विवेचना सही ढंग से नहीं की थी । पुनः विवेचना एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु कड़े निर्देश दिये गये हैं । पूर्व विवेचक के विरुद्ध सही ढंग से विवेचना न करने हेतु विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

बिक्रीकर अधिकारियों द्वारा सोढ़ी ट्रांसपोर्ट कम्पनी के कार्यालय में छापा मारकर बरामद की गयी सामग्री तथा कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही

143--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि सोढ़ी ट्रांसपोर्ट कम्पनी के प्रदेश के सारे कार्यालयों पर एक साथ व एक समय में ता0 4 सितम्बर, 1985 को बिक्रीकर अधिकारियों

को टीमों ने छापा मारा ? यदि हां, तो छापे में कितने नम्बर दो के सामान मिले ? ट्रांसपोर्ट कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या पकड़ी गयी दो नम्बर की सामग्री का कर दाताओं के कर निर्धारण में उपयोग किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सर्वश्री सोढ़ी ट्रांसपोर्ट कम्पनी के प्रदेश के कार्यालयों पर दिनांक 4 सितम्बर, 1985 को बिक्रीकर विभाग के अधिकारियों ने कोई छापा नहीं डाला । अतः शेष बिन्दुओं का प्रश्न नहीं उठता ।

बिक्रीकर अधिकारियों द्वारा लाटूश रोड, लखनऊ की ट्रांसपोर्ट कम्पनी के कार्यालय व गोदामों पर छापा एवं बरामद की गई सामग्री

144--श्री यदु नाथ सिंह--

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 25 जुलाई, 1983 को लाटूस रोड, लखनऊ की एक ट्रांसपोर्ट कम्पनी के कार्यालय व गोदामों पर बिक्रीकर अधिकारियों की टीम ने छापा मारा था ? यदि हां, तो छापे में कितना माल नम्बर दो का पाया गया ? ट्रांसपोर्ट कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या रेड में पायी गयी सामग्री का सम्बन्धित करदाताओं के कर निर्धारण में उपयोग किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आगरा बिक्रीकर कार्यालय के खंड-3 में स्थित फर्म पटेल ट्रेडिंग कम्पनी पर लाखों रुपये बकाये की वसूली

145--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि आगरा बिक्रीकर कार्यालय के खंड-3 में स्थित फर्म पटेल ट्रेडिंग कम्पनी पर वर्ष 1972-73 के लिए लाखों रुपया बकाया है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रिकवरी प्रमाण-पत्र किस तारीख को डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) को प्राप्त हुआ ? उस दिन से आज तक क्या कार्यवाही की गई है । कितना बकाया है तथा बकाया में कितना वसूल होने की आशा है । इस राजस्व की हानि के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री ओम प्रकाश भांग व्यापारी चौक, लखनऊ के कर निर्धारण की कार्यवाही

146--श्री यदुनाथ सिंह--

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 12 के उत्तर के संदर्भ में वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अधिकारी ने मुख्यालय में जारी परिपत्रों के अनुसार व नियमानुसार करदाता से पंजीयन के लिये अथवा पंजीयन को चालू रखने के लिये प्रतिभूति मांगी थी ? तारीख 27-12-74 से

लेकर 14-3-78 तक की अवधि में कितने अधिकारी बदले अथवा एक ही अधिकारी के पास केस पड़ा रहा ? बकाया में से कितना वसूल हुआ ? इस राजस्व की हानि के लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

कानपुर की फर्म इस्टर्न स्टील ट्रेडिंग एजेन्सी बगिया मनीराम पर बकाया बिक्री कर की वसूली

147--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि कानपुर की फर्म इस्टर्न स्टील ट्रेडिंग एजेन्सी 32/93 बगिया मनीराम की ओर लाखों रुपया बिक्री-कर का बकाया है ? यदि हां, तो यह बकाया किन-किन वर्षों की है, मांग किस-किस तारीख को निकाली गयी, उस दिन से 31-10-1987 तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या यह सही है कि इसी व्यापार स्थल पर इस करदाता ने दूसरे नाम से बिक्री-कर विभाग में पंजीयन कराया है ? यदि हां, तो यह कैसे हुआ ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, व्यापारी के विरुद्ध वर्ष 1972-73 से 1980-81 तक 17,49,094·00 रुपया बकाया है।

वर्ष	बकाया की धनराशि	आदेश दिनांक जिसके द्वारा मांग सृजित
	रु0	
1972-73	55,470.06	8-3-1978
1973-74	57,884·20	8-6-1978
1975-76	1,66,246·16	10-3-1980
1976-77	2,36,166·30	27-3-1980
1977-78	1,48,025·61	20--3-1982
1978-79	2,23,393·83	15-12-1982
1979-80	3,74,257·15	31-12-1982
1980-81	4,87,650·75	30-9-1985

बकायादार को गिरफ्तार किया गया तथा चल सम्पत्ति की नीलामी व कुर्की करके 1980 रुपया वसूल किया गया जो व्यापारी के वर्ष 1972-73 के बकाये के विरुद्ध समायोजित कर लिया गया है।

नोट--वर्ष 1974-75 का रिमाण्ड बाद सदस्य बिक्री-कर अधिकरण द्वारा स्थगित है।

जी नहीं, बगिया मनोराम कानपुर के पते पर कोई दूसरा पंजीयन नही कराया गया है ।

जिला फतेहपुर में सा0 नि0 वि0 में तीन वर्षों से अधिक कार्यरत कर्मचारियों का नियमितीकरण

148---श्री अचल सिंह--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जनपद में सा0 नि0 वि0 में तीन वर्षों से अधिक समय से लगातार दैनिक वेतन पर कितने-कितने किस पद पर कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या बेलदार, मेट, वर्क एजेंट व अन्य पदों के लिए नियमित करने के लिये कुछ पद आवंटित किये गये हैं ? यदि हाँ, तो उस पर कर्मचारियों को नियमित न किये जाने का क्या कारण है ? यदि पद आवंटित नहीं किये गये, तो इसका क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

फतेहपुर जनपद में तीन वर्ष से अधिक समय से लगातार दैनिक वेतन पर निम्न श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत हैं :

1--वर्क एजेन्ट	12
2--मेट	76
3--बेलदार	279
4--चौकीदार	28
5--अमीन	2
6--स्टोर मुंशी	1
7--मल्लाह	5
8--क्लीनर	5
9--पम्प आपरेटर	1
10--मेकेनिक	2
11--वर्क मिस्त्री	1
12--इलेक्ट्रीशियन	1
योग ..	413

जी हां, विभिन्न श्रेणी के कुल 370 नियमित पद आवंटित किये गये हैं, परन्तु उपरोक्त कर्मचारियों के इन पदों पर नियमितीकरण का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी सीधे नियमितीकरण के पात्र नहीं होते । सामान्यतः दैनिक वेतन पर तीन वर्ष परन्तु यांत्रिक एवं विद्युत कार्यों पर तीन माह की सेवा करने के उपरान्त कार्य की निरन्तर आवश्यकतानुसार कार्यभारित पद पर लाये जाने और उस रूप में तीन वर्ष

की और सेवा पूरी कर लेने के उपरान्त ही वे नियमित पदों के उपलब्ध होने पर नियमितीकरण के पात्र हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

पर्वतीय क्षेत्रों में नये मार्ग बनाने व मरम्मत में प्रयोग करने हेतु एन0 स्ट्रीप के कार्य पर आपत्ति

149—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या सा0 नि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में नये मार्ग बनाने व मरम्मत करने हेतु विगत पांच वर्षों में मैक्स पोस्ट में मिलाने के लिये कितने एन-स्ट्रीप का प्रयोग मुख्य अभियन्ता अथवा इण्डियन रोड कांग्रेस की विशिष्टयों में हैं ? यदि नहीं, तो इतने भारी मात्रा में इतने महंगे एन-स्ट्रीप को खरीदने का औचित्य क्या है ? इसके लिए जिम्मेदार कौन व्यक्ति है ? क्या शासन द्वारा दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां तो, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इण्डियन रोड कांग्रेस के कोड आफ प्रेक्टिस फार मेन्टेनेन्स आफ बिटुमिन्स स रफेस आफ हाई वेज के कोड नं082(1982) तथा भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय, रोड विंग के पत्र सं0 आर0 डब्लू/एन0 एच0 बी0 आई-50/8-184, दिनांक 17-12-85 एवं प्रमुख अभियन्ता द्वारा जारी किये गये परिपत्र संख्या 1 पी0 डब्लू0 (रोड्स) । 5407 एम्टी/डीआर आई, दिनांक 24 नवम्बर, 1982 में एन-स्ट्रीप प्रयोग के लिए निर्देशित किय गया था । तद्नुसार ही, आवश्यकतानुसार पर्वतीय क्षेत्र में मार्गों को बनाने व मरम्मत करने में, विगत पांच वर्षों में एन-स्ट्रीप का प्रयोग किया गया है । इंडियन रोड कांग्रेस के कोड के अनुसार वातावरण में अत्यधिक नमी होने पर प्रयोग किये गये मैक्सफाल्ट के भार के एक से डेढ़ प्रतिशत एन-स्ट्रीप प्रयोग किये जाने का मानक निर्धारित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सर्वश्री हरदोई कोल सिंडिकेट रेलवे गंज हरदोई के मुख्य शाखा के फर्जी पाये जाने पर कार्यवाही

150—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सर्वश्री हरदोई कोल सिंडिकेट रेलवे गंज, हरदोई के मुख्य शाखा प्रथम तल पर तथा जांच कमरा नं0-1 सरदार मार्केट चन्दासी मुगलसराय वाराणसी ऐसे स्थान पर है जहां से कोयले का थोक व्यापार ट्रकों का नहीं हो सकता है ? यदि हां, तो उक्त फर्म को किस अधिकारी ने किस तिथि से बिक्रीकर विभागों में से पंजीयन किया तथा किस अधिकारी ने जांच का इन्द्राज किया ? क्या यह सही है कि जांच पर फर्म की उक्त शाखा फर्जी पायी गई ? यदि हां, तो उपरोक्त शाखा के फर्जी पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा व्यापारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इसके सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न मत हो सकते हैं । यह व्यापारी की स्वेच्छा/सुविधा पर निर्भर करता है कि वह कहां पर बैठकर अपना व्यापार करें । सर्वश्री हरदोई कोल सिंडिकेट, रेलवे गंज, हरदोई को 1 अप्रैल, 1986 से प्रभावी पंजीयन विक्रीकर अधिकारी खण्ड-1 हरदोई द्वारा दिनांक 3 मई, 1986 को स्वीकार किया गया था और उनके पंजीयन प्रमाण-पत्र में चन्दासी, मुगलसराय, वाराणसी शाखा का इंद्राज विक्रीकर अधिकारी श्रेणी-2, खण्ड-1 हरदोई ने 11 अगस्त, 1986 को व्यापारी के प्रार्थना-पत्र पर किया । व्यापारी द्वारा अपनी खरीद/बिक्री चन्दासी वाराणसी में प्रदर्शित की गई है और उसी के अनुसार कर आदि भी जमा किया गया है । व्यापार वस्तुतः चंदौसी से ही किया जाता है या हरदोई में यह कर निर्धारण के समय कर निर्धारक अधिकारी द्वारा निश्चय किया जाएगा । अस्तु इस बिन्दु पर इस समय किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें

(माननीय अध्यक्ष के आसन ग्रहण करते ही सर्वश्री शारदा प्रताप, शारदा नन्द अंचल, शतरुद्र प्रकाश, लक्ष्मी नारायण आदि सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष--

नियम 311 के अन्तर्गत मुझे 4 सूचनायें प्राप्त हुई हैं मैं उन सभी को अस्वीकार करता हूं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री शारदा प्रताप--

मान्यवर, आज भारत बन्द है,

श्री मुलायम सिंह यादव--

भारत बन्द तो विधान सभा बन्द ।

(कई सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर उपरोक्त नारे लगाने लगे तथा कई सदस्य सदन के फ्लोर में आ गये । श्री शारदा नन्द अंचल कार्यवृत्त लेखक की मेज पर चढ़कर नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो जाने से)

श्री अध्यक्ष--

मैं सदन को 1 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(11 बजकर 2 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिये स्थगित कर दी । तत्पश्चात् 1 बजे सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(माननीय उपाध्यक्ष के आसन ग्रहण करते ही कई सदस्य खड़े होकर घोर व्यवधान उत्पन्न करने लगे ।)

श्री मुलायम सिंह यादव--

आज भारत बन्द है, इसलिए विधान सभा नहीं चलेगी ।

(सर्वश्री गोपल दास यादव, विजय सिंह राणा, हरेन्द्र सिंह, मित्रसेन पारसनाथ यादव, शारदा प्रताप, भगवान दीन कुशवाहा राम सजीवन आदि सदस्य सदन के फ्लोर में आकर श्री अध्यक्ष के आसन की ओर बढ़ने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न होने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग शांत रहें ।

जनपद आजमगढ़ के देवलाश्रम को पर्यटन केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष--

आज नियम 301 के अन्तर्गत 19 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें 7 सूचनायें, श्री राम बदन एडवोकेट, श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी, श्री पुरुषोत्तम लाल, श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री सूर्य प्रताप शाही और श्री महेन्द्र भाटी, की सूचनाएं, स्वीकार हुई हैं, बाकी सूचनाएं अस्वीकार हुई ।

(इन सूचनओं को पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।)

(सदन के सहमति से 7 सूचनायें पढ़ी हुयी मानी गयीं)

श्री राम बदन एडवोकेट--

[महोदय, अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं जनपद आजमगढ़ में तहसील मुख्यालय मुहम्मदाबाद से 6 किमी0 उत्तर मुहम्मदाबाद-घोसी पी0 डब्ल्यू0 डी0 मार्ग पर स्थित देवलाश्रम, देवताल तथा प्राचीन सूर्य मन्दिर का एक पुराना इतिहास है । यहां पर विक्रमादित्य की छावनी के भग्नावशेष आज भी मौजूद है । आज भ वहां सूर्य मन्दिर के पीछे सती हुई विक्रमादित्य की छावनी से प्राचीन मूर्तियां तथा पुरानी कला के निर्मित बर्तन आदि निकलते है, जिनकी प्राचीनता और कला की पहचान कोई दार्शनिक और पुरातत्ववेत्ता ही कर सकता है । यहां पर कार्तिक माह षष्ठी को मेला लगता है तथा पवित्र सरोवर में लाखों नर-नारी स्नान करते हैं तथा उत्तरी भारत में अकेले स्थित प्राचीन सूर्य मन्दिर में फल-फूल चढ़ाते हैं यहां पर हरिजन, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिक, यादव, धोबी, गोड़ कहार, राजभर, चौहान आदि सभी जातियों के मन्दिर बने हुए हैं तथा कई सिद्ध पुरुषों की समाधियां भी मौजूद है यह हिन्दू धर्म का प्रथम स्नान का पर्व है । यहां पर प्राइमरी पाठशाला, नर्सरी, कन्या स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज चलते हैं । मैंने सन् 1985-86 में प्रशासन का ध्यान इसकी प्राचीनता पर दिलाते हुए पर्यटन तथा सांस्कृतिक केन्द्र बनाने का अनुरोध किया था लेकिन न तो कोई कार्यवाही एवं उच्च स्तरीय जांच हुई और न तो कोई अग्रिम कार्यवाही की गयी । आम जनता की प्रबल मांग है कि देवलाश्रम को प्रशासन द्वारा अधिग्रहण कराकर पर्यटन केन्द्र बनाया जाय । इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि लोकहित में देवलाश्रम की प्राचीनता को ऐतिहासिक रूप देने के लिए पर्यटन एवं सांस्कृतिक केन्द्र बनाने की महती कृपा करें ।]

बस्ती जनपद के बांसी ड्रेनेज खंड के ठेकेदारों के भुगतान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

[बस्ती जिले में सिंचाई विभाग बांसी ड्रेनेज उपखंड तृतीय के लगभग 70 ठेकेदार इस समय भुखमरी की स्थिति में पहुंच गए हैं और वे विगत 22 फरवरी से बस्ती

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जिला सिंचाई कार्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों का विगत तीन वर्षों का लगभग 55 लाख रुपया का भुगतान नहीं हुआ है जबकि बकाए भुगतान से सम्बन्धित प्रत्येक कार्य अनुबन्ध और कार्य आदेश के अन्तर्गत हुआ है और उनका माप आदि भी हो चुका है। इनमें से कुछ ऐसे भी ठेकेदार हैं जो कर्ज के बोझ से इस तरह दब चुके हैं कि उनका परिवार मृत्यु के निकट पहुंच गया है। ठेकेदारों के इस आन्दोलन तथा भूख हड़ताल से सिंचाई विभाग ड्रेनेज खंड तृतीय का सारा कामकाज विगत डे वर्षों से बन्द सा हो गया है। जिसके कारण इस क्षेत्र की तीन बड़ी नदियों और पांच बड़े तालों से घिरा यह क्षेत्र भारी खतरे में आ गया है। इसी प्रकार की स्थिति इस उपखंड में कार्यरत सैकड़ों मस्टर रोल कर्मचारियों की भी हो गई है जिन्हें सितम्बर, 1986 से एक पैसा भी नहीं मिला है। वह भी भुखमरी के शिकार हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से मांग करता हूं कि ठेकेदारों तथा मास्टर रोल कर्मचारियों के बकाए धन का तत्काल भुगतान कराया जाए।]

जनपद इलाहाबाद के सिराथू तहसील में एस0 ए0 बी इन्टर कालेज, सैनी, इलाहाबाद की परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना

श्री पुरुषोत्तम लाल--

[माननीय, मैं आपके संज्ञान में आले लोक महत्व की सूचना लाना चाहता हूं :--

जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत सिराथू विधान सभा क्षेत्र में सिराथू तहसील के अन्दर 'एस0 ए0 बी0 इन्टर कालेज, सैनी, इलाहाबाद को वर्ष 1985 में परीक्षार्थियों से जबरन अवैध रुपया प्राप्त कर सामूहिक नकल कराने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने दोषी पाया जिसमें परीक्षा केन्द्र हमेशा के लिए निरस्त कर दिया गया।

परन्तु वर्ष 1988 में एस0 ए0 बी0 इन्टर कालेज, सैनी, इलाहाबाद को पुनः परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का विरोध सिराथू के परीक्षार्थीगण गरीब अभिभावकगण के शिकायत पर व्यक्तिगत रूप से मैंने सचिव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद एवं जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद को दिनांक 28 जनवरी, 1988 का इस आशय का पत्र दिया कि जनहित में उक्त विद्यालय को परीक्षा केन्द्र रद्द कर दिया जाय।

परन्तु उसके बाद भी सचिव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने उक्त भ्रष्ट विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बना दिया जिससे सिराथू तहसील में घोर असंतोष है।]

जनपद इलाहाबाद के थाना कर्नलगंज की पुलिस द्वारा श्री सुरेश विद्यार्थी की पिटाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

[माननीय अध्यक्ष, पुलिस जुल्म की हृदय विदारक घटना की ओर शासन एवं सदन का ध्यान आकृष्ट कर दोषी दरोगा पुलिस के विरुद्ध वास्तविक मुकदमा कायम कर जेल भेजने तथा फर्जी रिपोर्ट को समाप्त करने की मांग करता हूं।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इलाहाबाद जनपद में गोबिन्दपुर पुलिस चौकी थाना कर्नलगंज में विगत जनवरी, फरवरी से अब तक सैकड़ों हरिजन गरीब दुकानदार पुलिस जुल्म के शिकार हो चुके हैं। उत्पीड़ित जनता ने युवक कांग्रेस के नेता श्री सुरेश कुमार विद्यार्थी के साथ पुलिस एवं दरोगा श्री सिद्दीकी के आतंक की शिकायत गृह मंत्री श्री गोपीनाथ दीक्षित से इलाहाबाद सरकिट हाउस में की थी। दरोगा के विरुद्ध जांच उसी थाने में आयी थी।

दिनांक 3 मार्च, 1988 को नाराज दरोगा श्री सिद्दीकी के साजिश से राजाराम चमार, पुतुन यादव को पुलिस बेरहमी से पीट रही थी। गुहार लगाने पर जैसे ही मेरा छोटा भाई श्री सुरेश विद्यार्थी बाहर निकला पुलिस टूट पड़ी और ललकारा कि मारो सालो नीच जाति को बहुत राजनीति करता है। कांग्रेस कार्यालय में तथा थाने के अन्दर भी प्राण घातक पिटाई की हाथ पैर तोड़ दिया। फर्जी मुकदमा भी कायम किया गया। मेडिकल एवं वास्तविक जांच कर अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। इस घटना से उत्तेजित हजारों गरीब हरिजनों ने 6 मार्च, 1988 को पुलिस चौकी का घेराव कर दोषी दरोगा पुलिस जन का निलम्बन एवं जेल भेजने की मांग की है।]

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् (खंड) हरदोई सीतापुर के अधिशासी अभियन्ता द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

[महोदय, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (खंड) हरदोई के अधिशासी अभियन्ता द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार एवं अनियमित कार्यों की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कर आशावान हूं कि उन्हें तत्काल निलम्बित कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने एक लाख बासठ हजार का तारकोल मथुरा तेल शोधक कारखाने से लाने का ठेका फर्जी कोटेशन लेकर अमित ठाकुर को दिया। तारकोल परिषद् भंडार में न आकर बाहर बिक गया। सीतापुर में 29 जगह अल्प आय वर्ग भवनों के अवशेष कार्य हेतु ब0 ओ0 क्यू0 दर से 27 प्रतिशत से ऊपर कोटेशन प्राप्त होने पर उन्होंने 17 प्रतिशत अधिक और जलपूर्ति में 40 प्रतिशत की दरों से निविदा कम करने हेतु दबाव डाला। परन्तु कुछ दिन बाद वही काम 30 प्रतिशत से अधिक के दर से कराया गया। बांड संख्या 34 ई0 ई0 डब्ल्यू0, डी0/एस0 के0 29 जनवरी, 1987 परिषद् को 60 हजार हानि हुई। इसी प्रकार सीतापुर में नालियों के निर्माण में साढ़े पांच प्रतिशत से कम दर पर स्वीकृति नहीं दी। परन्तु बाद में वही 17 प्रतिशत ऊपर की दर पर मंजूर किए गये। ठेकेदारों को भुगतान में परेशान कर कमीशन मांगना आदि अनेक उदाहरण हैं।]

जिला देवरिया में गन्ना क्रय की व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सूर्य प्रताप शाही--

[देवरिया जनपद के गन्ना किसानों के गन्ना खरीद तथा गन्ने की ढुलाई में बरती जा रही ढिलाई से गन्ना किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। देवरिया शुगर फैक्ट्री पिपरहिया, बनवारी टोला कंठी पट्टी, पथरदेवा, तिरमासाहुन, भटनी मिल शाहपुर मीखम, सखिनी, सरदारनगर फैक्ट्री हेतिमपुर, अनिरुधवा, सिरसिया खोहिया पिपरासाम कुशीनगर

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तथा कठकुइयां फैक्ट्री बरवाजंगल और जोर बाजार क्रय केन्द्र से गन्ना खरीदने में भारी लापरवाही कर रही है और इन्डेंट नहीं दे रही है। क्रय केन्द्र पर चार-चार दिन किसान बैलगाड़ियों के साथ खड़े रहते हैं और उनका गन्ना सूख जाता है और भयंकर परेशानी होती है। गन्ना 60 प्रतिशत से भी ज्यादा खेतों में है। इस लापरवाही से किसानों में रोष व क्षोभ है।

अतः सरकार से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बुलन्दशहर के तहसील सिकन्दराबाद के कतिपय ग्रामों के निवासियों की जंगली जानवरों के द्वारा धन-जन की हानि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेन्द्र भाटी--

[महोदय, जनपद बुलन्दशहर की तहसील सिकन्दराबाद में ग्राम लुकहसर, अटाई, मुराधपुर एवं मुरसदपुर की क्रमशः रकबई 383-5-0, 270-5-1 एवं 153-10-3 बीघा भूमि वन विभाग की है। तीनों ग्राम सभाओं की आबादी वन विभाग की इस भूमि से मिलती है। इस वन में बहुत ढेर जंगली जानवर रहते हैं जो धन-जन की काफी हानि कर चुके हैं। यदा-कदा इस वन में ग्रामीण एवं उनके मवेशी भी घुस जाते हैं। वन विभाग के कर्मचारी उन्हें पकड़ लेते हैं और झूठे आरोपों में बन्द कराते रहते हैं। कई बार शान्ति व्यवस्था खराब होते-होते रुकी है। यदि इसी प्रकार चलता रहा तो निश्चय ही किसी दिन बहुत बड़ा कांड होने की सम्भावना है; इसका मात्र एक हल है कि इस वन के चारों ओर कांटेदार तार लगा कर धन-जन की हानि रोकी जा सके।

मान्यवर, यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है और इसको उपस्थित करने की अनुज्ञा चाहता हूं।]

(इसी मध्य कुछ सदस्य कार्यकृत लेखक की मेज पर खड़े होकर नारे लगाने लगे।)

भारत के नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक का वर्ष 1985-86 का प्रतिवेदन (सिविल)†

श्री उपाध्यक्ष--

मद संख्या 3।

(व्यवधान के मध्य ही)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का वर्ष 1985-86 का प्रतिवेदन (सिविल) उत्तर प्रदेश सरकार प्रथम खंड एवं द्वितीय खंड को, भारत का संविधान के अनुच्छेद 151 (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

मद संख्या 4।

वित्त लेखे 1985-86 एवं विनियोग लेखे 1985-86††

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं वित्त लेखे 1985-86 एवं विनियोग लेखे 1985-86, उत्तर प्रदेश सरकार को, सदन के पटल पर रखता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

†छापा नहीं गया।

††छापे नहीं गये।

(विपक्ष के कई सदस्य कार्य वृत लेखक की मेज से माननीय अध्यक्ष के आसन की ओर बढ़ने का प्रयास करते हुये नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया) ।

दि इन्डियन टरपिनटाइन एण्ड रेजिन कम्पनी लिमिटेड की बासठवीं वार्षिक रिपोर्ट 1985-86†

श्री उपाध्यक्ष--

मद संख्या 5 ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं लघु उद्योग, दि इन्डियन टरपिनटाइन एण्ड रेजिन कम्पनी लिमिटेड की बासठवीं वार्षिक रिपोर्ट 1985-86 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री मुहम्मद आजम खां, विधायक पर हुये हमले की रामपुर जांच आयोग की रिपोर्ट†

श्री उपाध्यक्ष--

मद संख्या 6 ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं श्री आजम खां, विधायक पर हुये हमले की रामपुर जांच आयोग की रिपोर्ट (दिनांक 31 मार्च, 1986 ई0) को ज्ञापन सहित कमीशन्स आफ इंक्वायरी ऐक्ट, 1952 की धारा 2 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

(व्यवधान के मध्य)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष--

आज कार्य-स्थगन की 12 सूचनायें प्राप्त हुईं । यह सभी सूचनायें अस्वीकार की गयीं ।

वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 18--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)--

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की हेतुपूर्ति 64,25,73,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(व्यवधान के मध्य)

---

†छापी नहीं गयी ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव पेश करें ।

(किसी ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 18--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 64,25,73,000 रुपय से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(श्री बलराम यादव सहित कई सदस्य कार्यवृत्त लेखक की मेज के ऊपर चढ़कर माननीय अध्यक्ष की आसन की ओर बढ़ने का प्रयास करते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न होने पर) ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम सदन की कार्यवाही 1.30 बजे (अपरह्न) तक के लिए स्थगित करते हैं ।

(श्री उपाध्यक्ष ने 1 बजकर 4 मिनट पर सदन की कार्यवाही 1 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी । तत्पश्चात् 1 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुयी ।)

(मा० उपाध्यक्ष के आसन ग्रहण करते ही सर्वश्री विजय सिंह राणा, मूलचन्द, लक्ष्मी नारायण, शारदा प्रताप, राम सजीवन आदि नारे लगाने लगे । कुछ सदस्य कार्यवृत लेखक की मेजपर चढ़ गये ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 1987-88 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा की दिनांक 15 मार्च, 1988 में उल्लिखित अनुदानों के अन्तर्गत समस्त अनुपूरक मांगें, जो सदन के पटल पर रख दी गई हैं, उनमें क्रमशः अंकित धनराशियां जिनका कुल योग 3 अरब, 62 करोड़, 44 लाख, 71 हजार रुपये हैं वित्तीय वर्ष 1987-88 के लिये स्वीकार की जायें ।

[(1) अनुदान संख्या 2-आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) के अन्तर्गत 2,07,04,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987-88 के लिये स्वीकार की जाये ।

नोटः-- [ ] यह अंश सदन में पढ़ा नहीं गया ।

(2) अनुदान संख्या 3–आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास) के अन्तर्गत 4,56,45,000 रुपये के अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(3) अनुदान संख्या 4–उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत 3,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(4) अनुदान संख्या 5– उद्योग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 72,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(5) अनुदान संख्या 6–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 1,20,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(6) अनुदान संख्या 7–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 20,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(7) अनुदान संख्या 8–उद्योग विभाग (लेखन–सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987-88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(8) अनुदान संख्या 9–उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 18,39,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(9) अनुदान संख्या 10–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 16,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(10) अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 27,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(11) अनुदान संख्या 12–कृषि तथा अन्य सम्बन्द्ध (कृषि) के अन्तर्गत 3,98,04,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिए स्वीकार की जाय ।

(12) अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 27,04,74,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिए स्वीकार की जाय ।

(13) अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 1,00,74,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(14) अनुदान संख्या 15– कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 2,42,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(15) अनुदान संख्या 16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(16) अनुदान संख्या 17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 78,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(17) अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 1,55,68,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(18) अनुदान संख्या 20–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 3,62,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(19) अनुदान संख्या 22–खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 5,97,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(20) अनुदान संख्या 23–खेल विभाग के अन्तर्गत 2,47,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(21) अनुदान संख्या 25–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 1,42,56,63,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(22) अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 99,42,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(23) अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 14,85,55,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिय स्वीकार की जाय ।

(24) अनुदान संख्या 28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 2,84,04,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(25) अनुदान संख्या 29–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 30,92,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(26) अनुदान संख्या 30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 7,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(27) अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 3,73,04,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(28) अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 40,26,000 रुपये के अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(29) अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 34,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(30) अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 47,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(31) अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 5,33,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(32) अनुदान संख्या 37–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 5,14,92,000 रुपये के अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(33) अनुदान संख्या 38–नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 30,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(34) अनुदान संख्या 39–नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत 1,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(35) अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत 1,10,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(36) अनुदान संख्या 41–निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 1,40,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(37) अनुदान संख्या 42–न्याय विभाग के अन्तर्गत 52,62,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(38) अनुदान संख्या 43–परिवहन विभाग के अन्तर्गत 62,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(39) अनुदान संख्या 44–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 3,97,31,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(40) अनुदान संख्या 45–प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(41) अनुदान संख्या 46–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 1,68,38,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(42) अनुदान संख्या 47–पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 18,10,86,000 रु० की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(43) अनुदान संख्या 49–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 8,70,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(44) अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत 32,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(45) अनुदान संख्या 51–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 10,15,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(46) अनुदान संख्या 52–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 6,50,000 रु0 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(47) अनुदान संख्या 53–वन विभाग के अन्तर्गत 2,13,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(48) अनुदान संख्या 54–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(49) अनुदान संख्या 55–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते और पेन्शन) के अन्तर्गत 1,62,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(50) अनुदान संख्या 56–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 1,78,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(51) अनुदान संख्या 57–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 63,10,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(52) अनुदान संख्या 59–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 47,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(53) अनुदान संख्या 63–विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 22,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(54) अनुदान संख्या 64–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 2,67,89,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(55) अनुदान संख्या 65–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 18,43,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(56) अनुदान संख्या 66–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 5,72,08,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(57) अनुदान संख्या 68–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 18,96,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(58) अनुदान संख्या 69–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 98,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(59) अनुदान संख्या 70–श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 3,94,21,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(60) अनुदान संख्या 72–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 1,43,12,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(61) अनुदान संख्या 73–सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(62) अनुदान संख्या 74–सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 4,71,88,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(63) अनुदान संख्या 75–सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 4,06,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(64) अनुदान संख्या 76–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 92,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(65) अनुदान संख्या 77–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 6,53,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(66) अनुदान संख्या 78–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 18,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(67) अनुदान संख्या 79–संस्थागत वित्त विभाग (विक्रीकर) के अन्तर्गत 1,70,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(68) अनुदान संख्या 80–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 7,89,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(69) अनुदान संख्या 81–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 13,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(70) अनुदान संख्या 82–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 1,84,21,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(71) अनुदान संख्या 83–सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 65,000 रुपय की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(72) अनुदान संख्या 85–सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 78,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(73) अनुदान संख्या 86–सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 7,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिय स्वीकार की जाय ।

(74) अनुदान संख्या 88–सूचना विभाग के अन्तर्गत 2,75,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(75) अनुदान संख्या 89–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 45,04,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(76) अनुदान संख्या 90–हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण) के अन्तर्गत 14,07,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(77) अनुदान संख्या 91–हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) के अन्तर्गत 21,18,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(78) अनुदान संख्या 92–हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 51,29,000 रुपय की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।]

(कुछ सदस्यों द्वारा निरन्तर जोर–शोर से नारे लगाने से घोर व्यवधान के मध्य ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि विधान सभा की आज, दिनांक 15 मार्च, 1988 की कार्य सूची की मद संख्या 13 की उपमदों (1) से (78) में उल्लिखित अनुदानों के अन्तर्गत समस्त अनुपूरक मांगों, जो सदन के पटल पर रख दी गयी हैं, में क्रमशः अंकित धनराशियां, जिनका योग रुपये 3 अरब, 62 करोड़, 44 लाख, 71 हजार है, वित्तीय वर्ष 1987–88 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1987–88 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1988

मुख्य मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1987–88 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1988 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1987-88 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1988 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1987-88 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1988 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब विधेयक की प्रतियां वितरित कर दी जायं ।

(विधेयक की प्रतियां वितरित की गयीं ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1987-88 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1988 पर विचार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1987-88 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1988 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, खण्ड 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1987-88 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1988

31 मार्च, 1988 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये ।

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1987-88 का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, 1988 कहलायेगा । संक्षिप्त शीर्ष नाम

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 1988 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 4,40,68,58,000 रुपये (चार अरब चालीस करोड़, अड़सठ लाख, अठ्ठावन हजार रुपये केवल) होता है, अधिक न हो।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 1987–88 के लिये 4,40,68,58,000 रुपये का दिया जाना

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

विनियोग

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

अनुदान/क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
			रु0	रु0	रु0
2	आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास)	राजस्व	7,04	..	7,04
		पूंजी	2,00,00	..	2,00,00
3	आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास)	राजस्व	4,12,45	..	4 12,45
		पूंजी	44,00	..	44,00
4	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व	3,72	..	3,72
		पूंजी	..	..	..
5	उद्योग विकास (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	65,01	..	65,01
		पूंजी	7,00	..	7,00
6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व	1,20,00	2,76	1,22,76
		पूंजी	..	2,12	2,12

उत्तर प्रदेश विधान सभा

7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	..	2,65	2'65
		पूंजी	20,00	10,72	30,72
8	उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)	राजस्व	65	..	65
		पूंजी	..	..	..
9	उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व	18,38	..	18,38
		पूंजी	1	..	1
10	ऊर्जा विभाग	राजस्व	50,00	..	50,00
		पूंजी	16,00,00	..	16,00,00
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)	राजस्व	27,76	84	28,60
		पूंजी	..	..	..
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व	2,08,05	..	2,08,05
		पूंजी	1,89,99	..	1,89,99
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व	26,94,74	..	26,94,74
		पूंजी	10,00	..	10,00
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व	1,00,74	..	1,00,74
		पूंजी	..	..	..
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व	2,13,06	..	2,13,06
		पूंजी	29,47	..	29,47
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व	25	..	25
		पूंजी	..	..	..
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व	78,75	..	78,75
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
			रु0	रु0	रु0
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व	82,75	..	82,75
		पूंजी	72,93	..	72,93
20	कार्मिक विभाग(प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व	3,62	..	3,62
		पूंजी	..	..	..
22	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	1,97,90	..	1,97,90
		पूंजी	4,00,00	4,60,00	8,60,00
23	खेल विभाग	राजस्व	83	..	83
		पूंजी	1,64	..	1,64
25	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	..	82	82
		पूंजी	1,42,56,63	..	1,42,56,63
26	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	99,42	..	99,42
		पूंजी	..	..	..
27	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	14,85,55	25	14,85,80
		पूंजी	..	..	..
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	2,84,04	..	2,84,04
		पूंजी	..	..	..
29	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	30,92	..	30,92
		पूंजी	..	..	..
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व	7,50	..	7,50
		पूंजी	..		..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

*31	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व	..	13,65	13,65
		पूंजी	..	..	..
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व	3,73,04	..	3,73,04
		पूंजी	..	..	..
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व	40,26	..	40,26
		पूंजी	..	..	..
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व	34,01	..	34,01
		पूंजी	..	..	..
35	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व	27,50	..	27,50
		पूंजी	20,00	..	20,00
36	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	5,10,67	..	5,10,67
		पूंजी	22,99	..	22,99
37	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	5,14,92	..	5,14,92
		पूंजी	..	..	..
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	30,01	..	30,01
		पूंजी	50	..	50
39	नियुक्ति विभाग	राजस्व	1,00	..	1,00
		पूंजी	..	..	..
40	नियोजन विभाग	राजस्व	1,10	..	1,10
		पूंजी	..	..	..
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व	1,40,00	..	1,40,00
		पूंजी	..	..	..

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
			रु0	रु0	रु0
42	न्याय विभाग	राजस्व	17,62	35,16	52,78
		पूंजी	35,00	..	35,00
43	परिवहन निगम	राजस्व	52,52	..	52,52
		पूंजी	9,78	..	9,78
44	पर्यटन विभाग	राजस्व	4,29	..	4,29
		पूंजी	3,93,02	..	3,93,02
45	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	1	..	1
		पूंजी	..	..	..
46	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	1,63,71	..	1,63,71
		पूंजी	4,67	..	4,67
47	पर्वतीय विकास विभाग	राजस्व	8,87,06	2,99	8,90,05
		पूंजी	9,23,80	2,42	9,26,22
49	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	2,90,76	91	2,91,67
		पूंजी	80,00	..	80,00
50	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व	32	..	32
		पूंजी	..	..	..
51	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	10,15,05	72	10,15,77
		पूंजी	..	..	..
52	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	6,50	..	6,50
		पूंजी	..	..	..
53	वन विभाग	राजस्व	2,13,06	..	2,13,06
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

54	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	..	27,51,00	27,51,00
		पूंजी	1	41,25,00	41,25,01
55	वित्त विभाग (अभिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	राजस्व	1,62,00	..	1,62,00
		पूंजी	..	..	..
56	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	1,78	..	1,78
57	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व	67,10	..	67,10
		पूंजी	..	..	..
59	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	47	3,90,01	3,90,48
		पूंजी	..	..	..
61	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	..	1,30	1,30
		पूंजी	..	..	..
63	विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग	राजस्व	22,77	..	22,77
		पूंजी	..	..	..
64	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	2,67,89	..	2,67,89
		पूंजी	..	..	..
65	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	17,67,21	..	17,67,21
		पूंजी	76,09	..	76,09
66	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	5,72,08	..	5,72,08
		पूंजी	..	..	..
68	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व	18,96	..	18,96
		पूंजी	..	..	..
69	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	98,28	..	98,28
		पूंजी	..	..	..
70	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	3,43,83	..	3,43,83
		पूंजी	50,38	..	50,38

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
			रु0	रु0	रु0
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व	..	1,00	1,00
		पूंजी	1,43,12	..	1,43,12
73	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व	26	18,56	18,82
		पूंजी	2	..	2
74	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	4,71,88	..	4,71,88
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	4,06,00	..	4,06 00
		पूंजी	1	..	1
76	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	92	..	92
		पूंजी	..	..	..
77	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	1,53,23	..	1,53,23
		पूंजी	5,00,53	..	5,00,53
78	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	18,75	..	18,75
79	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर)	राजस्व	1,70,15	19	1,70,34
		पूंजी	30	..	30
80	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	7,89	..	7,89
		पूंजी	..	..	..
81	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	6,07	..	6,07
		पूंजी	7,00	..	7,00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

82	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	1,84,21	..	3,84,21
		पूंजी	..	..	..
83	सतर्कता विभाग	राजस्व	65	80	1,45
		पूंजी	..	..	..
85	सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	78,73	..	78,73
		पूंजी	..	..	..
86	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	7,70	..	7,70
		पूंजी	..	..	..
88	सूचना विभाग	राजस्व	2,75,66	..	2,75,66
		पूंजी	..	.	..
89	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	45,04	..	45,04
		पूंजी	..	..	..
90	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण)	राजस्व	14,07,30	..	14,07,30
		पूंजी	..	..	..
91	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)	राजस्व	1,18	..	1,18
		पूंजी	20,00	..	20,00
92	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व	51,29	..	51,29
		पूंजी	..	..	..
	योग ..	राजस्व	1,66,33,41	32,23,61	1,98,57,02
		पूंजी	1,96,11,30	46,00,26	2,42,11,56
	कुल योग ..		3,62,44,71	78,23,87	4,40,68,58

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1987-88 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1988 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1987-88 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक 1988 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और व्यवधान के मध्य स्वीकृत हुआ ।)

(कुछ सदस्यों के अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने का प्रयास करने से सदन में घोर व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं आज साढ़े तीन बजे तक के लिए ।

(इस समय 1 बजकर 33 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 3 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी । तत्पश्चात् 3 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(श्री मनोहर लाल, श्री राम सजीवन, श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री रिछपाल सिंह बंसल, श्री शारदा प्रताप आदि कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये, और नारे लगाते हुये अध्यक्ष के आसन की ओर बढ़ते रहने से घोर व्यवधान)

नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत चार सूचनायें प्राप्त हुई हैं मैं इन चारों सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं ।

(घोर व्यवधान)

अब हम साढ़े चार बजे तक के लिए उठते हैं ।

(श्री उपाध्यक्ष ने 3 बजकर 31 मिनट पर सदन की कार्यवाही 4 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । तत्पश्चात् 4 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री जयदीप सिंह बरार--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज जितनी कार्यवाही सारे दिन होती रही वह सारी नियमों के विपरीत होती रही है ।

(व्यवधान के मध्य)

प्रदेश के 22 जनपदों में केन्द्रीय उपभोक्ता भंडारों के अध्यक्ष सहित डायरेक्टरों का मनोनयन किये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य के स्थगन की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

मद संख्या 19 स्थगित की जाती है।

श्री जयवीर सिंह बघार--

सारे दिन जो कार्यवाही जो होती रही वह अव्यवस्थित होती रही क्योंकि सदन अव्यवस्थित था। सरकार अक्षम हो गयी है।

श्री प्रदीप माथुर---

मान्यवर, यह कैसे बोल रहे हैं ?

(शोर)

जनपद आजमगढ़ में स्थित चीनी मिल सठियांव तथा घोसी द्वारा जिले के किसानों का गन्ना न लिए जाने के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा

(सर्वश्री बलराम यादव, राम जनम यादव, दुर्गा प्रसाद यादव, फागू चौहान के नाम पुकारे गये पर सूचना देने वाले सदस्यों के अनुपस्थित होने के कारण चर्चा न हो सकी)

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 31 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 15 मार्च, 1988 ई0

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर पुस्तिका सभा

नत्थी 'क'

(देखिये ता0 प्र0 सं0 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 7 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित श्री विक्रमादित्य पाण्डेय द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-7 के उत्तर का संलग्नक

1--हर ग्राम सभा में युवक मंगल दल का गठन करके युवकों को निर्माण कार्य में प्रभावी भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना।

2--प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ युवक मंगल दल को विवेकानन्द यूथ एवार्ड के रूप में एक लाख रुपये का नकद इनाम तथा एक चल वैजयन्ती प्रदान की जायेगी।

3--हर जनपद के सर्वश्रेष्ठ युवक मंगल दल को 5 हजार रुपये का नकद इनाम एवं एक चल वैजयन्ती दी जायेगी।

4--युवकों को स्वतः रोजगार स्थापित करने के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण का आयोजन।

5--युवकों के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण का आयोजन।

6--युवकों के लिए अन्तरप्रदेशीय भ्रमण कार्यक्रमों का आयोजन।

7--ब्लाक, जिला एवं प्रदेश स्तर पर युवा सम्मेलनों का आयोजन।

8--ब्लाक, जिला एवं प्रदेश स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन।

9--युवक मंगल दलों द्वारा वृक्षारोपण एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों में प्रभावी रूप से भागीदारी।

10--युवा वर्ग को एकत्रित कर, स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्रभातफेरी आयोजित करना, देश प्रेम की भावना, राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सद्भावना को सुदृढ़ करना, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गोष्ठियां आदि आयोजित कर युवा वर्ग में जागृति लाना।

11--विद्यालय तथा विश्वविद्यालयों में खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्काउटिंग-गाइडिंग, साक्षरता अभियान, वाद-विवाद प्रतियोगिता आदि विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन।

12--राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली टीमों के प्रशिक्षण का आयोजन।

13--विभिन्न पालीटेक्निक प्राविधिक विद्यालयों द्वारा अपने निकट के एक दो गांवों में सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध मशीनों एवं संयंत्रों से युवकों को अल्पकालिक प्रशिक्षण दिया जाना।

14--अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के युवकों के लिये चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में प्रभावी कार्यवाही किया जाना।

15--खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामोद्योग के अन्तर्गत 1.00 लाख इकाइयों की स्थापना की जायेगी, स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत युवकों को अपना रोजगार

लगाने के लिये वित्तीय सहायता दी जायेगी तथा अन्य औद्योगिक योजनायें ली जायेगी, जिसमें युवा वर्ग को स्वतः रोजगार उपलब्ध होगा ।

16--युवकों को स्वास्थ्य शिक्षा एवं परिवार कल्याण की जानकारी देने के लिए ब्लाक स्तर-जिला स्तर पर गोष्ठियों का आयोजन ।

17—युवा कार्यक्रमों के लिये पंचायत भवनों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना ।

18--युवा कलाकारों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्राथमिकता दी जायेगी । विश्व-विद्यालय एवं कालेजों में सांस्कृतिक शिक्षा तथा युवा वर्ग की समस्यायें और उसके निराकरण से सम्बन्धित विषयों में कार्यक्रमों का आयोजन ।

19—आई0 टी0 आई0 के माध्यम से युवकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिये ता0 प्र0 संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 8 पर)

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (लेखा) अनुभाग-2

संख्या ए-2-797/दस-87-24 (12)-86

लखनऊ : दिनांक 25 मई, 1987

कार्यालय-ज्ञाप

विषय : अधिकारों का प्रतिनिधायन-अस्थाई पदों का स्थायीकरण

वर्तमान प्रक्रियानुसार अस्थायी पदों के स्थायीकरण के आदेश प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्ताव के गुणावगुण के आधार पर परीक्षणोपरान्त वित्त विभाग की सहमति के निर्गत किये जाते हैं। अधोहस्ताक्षरी को अब यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्य में दक्षता लाने तथा अधिकाधिक पदों को स्थायी किये जाने के उद्देश्य से सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी पदों को स्थायी करने के अधिकार प्रशासनिक विभागों को तात्कालिक प्रभाव से प्रतिनिहित कर दिये जायें :--

(1) प्रश्नगत पद किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिये या किसी नियत अवधि के सृजित न किये हों। उदाहरणस्वरूप उनका सृजन केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत न किया गया हो।

(2) जिस कार्य या कार्यालय के लिये प्रश्नगत पद सृजित किया गया हो वह स्थायी प्रकार का हो तथा उसके सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग संतुष्ट हो कि यह भविष्य में निरन्तर चलता रहेगा।

(3) स्थायीकरण के दिनांक से कम से कम 3 वर्ष पूर्व वित्त विभाग की सहमति से पद का सृजन किया गया हो और वर्षानुवर्ष उसको निरन्तरता की शासकीय स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा दी जाती रही हो।

(4) प्रश्नगत पद 6 माह अथवा उससे अधिक अवधि से रिक्त न हो।

(5) पद के पदनाम एवं उसके वेतनमान के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया गया हो कि उसका पदनाम और वेतनमान सही हो तथा वह वित्त विभाग की सहमति से निर्धारित किये गये हों।

(6) स्थायी किये जाने वाले पद को भविष्य में फालतू होने की कोई संभावना न हो तथा प्रशासकीय विभाग पूर्णरूप से संतुष्ट हो कि प्रश्नगत पद का स्थायीकरण कार्यभार तथा निर्धारित मापदण्ड (यदि कोई हो) के आधार पर पूर्णरूप से औचित्यपूर्ण है।

(7) स्थायी किया जाने वाला पद किसी स्थायी पद को आस्थगित रखकर न सृजित न किया गया हो ।

(8) प्रशासकीय विभाग द्वारा पद सृजन के मूल आदेश तथा उसकी निरन्तरता के आदेश देखकर यह संतुष्ट कर लिया गया हो कि मामले में कोई विसंगति नहीं है ।

2--प्रशासकीय विभाग कृपया अनिवार्य रूप से यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सम्बन्धित अधिकारी विभागीय सचिव के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले इस आशय का प्रमाण-पत्र दें कि आदेशार्थ प्रस्तुत स्थायीकरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में उपर्युक्त सभी आठों शर्तें पूरी हो जाती हैं ।

3--सुविधा के लिए पदों के स्थायीकरण के आदेश निर्गत किये जाने वाले आदेश का प्रारूप संलग्न है ।

4--पदों के स्थायीकरण के अन्य प्रस्ताव जिनमें उपरोक्त शर्तें न पूरी होती हों, वित्त विभाग को पूर्ववत् सहमति हेतु संदर्भित किये जायेंगे ।

सोम दत्त त्यागी,
विशेष सचिव ।

शासन के समस्त सचिव,
एवं विशेष सचिव ।

संख्या ए-2-797 (1) दस-87-24 (12)-86

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1--समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

2--शासन के समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव ।

3--समस्त माननीय मंत्रिगण के निजी सचिव ।

4--प्रशासनिक सुधार अनुभाग 1 को उनके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 1128/तैंतालित-73 (1)-88, दिनांक 12 मई, 1986 के संदर्भ में ।

5--सचिवालय के समस्त अनुभागों को इस अभ्युक्ति के साथ कि पदों के स्थायीकरण सम्बन्धी निर्गत किये जाने वाले आदेशों की एक प्रति सम्बन्धित वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभागों/वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग 1 को भी इस आशय से प्रेषित की जाय कि उन आदेशों में कोई त्रुटि पायें तो तुरन्त सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों को लिख दें ।

आज्ञा से,
विसर्जन राम,
संयुक्त सचिव ।

नत्थी "ग"

(देखिये अता0 प्र0 सं0 42 का उत्तर पीछे पृष्ठ 24 पर)

विधान सभा के प्रथम-सत्र 88 के 3रे मंगल के लिए निर्धारित श्री राम सजीवन द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0 42 के उत्तर में उल्लिखित तालिका

बांदा स्टेडियम के निर्माण कार्य में माह 4/86 से 2/87 तक किये गए व्यय का विवरण

माह	व्यय
1	2
4/86	8025·00
5/86	(-) 1327·50*
6/86	(-) 10722·50*
7/86	8513·86
8/86	14024·00
9/86	6004·00
10/86	94·00
11/86	शून्य
12/86	2570·00
1/87	5493·00
2/87	1271·00

*जारी की गई सामग्री के स्टोर में वापस किये जाने के फलस्वरूप किया गया समायोजन ।

अध्यक्ष प्रदेश विधान सभा

नत्थी "घ"

(देखिये अता0 प्र0 सं0 57 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28 पर)

सेवा में,

माननीय गन्ना राज्य मन्त्री,
उ0 प्र0 सरकार, लखनऊ।

20 दिसम्बर, 1986

विषय :--राज्य चीनी निगम में अधिकारियों द्वारा शोषण एवं अवैधानिक कार्य।

हम आपका ध्यान उक्त सार्वजनिक प्रतिष्ठान के अधिकारियों द्वारा अधोलिखित तरीके से अपने अधिकारों का दुरुपयोग, धन उगाही तथा अवैधानिक कृत्यों की ओर आकृष्ट कर निष्पक्षतापूर्वक जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अनुसंसा करते हैं।

1--यह कि नियमत: किसी भी वेतनमान जुड़ने वाला महंगाई-भत्ता निश्चित होता है। किन्तु उक्त प्रतिष्ठान के श्रम कल्याण अधिकारी श्री आर0 के0 दुबे अपने पद और समता का दुरुपयोग करके साथ ही सम्बन्धित कर्मचारियों को अभित्रस्त करके अपने वर्तमान वेतन में कई वर्षों से 5-6 प्रकार के मंहगाई-भत्ते को अनिधिकृत रूप से जुड़वाकर प्राप्त कर रहे हैं। ज्ञातव्य हो कि राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू वेतन मान का मंहगाई-भत्ता निश्चित है, किन्तु उक्त अधिकारी राज्य सरकार के साथ शुगर बैज बोर्ड का महंगाई-भत्ता भी एक साथ पिछले कई वर्षों से ले रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से पूंछ-ताछ करने पर सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा उसकी पुष्टि भी प्राप्त हुई है। उन कर्मचारियों द्वारा धमकी भी दी गई है।

2--यह कि उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम के सेवा नियमों की धारा 13: ए: जिसका विवरण आरोप-पत्र के साथ मूलरूप में संलग्न है का उल्लंघन भी उक्त श्रम कल्याण अधिकारी ने किया है। उक्त नियम में यह स्पष्ट निदेशित है कि निगम में कार्यरत कोई अधिकारी/कर्मचारी पूर्वादेश प्राप्त किये बिना किसी भी प्रकार का व्यापार या बीमा एजेंसी जैसा कार्य स्वयं अथवा पत्नी व अपने किसी भी परिवार के सदस्य द्वारा नहीं करा सकता है। परन्तु उक्त श्रम कल्याण अधिकारी अपनी पत्नी के नाम बीमा एजेंसी लेकर अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर जबरदस्ती भी श्रमिकों का बीमा करता है तथा बीमा सम्बन्धी सारे अभिलेख स्वयं तैयार करता है।

3--यह कि उक्त श्रम कल्याण अधिकारी द्वारा उ0 प्र0 लेबर वेलफेयर एक्ट, 1956 की धारा 17 व 18 का भी उल्लंघन कर विगत दो वर्षों में प्रतिष्ठान की लकड़ी का खरीद फरोख्त किया है तथा उक्त खरीदारी में भी गोलमाल किया है यह दोनों ही कार्य अवैध हैं।

4--यह कि उक्त प्रतिष्ठान के मुख्य अभियंता श्री ए0 के0 वर्मा के सम्बन्ध में आरोपों का पुलिन्दा शासन को तमाम संस्थाओं द्वारा भेजा गया है। उक्त अधिकारी का विगत 7-8 वर्षों से इसी प्रतिष्ठान में बार-बार स्थानान्तरण रोकवा कर कार्यरत रहना रहस्मय, आश्चर्यजनक तथा शासन के नियमों के विपरीत आचरण है।

5--यह कि उक्त मुख्य अभियन्ता के कार्यकाल के सभी ठेकों/क्रय सम्बन्धित फाईलों का निगम के तत्सम्बन्धित प्रचारित नियमों से मिलान करते हुए विस्तृत जांच की महत्ता सम्प्रेषित हो।

6--यह कि उक्त प्रतिष्ठान के शुगर इंचार्ज श्री आर0 के0 अवस्थी द्वारा हाई-स्कूल का दो प्रमाण-पत्र दाखिल कर धोखा-धड़ी करते हुये अपना सेवाकाल में 7 वर्ष की वृद्धि करा लेना एक संगीन अपराध है ।

7--यह कि उक्त प्रतिष्ठान के हेड टाइम कीपर श्री अवधनरायण पांडे द्वारा अपनी ही सर्विस बुक का पन्ना गायब कर अधिकारियों की सांठ-गांठ द्वारा 5 वर्ष अपना सेवाकाल बढ़ा देना ज्ञातव्य हो कि किसी भी प्रतिष्ठान का सर्विस-बुक एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है तथा उस अभिलेख की सुरक्षा व देख-रेख करने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृत्य करे यह दंडनीय तथा शर्मनाक घटना है ।

8--यह कि एक लेखा शिक्षु श्री पवन कुमार श्रीवास्तव की बराबर अनुपस्थिति में भी उनका फर्जी हस्ताक्षर बनाकर वेतन प्राप्त करना ।

अतः उपरोक्त सभी आठों आरोपों पर विस्तृत जांच कराने तथा जांच के पूर्व सम्बन्धित व्यक्तियों का अन्यत्र स्थानान्तरण करते हुये आवश्यक आदेश पारित कर विधिक कार्यवाही करने की कृपा करें ताकि इस सार्वजनिक हित के प्रतिष्ठान के साथ-साथ सम्बन्धित कृषकों एवं श्रमिकों की हित की रक्षा हो सकें ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(ह0) अभय प्रताप सिंह,

मह मंत्री,

कारपोरेशन चीनी मिल कर्मचारी संघ, रामकोला

(देवरिया), उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि :--

1--माननीय मुख्य मन्त्री, उ0 प्र0, लखनऊ ।

2--सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ ।

3--अध्यक्ष, राज्य चीनी निगम, 25-बी, अशोक मार्ग, लखनऊ ।

यू० पी० इस्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, सर्विस रूल्स

*13-ए--प्राइवेट ट्रेड आफ इम्प्लायमेन्ट--

1--नो इम्प्लोयी आफ दि कारपोरेशन, शैल एक्सेप्ट विद दि प्रीवियस सैंक्शन आफ दि कारपोरेशन आब्टेन्ड इन राइटिंग, इन्गेज डाईरेक्टली आर इनडाइरेक्टली इन एनी ट्रेड आर बिजनेस आर अन्डरटेक एनी इम्प्लायमेन्ट ;

प्रोवाइडेड दैट ऐन इम्प्लायी आफ दि कारपोरेशन मे विदआउट सच सेंक्शन अन्डरटेक आनरेरी वर्क आफ सोशल आर चैरीटेबल नेचर आर ओकेशनल वर्क आफ लिटरेरी, आरटिसटिक आर साईन्टिफिक कैरेक्टर, सबजेक्ट टू दि कन्डीशन दैट हिज आफिशियल ड्यूटीस डू नाट देयरबाई सफर; बट ही शैल नाट अन्डरटेक आर शैल डिसकन्टीन्यू सच वर्क इफ सो डाइरेक्टेड बाई दि कारपोरेशन ।

ऐक्सप्लानेशन--

कैनवासिंग बाई ऐन इम्प्लाई आफ दि कारपोरेशन इन सपोर्ट आफ दि बिजनेस आफ इन्शोरेन्स एजेन्सी आर कमीशन एजेन्सी । ओन्ड आर मैनेज्ड बाई हिज वाइफ आर एनी अदर मेम्बर आफ दि फैमिली शैल बी डीम्ड टू बी ए ब्रांच आफ दिस रूल्स ।

एवरी इम्प्लाई आफ दि कारपोरेशन शैल इफ एनी मेम्बर आफ हिज फैमिली इस इन्गेज्ड इन ए ट्रेड आर बिजनेस आर ओन्स आर मैनेजेस ऐन इन्शोरेन्स एजेन्सी आर कमीशन एजेन्सी, रिपोर्ट दैट फैक्ट टू दि कारपोरेशन ।

विधान सभा प्रदेश

नत्थी "ङ"

देखिये अता० प्र० सं० 69 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31 पर)

तालिका

	खण्ड का नाम	सहायक अभियंता		अवर अभियंता	
		स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत संख्या	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत संख्या
	1	2	3	4	5
1	प्रान्तीय खण्ड, लखनऊ	5	5	14	13
2	निर्माण खण्ड (बाढ़), लखनऊ	4	5	18	12
3	विभागीय निर्माण इकाई (मार्ग) लखनऊ	4	6	20	13
4	विभागीय निर्माण इकाई नं० 1, (मार्ग) लखनऊ	3	5	10	15
5	विभागीय निर्माण इकाई नं० 2, (मार्ग) लखनऊ	3	5	10	11
6	प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव	4	5	16	12
7	विभागीय निर्माण इकाई नं० 1, उन्नाव	5	3	16	9
8	विभागीय निर्माण इकाई नं० 2, उन्नाव	3	3	10	7
9	प्रान्तीय खण्ड, हरदोई	4	4	18	7
10	विभागीय निर्माण इकाई नं० 1, हरदोई	5	2	16	13
11	विभागीय निर्माण इकाई, बिलग्राम	3	2	10	4
12	प्रान्तीय खण्ड, रायबरेली	4	4	16	12
13	विभागीय निर्माण इकाई नं० 1, (मार्ग) रायबरेली	5	3	20	12
14	विभागीय निर्माण इकाई नं० 2, (मार्ग) रायबरेली	3	3	10	9

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल

1	2	3	4	5
15 निर्माण खण्ड, सुल्तानपुर	4	3	18	7
16 अस्थायी खण्ड नं0 1, सुल्तानपुर	4	5	13	18
17 विभागीय निर्माण इकाई (सेतु) लखनऊ	3	1	10	2
18 प्रान्तीय खण्ड, सीतापुर	4	3	16	14
19 अस्थायी खण्ड, सीतापुर	4	3	13	12
20 प्रान्तीय खण्ड, खीरी	4	2	16	13
21 निर्माण खण्ड, खीरी	4	4	16	12
22 अस्थायी विभागीय निर्माण इकाई नं0–2, उन्नाव	3	2	10	7
23 अस्थायी खण्ड, हरदोई	4	3	13	10
24 विभागीय निर्माण इकाई (भवन) सीतापुर	3	2	13	8
25 अस्थायी खण्ड, खीरी	4	2	13	8
26 अस्थायी खण्ड, रायबरेली	4	3	13	8
27 विद्युत् खण्ड नं0–1, लखनऊ	4	4	8	11
28 विद्युत् खण्ड नं0–2, लखनऊ	4	4	8	16
29 यांत्रिक खण्ड, लखनऊ	5	4	16	12
30 अस्थायी विभागीय निर्माण इकाई (विद्युत/यांत्रिक) लखनऊ	3	4	8	9
31 विद्युत/यांत्रिक खण्ड, सीतापुर	4	6	9	20
	तकनीकी कोष्ठ			
1 तकनीकी कोष्ठ नं0–3, लखनऊ	2	..	4	..
तकनीकी कोष्ठ नं0–15 (विद्युत्/यांत्रिक), लखनऊ	2	..	4	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 89 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1988 के 3रे मंगल के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–89 का अनुलग्नक ।

बन्दियों के नाम जिनकी मुक्ति स्वीकार की गई

1––जगजीवन पुत्र भगवान दीन
2––मंक पुत्र ननकऊ
3––बाला प्रसाद पुत्र खेदू राम

बन्दियों के नाम जिनकी मुक्ति अस्वीकार की गई

1––श्याम जी पुत्र सत्य नारायन
2––मुस्तफा पुत्र जफीर खां
3––तेरसू पुत्र सीताराम
4––सकोर खां पुत्र हजारी खां
5––सईद खां पुत्र सब्बीर खां
6––फतेहयाब खां पुत्र नवाब खां
7––सरीफ खां पुत्र पैगम्बर खां
8––इलियास खां पुत्र नबी खान
9––राजकुमार पुत्र मुखिया सिंह
10––अर्जुन सिंह पुत्र गिरधारी सिंह
11––राम नाथ पुत्र भगवान दीन
12––अब्दुल सत्तार पुत्र बहादुर खां
13––राम खेलावन पुत्र महाबीर प्रसाद
14––बृज लाल पुत्र झाड़ू
15––बाबादीन पुत्र धनई
16––रामदीन पुत्र मंगल
17––नत्थू सिंह पुत्र बैजनाथ सिंह
18––मेवा लाल पुत्र भुलई
19––राम साहब सिंह पुत्र राम नरेश सिंह
20––त्रिभुवन पुत्र कालिका
21––सर्वदेव पुत्र बाल किशन
22––गिल्ता पुत्र हीरा
23––बैजनाथ पुत्र बल्देव
24––पारसनाथ पुत्र स्वामीनाथ
25––रमाकान्त पुत्र राजमन
26––राजमनि पुत्र स्वामीनाथ
27––जगदम्बा पुत्र माता प्रसाद
28––रामफेर पुत्र गजाधर
29––शेख हसन पुत्र गोरे शठे
30––लालजी सिंह पुत्र उपेन्द्र सिंह
31––रमेश राय पुत्र विन्ध्याचल
32––विश्वनाथ पुत्र महादेव
33––जोखन सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह
34––गंगा पुत्र बौड़म
35––बच्चन सिंह पुत्र शिवधारी सिंह
36––ढोढ़े पुत्र बुधई
37––शिवनाथ सिंह पुत्र मुनेश्वर सिंह
38––जय प्रकाश पुत्र श्याम लाल

39--अवधेश राय पुत्र विन्ध्याचल
40--राम ललित पुत्र बलभद्र
41--दशरथ पुत्र अलखे
42--शंकर उर्फ भग्गल पुत्र हरदत्त
43--मुल्तानी पुत्र शिवभद्र
44--गौरी शंकर पुत्र कल्पनाथ
45--सोहन पुत्र झिल्लू
46--बनवारी पुत्र राम दयाल
47--पुत्तू पुत्र धनई
48--शफीक बेग पुत्र सुल्तान बेग
49--खलील पुत्र भोखू
50--मनोहर पुत्र रामाधीन
51--हरिश्चन्द्र तिवारी पुत्र उदयभान
52--बांके पुत्र श्याम
53--राम प्रसाद पुत्र हजारी
54--नर्वदा पुत्र रामलखन
55--दीरत पुत्र अनूप
56--चुन्नी लाल पुत्र बुद्धिराम
57--कालिका पुत्र रामदास
58--मंगरू पुत्र हड़बड़ी
59--श्याम नरायन पुत्र मंगरू
60--राम खेलावन पुत्र महाबीर
61--शराफत उल्ला पुत्र हाजी अब्दुल वहाब
62--सुधाकर तिवारी पुत्र चन्द्रमा प्रसाद
63--गहन यादव पुत्र नौबत यादव
64--मदन चाई पुत्र छेदी
65--रामजी पुत्र दयाराम
66--ताज मोहम्मद पुत्र गुलाम रसूल
67--कामता पुत्र रघुनाथ
68--बैजनाथ पुत्र मुंद्रिका
69--भोला पुत्र लाल मोहम्मद
70--लाल जी पुत्र राम नाथ
71--रामदेव पुत्र खेलई
72--शिवपाल सिंह पुत्र सूर्य बक्स सिंह
73--जवाहिर पुत्र हजारी

बन्दियों के नाम जिनके फार्म 'ए' में प्रार्थना-पत्र विभिन्न स्तरों पर अभी विचाराधीन हैं

1--श्याम सुन्दर पुत्र इन्दल
2--बच्छन पुत्र करीम बक्स
3--जंग बहादुर सिंह पुत्र रामाधार सिंह
4--अमरिका पुत्र गुलदीन
5--खलील पुत्र फौजदार
6--जवाहर पुत्र झब्बू
7--रामकरन सिंह पुत्र दर्शन सिंह
8--भगवान बक्स सिंह पुत्र जंगी सिंह
--गोरख सिंह पुत्र कोमल सिंह
10--दिलराम पुत्र काशी
11--राम सागर पुत्र हजारी
12--चन्द्रबली पुत्र रामकृपाल
13--दीनानाथ पुत्र केसर सिंह
14--मेवा लाल पुत्र मुन्ना लाल
15--भैरव पुत्र संगम
16--चन्द्रशेखर पुत्र गनेश
17--राम जियावन पुत्र मंगरू
18--गोपाल पुत्र बासदेव

19—बजरंगी पुत्र मंगरू

20—सईद आलम पुत्र फैय्याज हुसेन

21—बेचन यादव पुत्र बलवंत यादव

22—कमला पुत्र बलवंत

23—धर्मराज पुत्र झिन्कू

24—जुमई पुत्र बशीर

25—सिरी पुत्र बन्नू

26—छोटे लाल पुत्र रामखेलावन

27—पुत्तन पुत्र मो0 हुसेन

28—बंशराज पान्डेय पुत्र जयश्री प्रसाद

29—निसार अहमद पुत्र अब्दुल मजीद

30—पारसनाथ पुत्र बद्री बिशाल

31—धर्मदेव सिंह पुत्र कामता सिंह

32—शेषनाथ पुत्र चिखुरी

33—रामद्यारे पुत्र सत्यबरन

34—भिरगू पुत्र राजा

35—गंगा पुत्र रामहेत

36—देवेन्दर पुत्र बंशराज

37—राम सुमिरन पुत्र जगमोहन

38—रामायण पुत्र ठग

39—बाबू लाल पुत्र छेदी

40—राम बिलास पुत्र तिलक

41—राधा पुत्र जगत

42—सवंरू पुत्र सुक्खू

43—जोहर सिंह पुत्र बुद्धा सिंह

44—बब्बन पुत्र तेजू सिंह

45—राम चन्द्र तिवारी पुत्र प्रहलाद

46—बाबू लाल पुत्र प्रयाग

47—काली प्रसाद पुत्र मुन्ना लाल

पी0 एस0 यू0 पी0—4 वि0 सभा—13-7-88—813 (पी0डी0)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा